छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **सप्तम् सत्र**

बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025

(अग्रहायण 26, शक सम्वत् 1947)

[अंक 05]

Webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025

(अग्रहायण 26, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वान्ह 11.00 बजे समवेत् हुई.

{अध्यक्ष महोदय, (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुये}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या 1, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह।

महतारी सदन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाए जाने का प्रावधान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

1. (*क्र. 517) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रदेश में वित्त वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कितनी ग्राम पंचायतों में "महतारी सदन" निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई? महतारी सदन की निर्माण लागत राशि कितनी थी? उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु निर्माण एजेंसी किसे बनाया गया? जानकारी प्रदान करें? **(ख)** ग्राम पंचायतों को अधिकतम कितनी लागत राशि सीमा के निर्माण कार्यों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी बनाए जाने का प्रावधान है? क्या पंचायत क्षेत्र में स्वीकृत "महतारी सदन" निर्माण की लागत राशि तय सीमा के अंदर है? यदि हां, तो उसकी एजेंसी ग्राम पंचायतों को क्यों नही बनाई गई? जानकारी प्रदान करें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :(क) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 202 ग्राम पंचायतों में तथा वित्तीय 2025-26 में 166 ग्राम पंचायतों में ''महतारी सदन'' निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। महतारी सदन की निर्माण लागत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रू. 29.20 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रू. 30.00 लाख है। उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु निर्माण एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को बनाया गया है। **(ख)** राज्य शासन द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के निर्माण कार्य के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों को राशि रू. 50.00 लाख की सीमा तक के लिए अधिकृत किया गया है। जी हॉ, पंचायत क्षेत्र में स्वीकृत ''महतारी सदन''

निर्माण की लागत राशि तय सीमा के अंदर है। प्रशासकीय निर्णय से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को कार्य एजेंसी बनाया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या कार्यवाही शुरू होने के पहले झंडा लहराने व पोस्टर लगाने की परंपरा रही है? ये क्या बताना चाहते हैं? ये पोस्टर लगाकर सत्यमेव जयते लिखकर क्या बताना चाहते हैं? अच्छा जो भी बताना चाहे, लेकिन इनको अंदर वेश्म का, सभा हाल का सम्मान तो करना चाहिए, परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं। वे खड़े होकर बता दें कि ऐसी परंपरा रही है क्या? वे मुख्यमंत्री थे तो क्या वे ऐसी व्यवस्था को पसंद करते थे क्या?

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री रामकुमार यादव :- यह विधायकों का अपमान है। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- खुद दो बड़े नेता पोस्टर नहीं लगाये हैं और इन [xx] से पोस्टर लगवाकर लाये हैं। आपको [xx] समझकर लगवाकर लाये हैं। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपने इस शब्द का यूज किया तो आप अपमान कर रहे हैं। आप माननीय विधायकों का अपमान कर रहे हैं। आप विधायकों का अपमान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- यह सदन में नहीं किया जा सकता है। (व्यवधान) यह नियमावली के विरूद्ध है। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- यह कोई तरीका नहीं है। यहां पर पूरे जनता के प्रतिनिधि हैं। मतलब आप जनता को [xx] कह रहे हो। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप [xx] बोल रहे हो। आप जनता के जनप्रतिनिधियों को [xx] बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- यह सामंती प्रवृत्ति है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय जी, जनता ने हमें चुनकर यहां पर भेजा है। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप बूट पॉलिश करेंगे। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- आप वहां तक जायेंगे। आप चाटुकारिता करेंगे। आप चापलुसी करेंगे। जूता पॉलिश करेंगे। (व्यवधान)

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- कानून के दायरे में हैं। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आप क्या बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- आप विधायकों को [xx] बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- आप [xx] पर चलने वाले हो। (व्यवधान) आप [xx] हैं। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- ये [xx] हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- पोस्टर लगाकर आना चाहिए क्या? (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, यह [xx] प्रथा नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- आप कोयला खुदाई में बात करिहौ। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- ये [xx] करते हैं। (व्यवधान)

समय :

11.03 बजे

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- सदन के संचालन में सब सहयोग करें और आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं। सदन की मर्यादा, परंपरा जानते हैं कि सदन के अंदर बैनर, पोस्टर का प्रदर्शन उचित नहीं है। कृपया जिन्होंने भी अपने बैनर पोस्टर लगा रखे हैं, कृपया बाहर जाकर, उसे निकालकर फिर सदन में आकर कार्यवाही में भाग लें। यह मेरा आप सबसे अनुरोध है। (मेजों की थपथपाहट)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से विधायकों को [xx] कहा गया है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष की व्यवस्था में कोई बहस नहीं होती। आपने व्यवस्था दे दी है। आप किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री विक्रम मंडावी :- और जो आप बहस करते हैं, वह क्या है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- व्यवस्था में कोई बहस नहीं होती। व्यवस्था आ गई। (व्यवधान)

श्री विक्रम मंडावी :- आप हमेशा बहस करते हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर से मेरा आग्रह है कि आपकी व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कोई..।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये प्रश्नकाल में आप कौन सी परंपरा में भाषण दे रहे हैं। प्रश्नकाल में कोई भाषण नहीं होता। (व्यवस्था)

डॉ. चरणदास महंत :- आप क्यों दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रश्नकाल में कोई भाषण नहीं होता। (व्यवधान)

श्री बघेल लखेश्वर :- आप क्यों बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- आप क्यों दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- व्यवस्था आ गई है। व्यवस्था का पालन होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- ये पोस्टर लगाये हैं, उसमें आपत्ति ली है। (व्यवधान) मैंने कोई भाषण नहीं दिया है। आपने परंपरा तोड़ी है। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष जी की व्यवस्था का परिपालन होना चाहिए। (व्यवधान)

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री दिलीप लहरिया :- हवाबाजी बंद करिए। दिखावाबाजी बंद करिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- प्रश्नकाल में भाषणबाजी नहीं चलता। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- ये अडानी के [xx] हैं। (व्यवधान)

डॉ. चरणदास महंत :- आपने यहां बात करने का ठेका लिया है। बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने जो व्यवस्था दी है, उसमें बहुत स्पष्ट है कि सदन की कार्यवाही चलते हुए, सदन के अंदर झंडा, ईश्तहार, लाठी, तलवार, झंडा, ये नारे लगाना, शोर-शराबा करना, भाषण देना, प्रवेश को बाधित करना, इस प्रकार का जो प्रदर्शन हो रहा है, ये नियम के विपरीत है । इसलिए मैं चाहूंगा कि आप बाहर जायें और यह सब निकालकर सदन की कार्यवाही में भाग लें। (मेजों की थपथपाहट) चूंकि यह प्रश्नकाल है। यह प्रश्नकाल आपके लिए है। प्रश्नकाल की उपयोगिता इस पूरे सदन में सबसे बहुमूल्य समय होता है। इस एक घंटे का उपयोग विधायक ज्यादा से ज्यादा करें, इसकी व्यवस्था होती है। आपको जो भी विषय रखना होगा, आप प्रश्नकाल के बाद आये, पर अभी कृपा करके आप लोगों ने अपने शरीर में जितने भी पोस्टर चिपकाएं हैं, उस पोस्टर को हटाकर ही इस सदन में भाग लें।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- सर, न यह पोस्टर है, न यह झण्डा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में भाषण नहीं होता है।

श्री विक्रम मण्डावी :- आप क्यों बोल रहे हैं?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को बोलने का मौका दिया जाये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- क्या हमारे नेता जी बात नहीं रख सकते हैं? आप क्यों बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- यह आसंदी की व्यवस्था है। आप आसंदी की व्यवस्था को भी नहीं मानेंगे?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को बात करने का मौका दें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम नेता प्रतिपक्ष जी को पूरे सम्मान के साथ कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन प्रश्नकाल में किसी का भाषण नहीं होता है। हम आपका कभी कोई भाषण नहीं सुनेंगे।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप क्या प्रवचन दे रहे हैं?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री ब्यास कश्यप :- आप क्यों भाषण दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सुनील सोनी :- सदन नियम से चलेगा।

श्री रामकुमार यादव :- आप लोग एक विधायक को [xx] कहेंगे?

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष भी बोल सकते हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अच्छा, आप बोल सकते हैं तो आप लोग हमारा विरोध क्यों करते हैं? आप क्यों बोल सकते हैं? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वह हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, वह हमारे दल के नेता हैं। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने जो व्यवस्था दी है, आप लोग उसका परिपालन करिये।

श्री रामकुमार यादव :- ऐसा नहीं चलेगा। यह सदन सबका है। यहां सबका मान-सम्मान होना चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वह हमारे दल के नेता हैं। आप हमारे दल के नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री सुनील सोनी :- सदन नियम से चलेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी विधान सभा अध्यक्ष रह चुके हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी विधान सभा अध्यक्ष रह चुके हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- विधान सभा अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी है, उसमें कोई भाषण नहीं चलेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप विधान सभा अध्यक्ष रहे हैं। आप बताईये कि प्रश्नकाल में कौन से नियम-प्रक्रिया में भाषण होता है?

श्री भूपेश बघेल :- वह बतायेंगे न, आप बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम प्रश्नकाल में भाषण सुनेंगे ही नहीं। आपको शून्यकाल में जो बोलना है, उसको हम सुनेंगे।

श्री सुनील सोनी :- सदन नियम से चलेगा।

श्री उमेश पटेल :- आपके बोलने से सदन नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- सदस्यों के अधिकारों का हनन है।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी, आप विधान सभा अध्यक्ष रहे हैं।

(पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठ जाईये। सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(11.08 से 11.21 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय

11.21 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुये)

श्री भूपेश बघेल :- [XX][1]

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX]

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- [XX]

अध्यक्ष महोदय :- पहली बात, जो भी बोला जा रहा है, कोई रिकार्ड में नहीं आयेगा । प्रश्नकाल के दौरान बोला गया विषय रिकार्ड में नहीं आयेगा । दूसरी बात यह है कि एक बार जब आसंदी से व्यवस्था हो गई, आपसे आग्रह किया था कि प्रश्नकाल बाधित न करें । प्रश्नकाल सबसे बहुमूल्य समय होता है, उसके बाद में अपना विषय रख सकते हैं । तीसरी बात मैंने कहा था कि आप अपने शरीर पर पोस्टर लगाये हैं उसे निकाल कर ही प्रवेश करें, उसके बाद ही कार्यवाही हो सकती है। यदि आप इसको लगाये रखेंगे तो आप स्वयं कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। यह संभव ही नहीं है कि आप इस प्रकार के बैनर लगाकर इस सदन में बैठ कर कार्यवाही करें । मैं आपको 10 मिनट का समय और देता हूँ तथा सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित करता हूँ । आपको अवसर देता हूँ कि इसे निकालकर आयें, उसके बाद कार्यवाही प्रारंभ होगी ।

(11.23 से 11.36 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

[XX][1] अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

समय :

11.36 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, यह गणतंत्र का मंदिर है। माननीय नेता, आपके नेता, नरेन्द्र मोदी जी ने भी आकर आपको कहा है, बताया है, भाषण दिया है, ये सदन मंदिर है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी, विधान सभा अध्यक्ष रहे हैं, ये बहुत विपरीत स्थिति है। इस सदन में ऐसा कभी नहीं हुआ, विधान सभा अध्यक्ष रहे आदमी जो नियम प्रक्रिया को जानते हैं, वे बार-बार उल्लंघन कर रहे हैं, एक नया सदस्य होता तो ये बात समझ में आती। प्रश्नकाल में कोई भाषण नहीं होता। आपने दो बार अवसर दिया, उसके बाद भी आए हैं। ये गांधी परिवार के प्रति निष्ठा दिखाने का मंच नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की जनता..। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाए गए)

श्री अटल श्रीवास्तव :- [xx] कर रहे हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- विधान सभा संविधान से चलेगा। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- [xx] हो। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- ये छत्तीसढ़ की जनता का मंच है। ये [xx] लोगों की जगह नहीं है। (व्यवधान)

(पक्ष प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाए गए)

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप लोग [xx] हो। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी, आप विधान सभा अध्यक्ष रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- तुमन ये छत्तीसगढ़ ला ओखर नाम में रजिस्ट्री कर देव। (व्यवधान)

(पक्ष प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाए गए)

अध्यक्ष महोदय :- आपसे आग्रह भी किया था और सब वरिष्ठ लोग हैं, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम अध्यक्ष के स्थाई आदेश आप यदि देखेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से प्रावधान रखा गया है और यहां जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहा है, प्रश्नकाल के दौरान जिस प्रकार से लंबे-लंबे भाषण दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार का पोस्टर लगाकर सदन में प्रवेश किया जा रहा है, इससे विधान सभा की कार्यवाही आगे बढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपको पर्याप्त समय दिया, अब मैं यह तीसरी बार कह रहा हूं, मैं 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर रहा हूं, सदन 12 बजे फिर से लगेगी। आप फिर से पोस्टर को हटाकर सदन में प्रवेश करिए।

(11.39 से 12.11 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12.11 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

पृच्छा

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन दिया है। आज लोकतंत्र खतरे में है।

श्री अजय चंद्राकर :- कब से?

श्री भूपेश बघेल :- जब से आप लोग आये हैं। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरूपयोग हो रहा है। ये जो जांच एजेंसियां हैं, वह लोकतंत्र की रक्षा के लिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार [xx] करने के लिए एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही है। इसलिए हमने यह स्थगन दिया है। इस स्थगन में हमने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से एजेंसियों का दुरूपयोग हो रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने जो एजेंसियों के मामले में स्थगन लाया है। (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- आप हमको बोलने भी नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- वह कौन सी एजेंसियां हैं, उनका आपको नाम लेना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप हमको बोलने का मौका तो दीजिए। आप सुनिये तो। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप यह एजेंसी-एजेंसी क्या बोलते हैं? आप नाम लीजिए। ई.डी.-ई.डी.। (व्यवधान)

भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, सीधी सी बात है कि चाहे जितनी भी सेन्ट्रल एजेंसियां हैं जैसे- ई.डी., सी.बी.आई., डी.आर.आई. और चाहे स्टेट की एजेंसियां हों।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इसमें इस सदन में चर्चा ही नहीं हो सकती है। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- क्या आप डिसाइड करेंगे कि यह सदन कैसे चलेगा? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इस सदन में चर्चा हो ही नहीं सकती है। यह सदन का समय खराब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बघेल लखेश्वर :- इस सदन में चर्चा होगी या नहीं होगी, क्या यह आप तय करेंगे? यह बोलने वाले आप कौन होते हो ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपको इतनी परेशानी क्यों है? (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार विपक्ष के द्वारा उंगली दिखाकर वरिष्ठ सदस्य को धमकाया जा रहा है। कनिष्ठ सदस्य वरिष्ठ सदस्य को उंगली दिखाकर बात कर रहे हैं, यह आपत्तिजनक है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रशाह मण्डावी :- वह उधर के हमारे सदस्यों को धमका रहे हैं, उसको। क्या यह निर्णय लेने का अधिकार माननीय चंद्राकर जी को है?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं आसंदी की तरफ मुंह करके बोल रहा हूं। आज ई.ओ.डब्ल्यू. राज्य की एजेंसी इस प्रकार से हमको डराने-धमकाने का काम कर रही है। मैं आपको एक ही उदाहरण देना चाहूंगा कि आज कायदे-कानून को ताक में रखने से स्थिति क्या है कि ई.ओ.डब्ल्यू. के द्वारा। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आपके समय में सुनील नामदेव का घर कौन सी एजेंसी ने तोड़ा था? आप बताइये। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप गलत बात करते हैं। आप सुनने की हिम्मत रखिये। आप हमारे स्थगन को स्वीकार करके उस पर चर्चा करें। जब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो बोलते क्यों हैं? (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि आप इसको स्वीकार करके इसमें चर्चा करवाइये। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- यह एजेंसी के दुरूपयोग की परंपरा आपने डाली है। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप पहले सुनिये तो। आप इसमें चर्चा करवा लीजिए। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, इस पर आप चर्चा करवा लीजिए। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यहां एक ही सदस्य बोलेगा और बचत लोग नहीं बोल पाएंगे। माननीय अजय चंद्राकर जी बोलेंगे और बचत कोई नहीं बोलेगा। उनकी इच्छा होगी तो यह सदन चलेगा और उनकी इच्छा नहीं है तो सदन नहीं चलेगा। आपने यह स्थिति बनाकर रखी है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- यह सदन नियम-कानून से चलेगा, आपकी इच्छा व स्वेच्छाचारिता से नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- आपके हिसाब से भी नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री लखेश्वर बघेल :- सब नियम कानून से चलेगा। (व्यवधान)

विक्रम मण्डावी :- आपकी इच्छा से भी नहीं चलेगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह EOW की कार्यशैली कैसी है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम देखते हैं कि जब कलमबंद बयान की बात होती है तो कलम बंद बयान किसके समक्ष होता है ? वह न्यायालय के जज के समक्ष होता है, दरवाजा बंद रहता है, वहां केवल वकील रहेंगे और उसके बाद जो भी आरोपी है, वह अपना कलमबंद बयान करता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस सरकार में EOW के द्वारा बिना कलम बंद बयान के बाहर में, EOW के ऑफिस में बयान दर्ज कराया जाता है, पेन ड्राईव में बयान लिया जाता है और उसे ही कोर्ट में जमा कराया जाता है। यह [xx]

नहीं है तो क्या है ? इस सरकार में गवाहों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। जो भी विरोध में होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार से आज तमनार में क्या हुआ है ? तमनार में जंगल कटाई के विरोध में सब विधायक गये थे और वहां क्या हुआ ? ED ने डराने के लिए मेरे लड़के को गिरफ्तार कर लिया। (शेम-शेम की आवाज) हम लोग डरने वाले नहीं है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में ED का दुरूपयोग किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इंतेहा तो तब हो गयी जब यह लगातार नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया जी, राहुल जी और खरगे जी को परेशान कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह घोर आपत्ति है।

श्री भूपेश बघेल :- क्यों आपत्ति है ? मैं ED की कार्यशैली के बारे में बोल रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ की एजेंसी ने (व्यवधान) किया। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- 12 साल तक के तमनार (व्यवधान) और आज (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- (व्यवधान) कल ओ.पी. चौधरी जी कैसे बोल रहे थे ? आप क्यों बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, और इस तरह से [xx] करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए हमने स्थगन लाया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बैठिये। माननीय डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थगन को मैंने देखा है और परीक्षण के उपरांत अपने कक्ष में ही उसे अग्राह्य कर दिया है इसलिए इसमें चर्चा संभव नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण है। आखिर लोकतंत्र कैसे बचेगा ? यदि विपक्ष के लोगों को, शीर्ष नेतृत्व को इस प्रकार से डराने, धमकाने की कोशिश की जा रही है, राज्यों में डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। हम आपसे आग्रह करते हैं। यदि सत्तापक्ष में हिम्मत हैं, तो इसको स्वीकार करके चर्चा करायी जाये। आप क्यों भाग रहे हैं ? यदि आप सत्य के साथ है (व्यवधान) हिम्मत है तो चर्चा कराईये। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, यह गलत विषय है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा शासन विरोधी नारे लगाये गये)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- आप नियम प्रक्रिया देख लीजिए। (व्यधान)

श्री भूपेश बघेल :- [xx] में सरकार चल रही है।(व्यवधान) यदि संसदीय कार्यमंत्री में हिम्मत है तो आप भी बोलिये।

श्री उमेश पटेल :- यदि हिम्मत है तो चर्चा करवाईये। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- छत्तीसगढ़ के पुरखों द्वारा पेड़ लगाया गया है, उसको आप लोग काट रहे हैं।

श्री केदार कश्यप :- आप एक बार नियम प्रक्रिया देख लीजिए। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा शासन विरोधी नारे लगाये गये)

श्री भूपेश बघेल :- (व्यवधान) आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान) ED को फटकार मिली और कोर्ट ने कहा कि वह संज्ञान लेने के लायक नहीं है। यह हमने स्थगन में दिया हुआ है। (शेम-शेम की आवाज) हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पूरे प्रद्रश में, उसी प्रकार से पूरे देश भर में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ED, IB, CBI इसका (व्यवधान) कुछ तो बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि देश भर की चर्चा यहां होगी तो संसद में रंजीता रंजन क्या कर रही है ? के.टी.एस. तुलसी क्या कर रहे हैं ? राजीव शुक्ला क्या कर रहे हैं ? संसद में चर्चा कर ले, संसद चल रही है। देशभर की चर्चा यहां नहीं होगी। (व्यवधान)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

श्री भूपेश बघेल :- इस प्रकार से सरकार नहीं चलेगी, इस प्रकार से सरकार चलाना चाहेंगे तो हम नहीं चलने देंगे। (व्यवधान)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

श्री धर्मजीत सिंह :- कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको दारू में तो कुछ मिला भी नहीं है। कोई नेता लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, 15 दिन के अंदर कोई नेता की गिरफ्तारी हुई है तो बताईये। .. (व्यवधान).. नेता प्रतिपक्ष जी बैठे हुए हैं, वह एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। (व्यवधान)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये। आप सबसे बार-बार आग्रह है कि सदन को चलाने में आपका सहयोग चाहिए। इस प्रकार आप लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, सदन के कामों में व्यवधान डाल रहे हैं। आपको मैंने पहले ही सूचित कर दिया कि आपने जो स्थगन दिया था, वह अग्राह्य कर दिया है। अब सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में आप सबका सहयोग चाहिए। इस सदन में इतने वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, ये अपेक्षा आपसे नहीं है। स्पीकर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सदन की कार्यवाही और प्रक्रिया के सम्मान को जानते हैं। इसके बाद भी इस प्रकार का व्यवहार मैं उचित नहीं मानता। इसलिए सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, अन्यथा मैं कार्यवाही आगे बढ़ाऊंगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब लोकतंत्र ही खतरे में है और एजेंसी का जिस प्रकार से दुरूपयोग हो रहा है, इसलिए हमने स्थगन लाया है और ट्रेजरी बैंच से हमने आग्रह किया कि स्थगन को स्वीकार कर लें और चर्चा करायें। यदि जनप्रतिनिधियों को एजेंसियों के माध्यम से डराया जायेगा, धमकाया जायेगा, निरूद्ध किया जायेगा तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, पत्रकार लोग बहिष्कार कर दिये थे, उसको भी कमरे में बंद कर दिया गया था।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाईंट ऑफ ऑर्डर है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो हमने तो ट्रेजरी बेंच से आग्रह किया है, आपका आदेश शिरोधार्य लेकिन ट्रेजरी बेंच से आग्रह करते हैं कि यदि आपको लोकतंत्र में विश्वास है । चूंकि स्थगन को हमने दिया है, उसको स्वीकार करिये ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बोलिए । एक मिनट । पाइंट ऑफ ऑर्डर ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दो बातें कहना चाहूंगा । मैंने भी स्थगन को पढ़ा है और माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने जिस विषय पर प्रकाश डाला है और मेरा भी उल्लेख किया कि मैं सदन नहीं चलने देना चाहता, ऐसा नहीं है । उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि कौन से विषय की सदन में चर्चा हो सकती है, कौन से विषय में चर्चा नहीं हो सकती है । यदि वह specific छत्तीसगढ़ के किसी एजेंसी के कारण और छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र खतरे में किस तरह से है, अपने स्थगन में यदि उसको साबित करते तो सत्तारूढ़ दल उसका स्वागत करता कि भई चलिए किस तरह से लोकतंत्र खतरे में है इस पर चर्चा कराई जाए लेकिन आप यह व्यवस्था जरूर दें कि केंद्रीय विषय में, केंद्रीय एजेंसी भारत के किसी केंद्र में कोई घटना घटी उसकी चर्चा हो सकती है या नहीं हो सकती, एक । दूसरी बात, जब आपने व्यवस्था दे दी, अपने कक्ष में स्थगन को अस्वीकार कर दिया तो उसके बाद माननीय भूपेश बघेल जी का या किसी भी कांग्रेस के सम्माननीय सदस्य का उसी विषय पर किन नियम-प्रक्रियाओं के तहत् फिर से भाषण हो रहा है । यह बताने का कष्ट करेंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय महोदय महोदय, आसंदी का आदेश शिरोधार्य ।

श्री अजय चंद्राकर :- पहले व्यवस्था आ जाने दीजिये न फिर आप कहेंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- मैं व्यवस्था तो पहले ही बोल रहा हूं । आपने व्यवस्था मांगी है, उसके बाद मैंने भी आग्रह कर लिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पर्टिकूलर एजेंसी की बात कहें, हमने जांच एजेंसी की बात कही और जांच एजेंसी, अब random कैसे होता है भई ?

श्री अजय चंद्राकर :- आप नाम लेकर दीजिए न, हम स्वागत करेंगे कि कौन सी एजेंसी के कारण छत्तीसगढ़ का लोकतंत्र खतरे में है । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- आप स्वीकार करिये न, हम एजेंसियों के नाम बतायेंगे । हम तो कह रहे हैं कि एजेंसी, हमने कोई यह नहीं कहा कि central agency, किसकी एजेंसी और जब आप सदन में बात कर रहे हैं तो आपकी एजेंसी यहां जो कार्यरत है, उसी एजेंसी की तो बात होगी और वहां जो कार्य प्रभावित हो रहा है उसी में तो बात होगी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं । आपकी भावना का स्वागत है लेकिन कौन सी agency के कारण छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र खतरे में है। आप यह साबित करते हैं तो शायद हम भी स्वागत करते कि छत्तीसगढ़ को, लोकतंत्र को बचाने में हम योगदान देंगे लेकिन आप random कहेंगे, हवा में बात करेंगे तो इसका तो कोई हल नहीं है ।

श्री भूपेश बघेल :- हवा में कोई बात नहीं हो रही है । जांच एजेंसी का उल्लेख हुआ है और है हिम्मत, ट्रेजरी बेंच में तो इसको स्वीकार करें और इसमें चर्चा करायें। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- तो आप नाम लिखिये न । नाम लिखिये न । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- यह बार-बार चुनौती का जो विषय माननीय वरिष्ठ सदस्य कह रहे हैं यह आपत्ति का विषय है । किसको हिम्मत की बात कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- आपको कह रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- चुनौती है, चुनौती । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपको कह रहे हैं । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- हिम्मत है तो करवाईये । (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- यहां सिंदूर में चर्चा हो सकती है तो इसमें चर्चा कैसे नहीं हो सकती ? वह भी केंद्र का है, यह भी केंद्र का है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपको मैंने पहले भी व्यवस्था दी है, स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था स्पष्ट हो गयी है कि इस विषय पर चर्चा नहीं होगी । भारत शासन के विषय पर विधानसभा में चर्चा संभव नहीं है इसलिए चर्चा की मैंने अनुमति नहीं दी है। चलिये, आगे बढ़िए । श्री ओ.पी. चौधरी जी । पत्रों का पटल पर रखा जाना ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये)

समय :

12.28 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल पर प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्याय महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद - 151 के खंड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2025 प्रतिवेदन संख्या-06 पटल पर रखता हूं ।

(2) श्रम विभाग की अधिसूचनाएं

श्रम मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कारखाना अधिनियिम, 1948 (क्रमांक 63 सन् 1948) की धारा 115 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :-

(i) एफ 10-7/2019/16, दिनांक 10 मई, 2023 एवं

(ii) रूल-5/39/2025-लेबर, दिनांक 19 अगस्त, 2025 पटल पर रखता हूं ।

(3) श्रम विभाग की अधिसूचनाएं क्रमांक ईएसटीबी/4762/2025-लेबर, दिनांक 25 सितम्बर, 2025

श्रम मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 21 सन् 2018) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानसुार अधिसूचना क्रमांक ईएसटीबी/4762/2025-लेबर, दिनांक 25 सितम्बर, 2025 पटल पर रखता हूँ।

(4) श्रम विभाग की अधिसूचनाएं क्रमांक रूल-503/12/2025-लेबर, दिनांक 11 सितम्बर, 2025

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 37 सन् 1970) की धारा 35 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक रूल-503/12/2025-लेबर, दिनांक 11 सितम्बर, 2025 पटल पर रखता हूँ।

समय

12.31 बजे

गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1. डॉ. चरणदास महंत
2. श्री भूपेश बघेल
3. श्रीमती अनिला भेंडिया
4. श्री उमेश पटेल
18. श्री इन्द्रशाह मंडावी
19. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
20. श्री विक्रम मंडावी
21. श्रीमती विद्यावती सिदार

5. श्री लखेश्वर बघेल
6. श्री दलेश्वर साहू
7. श्री भोलाराम साहू
8. श्री लालजीत सिंह राठिया
9. श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े
10. श्री दिलीप लहरिया
11. श्री रामकुमार यादव
12. श्री द्वारिकाधीश यादव
13. श्रीमती अंबिका मरकाम
14. श्रीमती संगीता सिन्हा
15. श्री कुंवर सिंह निषाद
16. श्री देवेन्द्र यादव
17. श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा
22. श्री फूल सिंह राठिया
23. श्री अटल श्रीवास्तव
24. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
25. श्री ब्यास कश्यप
26. श्री बालेश्वर साहू
27. श्रीमती शेषराज हरवंश
28. श्रीमती चातुरी नंद
39. श्रीमती कविता प्राण लहरे
30. श्री संदीप साहू
31. श्री इन्द्र साव
32. श्री जनक ध्रुव
33 श्री ओंकार साहू
34. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जाएं। मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारण करूंगा।

समय
12.33 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में 47 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूँ सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी)

पहले क्रमांक (1) से (2) तक की सूचनाएं ली जावेगी।

समय :-
12:35

निलंबन समाप्ति की घोषणा

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 250 (1) के तहत निम्न सदस्य अपना स्थान छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए थे, अत: मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूं ।

समय :-
12:35

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(1) श्री लखेश्वर बघेल । (अनुपस्थित)

(2) राज्य के प्रतिभावान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उचित सम्मान, प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जाना.

श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम (पाली तानाखार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- छत्तीसगढ़ राज्य अनेक खेल विधाओं (कबड्डी, खो-खो, मैराथन, तीरंदाजी सहित अन्य) कि बहुत ही प्रतिभा खिलाड़ियों का धनी है, ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों ने भारत देश ही नहीं, अपितु विदेशों में भी छत्तीसगढ़ के नाम विभिन्न क्षेत्रों में गौरवान्वित किया है, जो कि हम सब के लिए हर्ष का विषय है। साथ ही महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में छत्तीसगढ़ कोरबा जिले के ग्राम केराकछार निवासी अंतरराष्ट्रीय महिला कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी ने अपनी अत्यंत गरीबी परिस्थिति के बावजूद हमारे भारत देश की ओर से पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए विश्व कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने का स्थान प्राप्त किया और देश को विश्व विजेता बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई जिससे छत्तीसगढ़ ही नहीं, अपितु पूरे देश को गौरवान्वित हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में विगत नौ वर्षों से राज्य के अनेकों क्षेत्रों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों की घोषणा एवम् प्रोत्साहन सहित गरिमानुरूप शासकीय नौकरी नहीं दी गयी है, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों एवम् खेल प्रेमियों में शासन-प्रशासन के प्रति रोष आक्रोश व्याप्त है।

उप मुख्यमंत्री, खेलकूद एवं युवा कल्याण (श्री अरूण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कथन सत्य नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों की घोषणा एवम् प्रोत्साहन सहित गरिमानुरूप शासकीय नौकरी नहीं दिया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों एवम् खेल प्रेमियों में शासन प्रशासन के प्रति

उदासीनता और आक्रोश व्याप्त है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि खेल और खिलाड़ियों का हित, शासन की प्राथमिकता में है । वर्ष 2024 में पूर्व वर्षों से लंबित 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें उक्त 04 वर्षों में कुल 1143 खिलाड़ी खेल अलंकरण पुरस्कार एवं नगद राशि पुरस्कार एव खेलवृत्ति पाकर लाभान्वित हुए हैं। भूतपूर्व अतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री बिसेन्ट लकडा जी को प्रतिमाह 5000/- के मान से आजीवन सम्मान निधि विभाग द्वारा प्रदाय किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य शासकीय सेवा में उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती नियम, 2010 के संशोधन दिनांक 20 मई 2016 के बिन्दु "छ" लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले सीधी भर्ती के पदों को छोड़कर, शासन के सभी विभागों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के उपलब्ध रिक्त पदों पर एवं संबंधित संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के अधिकतम 2 प्रतिशत पदों पर, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति का प्रावधान है।

वर्ष 2009 से 2018 तक 182 उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा की जा चुकी है। उसमें से 57 खिलाड़ी पूर्व से केन्द्र एवं राज्य शासन में शासकीय सेवा मे थे तथा 88 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा प्रदान की गई है।

वर्तमान में शासन द्वारा ओलम्पिक में स्वर्ण, रजत, व कास्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाडियों को क्रमशः 03 करोड़, 02 करोड तथा 01 करोड़ की राशि से प्रोत्साहित किये जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय खेल एवं खेलो इंडिया खेल में स्वर्ण, रजत, व कास्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नगद राशि से प्रोत्साहित किया जाता है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश के खिलाड़ी सरकार की खेल से संबंधी नीतियों एवं योजनाओं के प्रति आश्वस्त एवं प्रोत्साहित है ।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कि राज्य में कुल कितने खिलाड़ियों ने राज्य एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का प्रतिनिधित्व किया है ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है कि पिछली सरकार के समय खेल अलंकरण पुरस्कार और प्रोत्साहन समारोह रूका हुआ था, वह सब देने का काम किया है। मैंने संख्या भी बताई है कि 1,143 खिलाड़ियों को कुल 2 करोड़ 50 लाख 50 हजार रूपये की राशि प्रदान की गई है। हम खेल और खिलाड़ियों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से लंबित राज्य खेल अलंकरण के 6 पुरस्कार शहीर राजीव पाण्डेय पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद विनोद चौबे सम्मान, मुख्यमंत्री ट्राफी जूनियर एवं सीनियर हेतु कुल 230 खिलाड़ियों को 1 करोड़ 53 लाख 25 हजार रूपये राशि तथा नकद राशि के कुल 913 खिलाड़ियों को 97 लाख 25 हजार रूपये प्रदान किए गए हैं। हमारी सरकार खेल और

खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रही है। हम बस्तर ओलंपिक जैसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं तथा सरगुजा ओलंपिक जैसे कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। आने वाले समय में खेलो इण्डिया के ट्राइबल गेम्स की मेजबानी भी छत्तीसगढ़ करने वाला है। इसलिए राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रही है। यह निश्चित है कि हमारी छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उनको प्रोत्साहित करने के लिए ही विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वर्षों से लंबित थी..।

श्री अजय चन्द्राकर :- मालिक, इस उम्र में कौन सा खेल खेल रहे हो, यह बताओ न भईया।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- आपका जो युवाओं को प्रोत्साहित करने का विजन है, उस पर हम सब लगे हुए हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमारे विजन में आपको इस उम्र में कौन सा खेल खिलवाये बताओ ? (हंसी)

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- हम अभी भी जवान हैं, उसमें क्या है। आपको क्या लग रहा है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा लंबित वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 तक खेल अलंकरण समारोह के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है। आगे वर्ष 2023-24, 2024-25 का खेल अलंकरण समारोह कब तक किया जायेगा, कृपया जानकारी देवें ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन है। विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री सुनील सोनी (रायपुर दक्षिण) :- धन्यवाद, अध्यक्ष जी। जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाते हैं या देश के बाहर खेलने जाते हैं, उनका किराया और उनके रहने की व्यवस्था का कोई प्रावधान है क्या ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लागू की है। उसमें नियम प्रावधान के अनुसार निश्चित रूप से जो पात्र खिलाड़ी हैं, उनको सहयोग करते हैं।

समय :
12.45 बजे

<u>अध्यक्षीय व्यवस्था</u>

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल आप सभी माननीय सदस्यों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसके माध्यम से आप सभी माननीय सदस्य स्वयं क्षेत्र की और प्रदेश की जनता के हितों के लिए

ज्वलंत प्रश्नों पर शासन से इसकी जानकारी प्राप्त कर अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन करते हैं एवं लोकहित में प्रदेश के कल्याण के लिए अपना अमूल्य योगदान प्रदान करते हैं। इसलिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नकाल का एक-एक मिनट पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित होना चाहिए। आप माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर तैयार करने में शासन का लोकधन, श्रम व्यय होता है तथा इन सभी प्रश्नों में वस्तुतः लोकहित ही समाहित है, और प्रतिपक्ष द्वारा इस प्रकार प्रश्न काल को बाधित करने से आप एक प्रकार से लोकहित के प्रश्नों पर, पूरक प्रश्नों के उत्तर आने को अनचाहा रोक रहे हैं, जो कतई स्वीकार योग्य नहीं है। वस्तुतः प्रश्न काल को बाधित करना अपने क्षेत्र, प्रदेश की जनता व अन्य माननीय सदस्यों के अधिकार का हनन है और उसके साथ इसे अन्याय स्वरूप मानता हूं। आसंदी के निर्देश की अवहेलना करना, जानबूझकर सभा की कार्यवाही को बाधित करना और वह भी जबकि प्रतिपक्ष के सदस्यों में संवैधानिक पदों पर पूर्व विद्वान सदस्य सम्मिलित हैं, सर्वथा अनुचित है। मेरा स्पष्ट मानना है कि प्रश्नकाल अपने दलीय हितों व नीति के समर्थन स्वरूप कार्य के लिए कदापि नहीं है। अतः मैं प्रश्न काल को बाधित करने वाले सदस्यों की निंदा करता हूं, इसे किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा है कि वे सभा की प्रक्रियाओं और संसदीय व्यवस्थाओं का पालन एवं सम्मान करें। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सभा की मर्यादा का आज जितना सम्मान या पालन किया है, यह उनके चिंतन का विषय है, मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं। प्रतिपक्ष के सदस्यों में पूर्व वरिष्ठ पदों पर रहे, कार्य कर चुके अनुभवी, संसदविद् और प्रक्रियाओं के जानकार सदस्य हैं, फिर भी इस तरह से सदन की कार्यवाही को बाधित करना किसी दृष्टिकोण से संसदीय प्रक्रियाओं के अनुकूल नहीं है। प्रतिपक्ष के सदस्यों को अपने संसदीय आचरण पर स्वयं चिंतन करना चाहिए।

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

अध्यक्ष महोदय :- कार्यसूची के पद 3 के उप पद (3) से (47) तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जाएंगे। सदस्यों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे।

3. सर्वश्री अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह
4. सर्वश्री अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह
5. श्री अजय चंद्राकर
6. डॉ. चरणदास महंत
7. श्री विक्रम मंडावी
8. श्रीमती शेषराज हरवंश

9. डॉ. चरणदास महंत
10. श्री विक्रम मंडावी
11. श्रीमती अंबिका मरकाम
12. श्रीमती चातुरी नन्द
13. श्री राजेश मूणत
14. श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री द्वारिकाधीश यादव, श्री ओंकार साहू
15. डॉ. चरणदास महंत
16. श्री ब्यास कश्यप
17. श्री भोलाराम साहू
18. श्री भोलाराम साहू
19. श्री चैतराम अटामी
20. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
21. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
22. श्री बघेल लखेश्वर
23. श्रीमती चातुरी नन्द
24. श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री फूलसिंह राठिया
25. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
26. श्री देवेन्द्र यादव
27. श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम
28. श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम
29. श्री सुशांत शुक्ला
30. श्री नीलकंठ टेकाम
31. श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम
32. श्री चैतराम अटामी
33. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
34. सर्वश्री विक्रम मंडावी, बघेल लखेश्वर
35. श्री बघेल लखेश्वर
36. श्री लालजीत सिंह राठिया
37. श्री दिलीप लहरिया
38. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

39. श्री पुरन्दर मिश्रा
40. श्री पुन्नूलाल मोहले
41. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह
42. श्री धरमलाल कौशिक
43. श्री धरमलाल कौशिक
44. श्री रोहित साहू
45. डॉ. चरणदास महंत
46. श्री ब्यास कश्यप
47. श्री विनायक गोयल

समय :

12.47 बजे

नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 "क" (2) को शिथिल कर आज मैंने सदन में 17 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। उक्त सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा तथा सूचना देने वाले सदस्यों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे।

1. श्री रोहित साहू (2 सूचनाएं)
2. श्री रिकेश सेन
3. श्री दिलीप लहरिया (4 सूचनाएं)
4. श्री उत्तरी गनपत जांगड़े
5. डॉ. चरणदास महंत
6. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
7. श्री देवेन्द्र यादव
8. श्री ईश्वर साहू
9. श्री अजय चन्द्राकर
10. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
11. श्रीमती अनिला भेंडिया
12. श्री द्वारिकाधीश यादव
13. श्री अटल श्रीवास्तव

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने शून्यकाल की सूचना दी है, जो माननीय सदस्य हाथ नहीं उठाये हैं, उनका पढ़ा हुआ न माना जाए। नियम प्रक्रिया में है कि सदस्य हाथ उठायेंगे। हम लोग हाथ उठाये हैं। वे लोग हाथ नहीं उठाये हैं। तो उनकी पढ़ी हुई न मानी जाये।

समय :

12.48 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री रोहित साहू
2. श्री अनुज शर्मा
3. श्री ओंकार साहू
4. श्री दलेश्वर साहू
5. श्री रिकेश सेन

समय :

12.49 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 28 सन् 2025)

श्रम मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 28 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 28 सन् 2025) पर चर्चा हेतु श्री अनुज शर्मा जी।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रम मंत्री द्वारा सदन के समक्ष छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियाजना एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 28 सन् 2025) प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। यह विधेयक न सिर्फ कानूनी संशोधन है, बल्कि सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में एक सशक्त कदम है। इसमें सबसे ज्यादा लाभ छोटे दुकानदारों एवं ऐसे वाणिज्यिक संस्थाएं संचालित करते हैं, उनको मिलेगा। जो वर्तमान में कानून है, उसको सरल करने का एक बेहतर माध्यम बनेगा। जिनका छोटा-छोटा व्यापार है, जिनको कागजी कार्रवाई ज्यादा समझ में नहीं आता है, उनके लिए सरलीकरण करने के लिए यह उठाया गया

महत्वपूर्ण कदम है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसमें 10 कर्मचारी रखने वाले प्रतिष्ठान थे, उनको सबसे ज्यादा लाभ होगा। अब उनको बहुत सारे कानूनों से निजात मिलेगी, उनको काम करने में आसानी होगी क्योंकि अब इस संख्या को 10 से 20 कर दिया गया है। अब ऐसे संस्थाओं को बहुत ज्यादा श्रम विभाग में पंजीयन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको कानून के अन्य प्रावधानों से भी छूट मिलेगी। इससे जो Ease of Doing Business की बात है, वह हमारे सब व्यापारी भाईयों के लिए व ऐसे संस्थानों के लिए जो लोगों को रोजगार देते हैं, छोटे-छोटे उपक्रमों के लिए जो कम श्रमिकों के साथ काम करते हैं, उनको बहुत लाभ होगा। इससे दूरगामी श्रम सुधार के परिणामस्वरूप अब लघु एवं छोटे व्यापारियों को बहुत राहत मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। 21वीं सदी महिलाओं की सदी है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र की सरकार ने महिला आरक्षण का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 21वीं सदी में जिस तरह से महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इस संशोधन से महिला कर्मचारी को रात 9 बजे तक काम करने का जो नियम है, उसमें उनको लाभ मिलेगा। इससे उन्हें पुरूषों के बराबर सहभागिता मिलेगी, उन्हें सेवा का बेहतर अवसर मिलेगा, ताकि वह बराबरी पर खड़े हो सके। सरकार ने उनको एक समानता के अधिकार का उपहार दिया है, मैं उसकी भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूं। इसमें वे महिलाएं जो शिक्षा, कौशल, तकनीकी आदि मामलों में पुरूषों के बराबर दक्षता रखती हैं, उनको अवसर मिलेगा। इससे उनका अतिरिक्त समय बढ़ पायेगा और उनकी स्थिति और बेहतर हो पायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान का अनुच्छेद 39 (क) के अनुसार महिलाओं को पुरूषों के समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है और यह विधेयक उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। इस परिवर्तन का मैं अभिनंदन करता हूं। कुल मिलाकर मैं यह कहूंगा कि यह प्रस्तुत विधेयक स्वागत योग्य है। श्रम कानूनों में सरलीकरण की प्रक्रियाओं में सुधार होने से नियोजक वर्ग में कानून के परिपालन के प्रति जो अनावश्यक भय था, उससे भी लागों को छूट मिलेगी। इसके विषय में मैं कहना चाहूंगा कि इस विधेयक से मालिक और मजदूरों के बीच औद्योगिक सौहार्द भी बेहतर बन पायेगा। मालिक और मजदूर, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। यथासंभव श्रम कानूनों में यह जो संशोधन की कार्यवाही की गई है, इसका मैं स्वागत करता हूं। मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और सरकार का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा संशोधन लाया है। माननीय श्रम मंत्री को भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री रोहित साहू।

श्री रोहित साहू (राजिम) :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का निवियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 का समर्थन करते हुये अपनी बात रखना चाहता हूँ ।

इस विधेयक में सिर्फ कानूनी संशोधन नहीं है बल्कि सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में एक सशक्त कदम है । यह वर्तमान समय में व्यापार सेवा और उद्योग क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन चुका है। बदलते हुये औद्योगिक वातावरण और स्पर्धा की बढ़ती चुनौती तथा उद्यमशीलता से निवेश को प्रोत्साहित करने संबंधी प्रावधानों का लचीलापन होना आवश्यक हो गया है । यदि हम वैश्विक दौड़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने श्रम कानूनों को व्यावहारिक और समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना होगा । अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण जो संशोधन प्रस्तावित किया गया है, उसके अनुसार महिला कर्मचारियों को रात्रि पाली में कार्य करने की व्यवस्था की गई है, जो संशोधन पारित किये जाने योग्य है । 50 नियोजकों के द्वारा अपनी महिला कर्मचारियों को सरकार द्वारा निमित्त तय किये गये अनिवार्य शर्तों का पालन करते हुये रात्रि 9.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक कार्य कराया जा सकेगा । यह संशोधन दुकान एवं अन्य स्थापनाओं में महिलाओं के सम्मान, भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये एक प्रमुख कदम है । इससे परिवार में महिला सशक्त होगी और परिवार भी सशक्त होगा और इससे महिलाओं को व्यावसायिक अनुभव प्राप्त होगा, व्यापार और व्यावसायिक कार्यों में समानता का अवसर प्राप्त होगा । नियोजन के क्षेत्र में लैंगिक समानता स्थापित होगी । इससे मालिकों के उत्पादकता में वृद्धि होगी । श्रमिकों के कार्यप्रणाली में लचीलापन आयेगा । इससे बिना किसी कानूनी अड़चनों के व्यापार संचालन में सुगमता होगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रम कानूनों के इस सरलीकरण की प्रक्रियाओं का सुधार होने से नियोजक वर्ग को कानून के परिपालन में संबंधित अनावश्यक भय या शंका से मुक्ति मिलेगी और यह बड़े गर्व का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार की मंशा रही है कि राज्य सरकार श्रमिकों के हर वर्ग के साथ न्याय करे । इसके साथ ही साथ मालिक और मजदूरों का औद्योगिक सौहार्द बना रहे । अध्यक्ष महोदय, मालिक और मजदूर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के सहयोग के बिना व्यापार और उद्योग का संचालन संभव नहीं है, अत: हमारी सरकार द्वारा दोनों पक्षों के हित में लगातार कार्य किये जा रहे हैं और यथासंभव श्रम कानूनों में संशोधन की कार्यवाही भी की गई है । आज व्यापारी संघर्षरत है, व्यावसायिक वर्ग के सामने अनिश्चितता के साथ न केवल प्रतिस्पर्धा की चुनौती है, बल्कि श्रम के साथ समन्वय का भी दायित्व है । यह विधेयक दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर लाया गया है । कार्यव्यवस्था में यह लचीलापन दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में लाये गये विधेयक के समर्थन में माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें । मुझे आपने इस विधेयक में अपनी बात रखने का अवसर दिया, मैं इस विधेयक का भरपूर समर्थन करते हुये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ । जय हिन्द-जय छत्तीसगढ़ ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रायमुनि भगत ।

श्रीमती रायमुनि भगत (जशपुर) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 का समर्थन करते हुये अपनी बात रखना चाहती हूँ । इस संशोधन विधेयक से महिला एवं पुरूष में समानता का अधिकार एवं व्यवहार मिलेगा और महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी सशक्त होगी, इस संशोधन विधेयक से परिवार एवं समाज भी सशक्त होगा ।

समय :
1.00 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान समय में व्यापार, सेवा और उद्योग क्षेत्र में राज्य की व्यवस्था का प्रमुख आधार बन चुका है। बदलते हुए इस औद्योगिक परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार महिलाएं सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, चाहे सामान्य शिक्षा की बात करें, चाहे तकनीकी शिक्षा की बात करें। आज से पूर्व भी महिलाएं चांद पर पहुंच चुकी हैं। सम्माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन विधेयक से समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच उभरेगी और समाज में महिलाओं को सम्मान भी मिलेगा। जिस प्रकार महिलाएं आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं और पूर्वकाल से भी महिलाएं काम करती आ रही हैं। इस संशोधित विधेयक से महिलाओं को इतना लाभ मिलेगा जिससे छोटे कुटीर उद्योग हो, चाहे किसी बड़े व्यावसायिक कार्यों की बात करें, आज महिलाएं छोटे से बड़े काम में अपनी सहभागिता निभा रही हैं। आज जिस काम को पुरुष कर पा रहे हैं, उस काम को महिलाएं भी बखूबी निभा रही हैं। सभापति महोदय, इस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो प्रस्तावित किया गया है, इसके अनुसार महिला कर्मचारियों को रात्रि नौ बजे से छह बजे तक काम करने का अवसर मिला है। जब महिलाएं घर से काम करने के लिए बाहर निकलती हैं, चाहे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर निकलती हैं। मैं आज विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की बात करूं, चाहे अन्य पंचायती क्षेत्र में जिस प्रकार महिलाएं सहभागिता निभा रही हैं, अवश्य ही इस विधेयक से हमारा छत्तीसगढ़ सशक्त होगा। आज सभी क्षेत्र में महिलाएं रोजगार, उद्योग चाहे नौकरी के मामले में कहीं पीछे नहीं हैं। श्रम कानून के इस सरलीकरण एवं प्रक्रियाओं के सुधार होने पर नियोजक वर्ग में कानून के परिपालन संबंधी अनावश्यक भय एवं शंका से महिलाओं को मुक्ति मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार की हमेशा मंशा रही है कि राज्य सरकार श्रमिकों के हर वर्ग के साथ न्याय करे। आज महिलाएं जिस प्रकार से चूल्हा, चौका से बाहर निकलकर अपनी भूमिका निभा रही है, मजूदर और मालिक के बीच जिस प्रकार समन्वय स्थापित करके काम कर रही हैं, इस संशोधन विधेयक के आने से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मजबूती मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, मालिक-मजदूरों के बीच में औद्योगिक सौहार्द्र बना रहे। मालिक और मजदूर दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं।

एक-दूसरे के सहयोग के बिना व्यापार और उद्योग का संचालन संभव नहीं है। इसलिए हमारी सरकार के द्वारा दोनों पक्षों के हित में लगातार कार्य किये जा रहे हैं और इस हेतु यथासंभव श्रम कानून में संशोधन की कार्रवाई की गई है।

सम्माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक का मैं मन से सम्मान करती हूं और इस विधेयक का स्वागत भी करती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- आपको भी धन्यवाद।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है। भोजन की व्यवस्था माननीय श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित

कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जो भोजन करवा रहे हैं, उनको आप निर्देशित कर दीजिए कि वह शाम को भी नास्ता करवाये। रात को 9 बजे तक सदन की कार्यवाही चलती है तो शाम को 7-8 बजे जाओ तो बिस्कुट भर रखा रहता है। आप उसके लिए भी निर्देशित करवा दीजिए।

सभापति महोदय :- जी, हाई टी रहेगा। आप हाई टी के लिए बोल रहे हैं न।

श्री अजय चंद्राकर :- जी।

सभापति महोदय :- हम देखते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति जी, उसमें बिस्कुट की क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं है।

सदन को सूचना

छत्तीसगढ़ विधान सभा की रजत जयंती के अवसर पर प्रकाशित, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा विमोचित स्मारिका "उत्कर्ष" का वितरण

सभापति महोदय :- छत्तीसगढ़ विधान सभा की रजत जयंती के अवसर पर प्रकाशित, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा विमोचित स्मारिका "उत्कर्ष" का वितरण माननीय सदस्यों को खानेदार आलमारी से किया जा रहा है।

समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त साहित्य की प्रति प्राप्त करें। माननीय मंत्री जी।

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्रम मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 28 सन् 2025) आज यहां पर लाया गया है, जिसमें हमारे माननीय श्री अनुज शर्मा जी, माननीय रोहित साहू जी, माननीया बहन रायमुनी भगत जी ने अपने सुझाव दिये हैं। निश्चित तौर पर यह संशोधन विधेयक छोटा लगता है, लेकिन यह प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना विधेयक वर्ष 2017 के विधान सभा में पारित होने के पश्चात माननीय देश के महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के बाद अस्तित्व में आया है। इसे छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया गया, जो आज इस सदन से भागकर चले गये हैं। उनकी सरकार 5 साल तक थी और उन्होंने इस कानून को लागू नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारी विधान सभा के अध्यक्ष हैं, उस समय वह तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उनके नेतृत्व में यह विधेयक पारित हुआ था और निश्चित तौर पर 13 फरवरी, 2025 को इस अधिनियम को लागू किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज यह संशोधन विधेयक विधान सभा में लाया गया है। निश्चित तौर पर इस संशोधन विधेयक में प्रमुख रूप से हमारे जो छोटे-छोटे व्यापारी व दुकानदार होते हैं, पहले वह 10 लोगों को रखते थे, तब भी उन पर यह नियम लागू होता था। लेकिन अब वह 20 तक रख सकते हैं, उसमें छूट रहेगी। उसी तरह से हमारी बहनों को भी काम करने का अवसर मिलेगा। प्रदेश में समानता के रूप में काम होगा। इस तरह से बहुत सारे सरलीकरण होंगे। इनको जो ओव्हर टाइम का मान मिलता है, उस ओव्हर टाइम को भी 125 घण्टा से 144 घण्टा तक बढ़ाया गया है। जो ओव्हर टाइम करेंगे, उसमें उनको दोगुना मान भी मिलेगा। इस तरह से इस संशोधन विधेयक में बहुत सारे छोटे-छोटे प्रावधान व सरलीकरण किये गये हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि इसको ध्वनि मत से पारित करने की कृपा करें।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 28 सन् 2025) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्रम मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 28 सन् 2025) पारित किया जाय।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 28 सन् 2025) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 29 सन् 2025)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 29 सन् 2025) पर विचार किया जाय।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, इस तरह के जितने विधेयक आये, मैं हर बार के विषयों में प्रकाश डाला हूं और इसलिए प्रकाश डालने की जरूरत है क्योंकि इस विधेयक को हमने बनाया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कांग्रेस शासन के निजी विश्वविद्यालय विधेयक को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद लगभग 1.5 लाख बच्चे उस विश्वविद्यालय में थे। छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा निजी विश्वविद्यालय थे और रिक्शा में कुलपति चलते थे। एक बार मैंने बताया था कि मैंने एक बार एक लूना देखी, वह पंक्चर बनवा रही थी। उनकी लूना में कुलपति लिखा था। अब यह 20 पहले से सूचीबद्ध है। आप सब का मुख्यालय देखिये कि कहां-कहां हैं ? आप विधेयक

को देखेंगे तो निजीकरण की जरूरत वहां पर क्यों है ? जहां पर ऑलरेडी सारे कोर्स, सारी संस्थाएं मौजूद है। राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, एकात यूनिवर्सिटी गरियाबंद में है, वह भी रायपुर से लगा हुआ है। झाखरपारा में है, ऐसा नहीं है कि आखिरी उड़ीसा बार्डर में है। हमारे जितने छात्र निकलते हैं, उससे ज्यादा यूनिवर्सिटी हो रही है। शिक्षा का लोकव्यापीकरण एक अनिवार्य विषय है। हमने विजन-2047 में कहा है कि 19 प्रतिशत जी.ई.आर. को 50 प्रतिशत तक ले जायेंगे। उस महती लक्ष्य को पाने के लिये भी ये जरूरी है। लोकव्यापीकरण के साथ-साथ क्षेत्रीय असंतुलन एक शब्द और आता है। क्षेत्रीय असंतुलन में सारे निजी विश्वविद्यालय, सारे पढ़ने वाले, सारे लोग यहीं के हैं। बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव के हैं। अब जब हम अनुमति दे रहे हैं तो इस बात को भी जानने और देखने की जरूरत है। निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग है। नियामक आयोग को जो अधिकार दिये गये हैं, इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने दो साल में कितनी बार चेंकिग की है। जितनी वह स्वीकृति देते हैं, उसके जो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट में सेटअप कितने के स्वीकृत हैं और सेटअप के अंदर वहां क्वालीफाईड लोग पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं? आपको बता दूं यहां निजी अस्पताल हैं। माननीय मंत्री जी आप जाकर देख सकते हैं। निजी अस्तपाल के आई.सी.यू. में या क्रिटिकल केयर में आपको बी.ए.एम.एस. वाले बच्चे बैठे मिल जायेंगे। मैं दो दिन से एक पेपर देख रहा हूं। एक निजी विश्वविद्यालय ने पी.एच.डी. की डिग्री दी और उसके बड़े-बड़े विज्ञापन आ रहे हैं। पी.एच.डी. देने की उसके पास गाइड है या नहीं है, गाइड की क्या योग्यता यू.टी.डी. ने निर्धारित है? अभी तो दिल्ली का एक नया विधेयक आ रहा है, जिसमें सारी संस्थायें एक हो जायेंगी। शिक्षा अधिष्ठान विधेयक है। मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि इसको विधेयक में जरूर उत्तर देंगे कि गाइड की अर्हता क्या है और गाइड पी.एच.डी. करवा सकता है या नहीं करवा सकता? निजी विश्वविद्यालय को जिस डिपार्टमेंट में, जिस विषय में पी.एच.डी. कर रहे हैं तो उसके फेकल्टी में कितने दिन कहां काम किये हैं? माननीय सभापति महोदय, तीसरी बात क्या है, उसके कोर्स, केरिकुलम, वह किसका कोर्स मानते हैं? उसके पास कोर्स बनाने की स्थिति है? ए.आई.सी.टी. या यू.जी.सी. इसमें बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो ए.आई.सी.टी. से मान्यता प्राप्त नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो अलग-अलग नेचर की हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, पशु विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, सब तरह की ओपन यूनिवर्सिटीयां हैं। एक ही यूनिवर्सिटी में आल टाइप ए.आई.सी.टी. भी वहीं हैं, पत्रकारिता भी वहीं हैं, फार्मेसी भी वहीं हैं, रूरल डेव्हलपमेंट, टेक्नालॉजी वही हैं, सब चीज वहीं हैं। उसके कोर्स अनुमोदित हैं या नहीं हैं और अनुमोदित है तो स्टेट लेजिस्लेशन से वह बनी है। यू.जी.सी. से उन्होंने मान्यता ली है या नहीं ली है, उसकी डिग्री देश के अन्य हिस्सों में चलेगी या नहीं चलेगी ? यू.जी.सी. से मान्यता लेने के लिए उन्होंने काम किया है या नहीं किया है ? या संबंद्ध संस्थाओं से, नियामक संस्थाओं से उन्होंने अनुमति ली है या नहीं ली है ? या उसको हमारी संस्थायें अनुमति देंगी, इसमें कोई संशोधन हुआ हो ? अब क्षेत्रीय असंतुलन की मैंने बात

की। हम 2030 तक बस्तर को विकसित संभाग बनायेंगे। सरगुजा, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, जशपुर के जी.ई.आर. कितने हैं ? इसमें टेक्नीकल एजुकेशन के छात्रों की संख्या कितनी है, स्किल के लिए छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी है ? यदि इस पर विचार हो सकता है कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है तो हम यह इक्कीसवें यनिवर्सिटी कोलम्बिया को दंतेवाड़ा या जगदलपुर मुख्यालय बनाकर या सरगुजा मुख्यालय बनाकर, जशपुर मुख्यालय बनाकर या जी.पी.एम. जिले में मुख्यालय बनाकर अनुमति क्यों नहीं दे सकते हैं ? जैसे कोटा में है, सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर है, वह कोटा नहीं है। वह सबसे पहले बनी यूनिवर्सिटी में से एक है । अब मैंने तीसरी बात कही, लोकव्यापारीकरण, क्षेत्रीय असंतुलन, कोर्स और जो करवाते हैं उसके बाद व्यवसायीकरण यह जितना फीस स्ट्रक्चर रखते हैं, इसको फीस की कौन अनुमति देता है ? किस कोर्स में वह कितनी फीस रखेंगे ? क्या छत्तीसगढ़ जैसे लो इंकम के स्टेट में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़नी है या नहीं बढ़नी है, मैं हर बार जब बोलने के लिये खड़ा होता हूं तो इस बात को बोलता हूं कि हम कितने को अनुमति देंगे । हमने इतनी सारी संस्थाएं खोली हैं, हम हमेशा गर्व पालते हैं कि हमारे यहां सारे नेशनल यूनिवर्सिटी आ गये । अभी फोरेंसिक यूनिवर्सिटी खुल रही है तो उसके बाद हमें और क्या जरूरत है बल्कि इसकी जगह में बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, सरगुजा संभाग के पांचों जिले हो गए, बिलासपुर के बरवाही हो गए या मानपुर मोहला हो गए, जो नए जिले बने हैं । वहां के छात्रों को हम यह सिर्फ तैयारी नहीं करवा सकते, इसके लिए प्रयास क्यों नहीं करते भई कि उच्च शिक्षा यह कोशिश करे, तकनीकी शिक्षा मंत्री अलग हैं, शायद वह कोशिश करें कि साहब इनमें प्रवेश के लिए जो आवश्यक योग्यताएं चाहिए, वह हम आपको देंगे । क्रेश कोर्स करवाएंगे, extra classes होगी या coaching institute होगी या करियर काउंसलर होगा । निजी विश्वविद्यालय इस तरह के उपाय क्यों नहीं करते हैं ? अब यदि वह विश्वविद्यालय में private university में जा रहा है तो उनको fees देना है, Government की छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं । माननीय मंत्री जी, इसको जरूर क्लियर करिएगा कि इस विश्वविद्यालय में government की छात्रवृत्ति काम करेगी या नहीं करेगी ? जो फिलिंग है और उसकी फीस फिलिंग है, उसके बीच में क्या होगा ? यह जरूर बताइएगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों पर विचार करने की जरूरत है । क्षेत्रीय असंतुलन, लोकव्यापीकरण और उसके बाद व्यवसायीकरण और उसके बाद शिक्षा का स्तर जिसको मैंने बीच में कहा कि उसकी faculty, उसके कैरीकुलम, उसके कोर्स यह किस तरह के हैं इसको जानना जरूरी है और इसको जानने का तरीका यह है कि माननीय उच्च शिक्षा के सचिव, संचालक या नियामक आयोग एक बार तो देखो किसी भी university के कैंपस में कि बाहर से कितनी कंपनियां आईं, आपके प्लेसमेंट का ratio कितना है, आज जितने नए subject हैं, आप इसमें देख लीजिए, जो कोर्स दिखाए हैं, इसमें कहीं पर data science नहीं है, कहीं पर ए.आई. नहीं है, जो नए subjects आ रहे हैं तो नए subject में भी हम अनुमति देते विश्वविद्यालय को, मैं बहुत स्वागत करता, लेकिन सरकारी पक्ष का ट्रेजरी बेंच का

मैम्बर हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा । मैं तो सुझाव दे रहा हूं तो नये सब्जेक्ट ला नहीं रहे हैं तो इसका मतलब क्या है ? अब यह बता दीजिएगा कि बारहवीं पास जो बच्चे हैं, वह कितने प्रतिशत लोग बाहर जाते हैं ? और जब 19 प्रतिशत हमारा जी.आर. है तो बाकी बच्चे कहां जाते हैं ? और निजी विश्वविद्यालय में बारहवीं पास के बाद कितने बच्चे शासकीय संस्थाओं में जाते हैं और कितने बच्चे प्राईवेट में जाते हैं, आपको इसका केल्कुलेशन, अध्ययन करवाना चाहिए । अब इन सुझावों के साथ दूसरा बिंदु, बहुत मेहनत से हम लोगों ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय को अनुमति दी । उसकी जो कॉशन मनी है, डिपॉजिट मनी है उसको भी हमने कम किया था, याद नहीं आ रहा है लेकिन कम किया था । व्यावसायिक यूनिवर्सिटी नहीं है । भारतीय ज्ञान की, सनातन परम्पराओं की शिक्षा देती है, नशा मुक्ति में उसका योगदान है । सोडस संस्कार में उसके योगदान हैं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो आज कुरीति व्याप्त है । धर्मांतरण जैसी, अस्वच्छता जैसी बहुत सारी जो सामाजिक बुराईयां हैं, उसमें उनका योगदान है, देश-विदेश में उसकी संस्थाएं हैं । लाभकारी संस्था नहीं है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से वह जा क्यों रही है ? व्यावसायिक लोग आ रहे हैं, उसकी संख्या बढ़ रही है । जो लाभकारी नहीं है, वह जा रहे हैं। क्या कारण है जो लाभकारी नहीं है वह जा रहे हैं, वह क्यों जा रहे हैं? ऐसी संस्थाओं को पकड़कर लाना चाहिए। साहब, आप यहां रहिये। मैंने एक कोशिश की थी मैं आपको बता देता हूँ, पर उस समय इससे ज्यादा हमारे समाने ज्यादा बड़ी-बड़ी चुनौतियां थीं। माननीय राजनाथ सिंह जी संस्कृत कॉलेज के 50 वर्ष में गये थे, पहली बार किसी संस्था का 50 वर्ष हुआ था। मैंने कहा कि काशी विद्यापीठ की तरह, उत्तरप्रदेश के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की तरह इसको डीम्ड विश्वविद्यालय बनायेंगे या स्वतंत्र विश्वविद्यालय बनायेंगे। हम उसको स्टेट्स देंगे कि हमारा ज्ञान हमारी परम्परा लोगों तक पहुंचे तो हम जिस विचार प्रवाह में चलते हैं तो उस विचार प्रवाह के जो विश्वविद्यालय हैं, वह बाहर जा रहे हैं। वह बाहर मत जाये या चली गयी है आपने वापस कर दिया तो आपको केवल डिलिस्टिंग करनी है। तो आप उनसे बातचीत कीजिए और उनको यहां लाईये। बहरहाल, मैंने बोला कि मैं ट्रेजरीं बेंज का आदमी हूँ, आपके कदमों का समर्थन करता हूँ। लेकिन जिस दिन मैं खड़ा होता हूँ मेरे मन में यह बात जरूर कौंधती है कि इसमें कोई भी नया विषय नहीं है। एक भी। ट्रेडिशनल विषय है पर रोजागरपरख नहीं है। वह सारे saturated हैं पत्रकारिता saturated है, प्रबंधन saturated है । आज सोशल साइंस पढ़कर निकलेगा। आप मुझे अपनी सेवा भर्ती नियम में बता दीजिए कि एक में भी सोशल साईंस शामिल होगा तो। पंचायत सचिव भर्ती करने के लिए सोशल साईंस या एम.एस.डब्ल्यू. शामिल है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मुझे एक भी सेवा भर्ती नियम में बता दीजिये कि यह कोर्स है तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, यदि हम शासकीय सेक्टर की ही बात करते हैं तो। निजी क्षेत्र में कितना फार्मेसी करेंगे, एडमिशन सीट खाली जा रही है। तो यह एक व्यावासायिकरण हो गया, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा लोकव्यापीकरण, क्षेत्रीय असंतुलन, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और उसके बाद व्यवसायिकरण को रोकना, रोजगार मूलक विषय को

लाना, आपकी रणनीति क्या है, आप उत्तर देंगे तो यह स्पष्ट होगा। बहरहाल आप देखिये कि देव संस्कृति जैसे लोग बाहर क्यों जा रहे हैं ? आपके प्रयत्नों का और सरकार के इस कदम का, मैं तो इन अर्थों में लेता हूँ कि हम लोकव्यापीकरण के लिए हम काम कर रहे हैं क्षेत्रीय असंतुलन के लिए काम कर रहे हैं ऐसा अपने मन में संतोष पैदा करके आपके इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद्।

श्री सुशान्त शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है।

माननीय सभापति महोदय, उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से ज्ञान और अनुसंधान की व्यवस्था को उच्च शिक्षा के लक्ष्य प्राप्ति के साथ शासन लगातार इस भूमण्डलीय व्यवस्था में उच्च शिक्षा के समयानुसार आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास छत्तीसगढ़ शासन कर रही है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में उच्च शिक्षा का विस्तार करते हुए सकल नामांकन अनुपात की चर्चा माननीय अजय चन्द्राकर जी ने कर रहे थे। शासन समय-समय पर जी.ई.आर. में वृद्धि का भी सतत् प्रयास करता रहा है। परन्तु शिक्षा का जो बाजारीकरण या आज शिक्षा के जो केन्द्र नोडल सेन्टर फॉर एक्जामिनेशन बनकर रह गये हैं। ऐसे दौर में शासकीय संस्थानों को जो उन्नत करने का प्रयास होना चाहिए, उसमें प्रयास करने की बढ़ाने की और ताकत के साथ लगने की और आवश्यकता है। राज्य शासन अपने इस भगीरथ प्रयास के अंतर्गत प्रदेश के सभी क्षेत्रों में नये-नये महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्थापना लगातार कर रहा है। जैसा कि अपने पूर्व भाषण में माननीय मंत्री उच्च शिक्षा ने कहा था कि राज्य में वर्तमान में 335 शासकीय महाविद्यालय,221 अशासकीय महाविद्यालय, 9 राज्य विश्वविद्यालय तथा 20 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हैं। जिसके माध्यम से राज्य के नागरिक उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तथा राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तत्पर हैं । राज्य शासन अपने इस पवित्र उद्देश्य में युवा वर्ग को अधिकाधिक संख्या में जोड़ने के लिए प्रदेश में नये निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । निश्चित रूप से इसका लाभ क्षेत्र के और छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को प्राप्त होने वाला है, परन्तु एक विषय निजी विश्वविद्यालय और शासकीय विश्वविद्यालय में देखने में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाएं खासकर बीपीएड और एमपीएड जो यूटीडी में संचालित होती हैं, पहले हमारे यहां दो विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय और गुरू घासीदास विश्वविद्यालय होते थे, लेकिन गुरू घासीदास विश्वविद्यालय का केन्द्रीय विश्वविद्यालय में उन्नयन होने के बाद उच्च शिक्षा में खेल के क्षेत्र में जो बीपीएड और एमपीएड किए खेल शिक्षक होते हैं, उनकी नियुक्तियां और राज्य की पीएससी में 1996 के बाद नियुक्तियां आज दिनांक तक लंबित हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से आग्रह करूंगा, हालांकि एक विषय खेल मंत्री जी का भी है और वे सदन में हैं कि खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी पहल होनी चाहिए । साथ ही

साथ यूटीडी में चलने वाले एमपीएड और बीपीएड जो खिलाड़ी निकलते हैं, वे रोजगार के अभाव में घर में और दूसरे कामों में लगे हुए हैं इसलिए आग्रह है कि उनको भी रोजगार के अवसर मिलें । मैं इस सम्मानीत सदन में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्तुत विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की आग्रह करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा (सामरी) :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है, मैं उसका सम्पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहती हूं । साथ ही साथ राज्य में गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना आवश्यक है। प्रदेश के सभी भागों में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु इन क्षेत्रों में विश्वविद्यालय जैसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों की स्थापना की पहल इस विधेयक में की गई है, मैं सदन के माध्यम से इसका स्वागत करती हूं । छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान में सभी क्षेत्रों में नए-नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है । राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु शासन के सराहनीय प्रयासों से उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 9 राज्य शासन के विश्वविद्यालय एवं 20 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जा चुके हैं, साथ ही साथ उच्च शिक्षा को विस्तार देने के क्षेत्र में रूचि रखने वाले सभी नवीन निजी संस्थाओं को इस अवसर पर एक नये निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है ।

सभापति महोदय, नवीन निजी विश्वविद्यालय की स्थापना, छत्तीसगढ़ की निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की अधिसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है । इसी प्रक्रिया के अंतर्गत सदन में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया गया है । इस तरह के विश्वविद्यालय रायपुर संभाग ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के सभी 5 संभागों के आसपास के जो क्षेत्र हैं, विद्यार्थी कौशल विकास में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और वह प्रशिक्षण रोजगार प्राप्त करने में सहायक होगी । शिक्षा के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, वे खेलों में भी आगे बढ़ रहे हैं। इस विधेयक में कई विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। ऐसे विधेयक को शामिल करने के लिए आदरणीय वित्तमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी। अभी हम जिस तरह से विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, मैं सदन के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र के में बताना चाहूंगी कि मेरा क्षेत्र एक दूरांचल और वनांचल क्षेत्र है। मेरे कुसमी विकासखण्ड का एक चांदो क्षेत्र है, वहां के लिए आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी, यहां पर हमारे अधिकारीगण भी बैठे हैं, यहां पर जो विधेयक लाया गया है, उसमें मेरा एक निवेदन है कि चांदो में भी एक महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखती हूं। आज इस संशोधन विधेयक आप लोगों ने भाग लिया। मैं पूरे सदन के माध्यम से इस विधेयक को पूर्ण रूप से समर्थन करती हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) के सम्बन्ध में हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय अजय चन्द्राकर, जो विद्वान सदस्य हैं, उन्होंने क्षेत्रीय संतुलन, लोक व्यापीकरण और शिक्षा की गुणवत्ता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार और सुझाव रखा है। उनका विचार और सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस विषय पर सम्माननीय विधायक सुशांत शुक्ला जी और सम्माननीय उद्धेश्वरी पैकरा जी ने भी अपने-अपने विचार रखें, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, उन्हें बधाई देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, प्रायोजक निकाय जनप्रतिनिधि एजुकेशन सोसायटी छत्तीसगढ़ द्वारा कोलंबिया प्रोफेसनल यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अनुमोदन उपरांत यह प्रदेश का 21वां निजी विश्वविद्यालय होगा। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य शासन वचनबद्ध है। शासन विगत वर्षों में प्रदेश के सामान्य और अनुसूचित सभी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु लगातार प्रयास कर रही है। जिनके परिणामस्वरूप राज्य की स्थापना के बाद शासकीय महाविद्यालयों की संख्या 114 से बढ़कर वर्तमान में 335 हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या 2 से बढ़कर 9 हो गई है। शासन द्वारा निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 द्वारा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। प्रदेश में अब तक 20 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल प्रवेश अनुपात यानि जी.आर. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शासन कृतसंकल्पित है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए समय-समय पर उच्च शिक्षा के नवीन केन्द्र यथा राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालय के साथ-साथ महाविद्यालय स्थापित करने की पहल राज्य शासन द्वारा की गई है। रायपुर जिले के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 10 है। इन विश्वविद्यालयों द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। प्रस्तावित निजी विश्विद्यालय जिले का 11वां निजी विश्वविद्यालय होगा। इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में अन्य निजी विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली पाठ्यक्रमों की प्राथमिकताओं से भिन्न पाठ्यक्रमों को संचालित करने का प्रस्ताव है। प्रायोजक निकाय जनप्रतिनिधि एजुकेशन सोसायटी द्वारा कोलंबिया इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कोलंबिया कॉलेज, कोलंबिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, कोलंबिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कोलंबिया इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी तथा कोलंबिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग जैसे उत्कृष्ट संस्थाओं का सफल संचालन किया जा रहा है। उक्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत शिक्षार्थियों को उनके चयनित क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में विश्वविद्यालय मार्गदर्शक सिद्ध हुआ है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय को अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी, वास्तु शिल्प डिजाइन जैसे महत्वपूर्ण और समीचीन पाठ्यक्रमों के साथ संचालित करने का

प्रस्ताव है, जिससे प्रस्तावित विश्वविद्यालय रायपुर और रायपुर के आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों में कौशल विकास करेगा और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान करेगा। प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय एक अनुभवी और कुशल नेतृत्व वाले निकाय के संरक्षण में संचालित होगा, जिससे इनमें अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को अध्ययन में सुविधा और लाभ होगा। माननीय सभापति महोदय, हम सबको ज्ञात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भी स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले शिक्षा पर जोर दिया गया है। प्रायोजक निकाय द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप ही विशिष्ट और अधिक रोजगार परक विषयों के संचालन का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे राज्य के युवाओं को कुशल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। प्रायोजक निकाय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम जैसे अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, वास्तु शिल्प, डिजाइन, विज्ञान, व्यवसाय, प्रशासन, वाणिज्य, प्रबंधन विथ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस फार्मेसी, pharmaceutical, विधि एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग, पत्रकारिता जनसंप्रेषण मीडिया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, एप्लाइड आर्ट्स, होटल प्रबंधन, अतिथि सत्कार, पर्यटन, यात्रा, पुनर्वास, विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके पाठ्यक्रम एमफिल, पी.एच.डी. और अन्य अनुसंधान केवल नियमित पाठ्यक्रम में पत्रोपाधि एवं रोजगार मूलक शिक्षा से संबंधित है। इन विषयों का अध्ययन प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायक होगा। सभापति महोदय, राज्य में 21वीं निजी विश्वविद्यालय के रूप में कोलंबिया प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना किया जाना है। अतः यह संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है। मैं सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 को सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 29 सन् 2025) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 29 सन् 2005) पारित किया जाय।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 29 सन् 2005) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 (क्रमांक 30 सन् 2025)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 (क्रमांक 30 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ की सामाजिक स्थिति एवं छत्तीसगढ़ की राजनीतिक स्थिति के विषय में कहना चाहूंगा। भौगोलिक स्थिति का मतलब यह है कि नदी, पहाड़, जंगल सब प्रचुर मात्रा में, कच्चे माल सब प्रचुर मात्रा में है। राजनीतिक स्थिति का आशय यह था कि जहां प्रचुर संसाधन है, उसका कैसे सम्यक दोहन हो, वह वातावरण कैसे बने, उसके लिए कोई कदम नहीं उठाये गये और परिणामस्वरूप समझ लीजिये कि लगभग साढ़े चार-पांच दशक से नक्सल समस्या एक बड़े भू-भाग पर हावी है। जिस पार्टी ने लंबे समय तक शासन किया है, उसके लिए छत्तीसगढ़ एक उप निवेश की तरह थी। यहां के संसाधन, यहां की बिजली, यहां की पानी, सबका हमने दूसरे भू-भाग के लिए उपयोग किया है। बड़ी कोशिश हुई और टाटा कंपनी को लाया गया कि बस्तर के बेरोजगारी को दूर करें, बस्तर के संसाधनों का उपयोग करें। आज भूपेश बघेल जी नहीं हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक उपलब्धि में इस बात को स्वीकार किया था कि हमने टाटा को वापस कर दिया। वह क्या बोलते थे कि हमने टाटा की जमीन को वापस कर दी। टाटा नाम के पर कभी जमीन चढ़ी ही नहीं थी। उन्होंने कितने पेड़ काटने की अनुमति दी और अभी कितने

पेड़ काटने की अनुमति हुई? मैंने बहुत ईमानदारी और बेबाकी से इस बात को कहा था कि हमें इस भ्रम से दूर रहना चाहिए कि यहां 44 प्रतिशत जंगल है। सभापति महोदय, यह तथ्य ऐसे हैं, जो छत्तीसगढ़ को पीछे करते रहे हैं। चाहे 15 साल में लैंड बैंक बनाने का काम हो। भूपेश बघेल जी ने बड़ी आलोचना की कि उद्योगों के लिए बैराज बना है। हमने उद्योगों के लिए बैराज बनाया था, आप विरोधी थे तो आप निवेश लाने के लिए हार्वर्ड क्यों गये थे? निवेश से छत्तीसगढ़ कैसे बदनाम हुआ? राईस मिल से जुड़ा 120 रूपये का मामला था, उसमें खुले तौर पर जांच हो रही है और आज वह एजेंसी का विरोध कर रहे हैं। जितना पैसा हमारा, उतना पैसा तुम्हारा, खुले खेल का रूखा बाजी। कोई शर्म, संकोच, शर्म-ओ-हया नहीं। एम.ओ.यू. किये तो आप प्रति टन इतना छूट ले लेना। चाहे उन्होंने बेमेतरा में एम.ओ.यू. किया हो, रायपुर में एम.ओ.यू किया हो, उसमें उनका रेट फिक्स था कि किसी चीज में इतना करोगे तो इतना पैसा दो और छूट कितने साल के लिये लेना है, उसको लिखकर दे दो । उद्योग नीति को पोंगरी बनाकर उसी स्थान पर रख दो । आप किसी से भी पूछ लो । छत्तीसगढ़ में जो निवेशक आये, उसको अलग-अलग बात करना पड़ता था । उप-सचिव से बात करनी है, सलाहकार से भी बात करनी है, सलाहकार अलग-अलग लेवल में थे, अलग-अलग निगोशियेशन करते थे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी तक जाता था । कुलमिलाकर छत्तीसगढ़ मजाक का एक केन्द्र बन गया था, गंभीरता खत्म हो गई थी । सबसे गंभीर बात तब हुई, जब ब्यूरोक्रेसी जिसको सरदार पटेल जी स्टील फ्रेम कहते थे, यह बनाऊँगा करके संकल्प व्यक्त किये थे । ब्यूरोक्रेसी में भी पालिटिशियन बनने की होड़ लग गई कि हम जेल जायेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा । भूतपूर्व और वर्तमान दोनों लोग लाईन में लगे थे और अभी भी अंदर बाहर है, लेकिन जब विष्णु देव की सरकार आई दूसरे राज्य जो निवेश ला रहे हैं, देश के दूसरे क्षेत्रों में जो निवेश हो रहा है, छत्तीसगढ़ प्रतिस्पर्धा में कैसे खड़ा हो, अभी दिल्ली की सरकार ने श्रम कानूनों में संशोधन किया । आज दुनिया में एक होड़ है कि हमारा व्यापारिक असंतुलन घटे, हमारे यहां निवेश आये, इस बीच में छत्तीसगढ़ गायब हो गया था । जब से विष्णु देव जी की सरकार आई तो केन्द्र सरकार ने सब राज्य को कहा था कि जनविश्वास कानून आप लाईये । यह छोटा सा विधेयक है और पहले भी आ चुका है । लगभग 14 अधिनियमों के प्रावधानों को सरलीकृत किया गया । जो सजा के प्रावधान थे, उसे शास्ति में बदला गया कि 5 हजार है तो 1 हजार कर देते हैं, 1 हजार है तो 2 हजार कर देते हैं, इस तरह हुआ । लेकिन अनावश्यक चीजों से एक भय का वातावरण निवेशकों के लिये, बाहर से आने वालों के लिये निर्मित हो, इससे यह अधिनियम सुरक्षा देता है । मैं तो कहता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ के हित चाहने वाले हैं, वह आज का दौर है कि निवेश सबसे प्राथमिक काम हो गया है और बहुत सारे क्षेत्र हैं, अब तो परमाणु उर्जा जैसे क्षेत्र, स्पेश जैसे क्षेत्र को भी भारत सरकार निजी क्षेत्रों के लिये खोल रही है । रक्षा के क्षेत्र को, इसमें निजी क्षेत्र के साथ मिलका बड़ा कॉरोडोर नोएडा में बन रहा है । रक्षा का निर्यात 1-2 हजार करोड़ होता था, वह 40 हजार करोड़ से ऊपर हो गया है । नई चीजें जो आ रही है, हमने भी सेमी

कंडक्टर के लिये प्रयास किया है । शिलान्यास हो गये हैं । एआई में काम शुरू हो रहा है । डाटा साईन्स पढ़ाना शुरू कर रहे हैं । यह जो पहल हुई, नगरनार चालू हुआ, अब उसमें संशोधन, मैं एकाध को पढ़ देता हूँ । जैसे छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित 2005, 14 अधिनियमों को पढ़ूंगा तो समय लगेगा ।

सभापति महोदय :- यहां पर एक दो प्रमुख को पढ़ दो । 14 मत पढ़ो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जैसे राजिम कुंभ । राजिम कुंभ में क्या 3 माह की सजा और 5 माह की सजा है । धर्मशाला बनाने आयेगा, अनजाने में दो फीट ज्यादा कर दिया तो धर्मशाला बनाने वाला क्या करेगा । मानलो टेंट सिटी वाले आये, कल्प के लिये नदिया में टेंट सिटी लगेगी । अब वह आजू-बाजू लग गई तो उसमें सजा हो जायेगी, तब तो वह टेंट सिटी वाले ही नहीं आयेंगे । राजिम मेला में यह था कि प्रथम अपराध में दोष सिद्धि पर पांच हजार, द्वितीय के लिये 10 हजार, तृतीय के लिये साधारण कारावास तीन महीने हो सकेगी या जुर्माने से 10 हजार हो सकेगा या दोनों प्रतिस्थापित किया जाये । इससे पहले यह बात नहीं थी । इसी तरह सभी अधिनियम में सरलीकृत किया गया, 14 के 14 अधिनियमों में । माननीय लखन देवांगन जी प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक जिले से आते हैं । हम तो उस जिले से हैं जहां न हमारा जिला मुख्यालय है न औद्योगिक क्षेत्र है, हम आपसे रोज जद्दोजहद करते रहते हैं कि बिजली लगवा दो, पानी लगवा दो, हमारे यहां भी बन जाये । एक समझदार मंत्री, जो सबसे बड़े औद्योगिक जिले से आते हैं, उसके कार्यकाल में 7 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश छत्तीसगढ़ में आ चुका है, दो साल हुए हैं। मैं आपको और आपके विभाग को बधाई देता हूं, ये विधेयक देर से लाया गया, इसको और जल्दी लाना चाहिए था। मैं तो यह कहूंगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए या ईज ऑफ लिविंग की दिशा में और सरलीकरण करने की जरूरत है तो और कीजिए क्योंकि हम दौर से बाहर हो जाएंगे। आप यह नोट कर लीजिए कि आपके कार्यकाल में हम गुजरात, तमिलनाडू, महाराष्ट्र नहीं गिनेंगे, इन तीनों से उपर भी छत्तीसगढ़ होगा, इस संकल्प के साथ उत्तर दीजिए। हम ये वातावरण छत्तीसगढ़ में बनाकर जाएंगे, ये बुनियाद हम छत्तीसगढ़ में डालकर जाएंगे, ये संकल्प लीजिए। सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री नीलकंठ टेकाम जी, आप भी शार्ट में बोल लीजिए।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, जन विश्वास विधेयक जैसे कि नाम से ही चरितार्थ है। 3 करोड़ जनता और इस राज्य को जानने वाले हर व्यक्ति के मन में हमारा छत्तीसगढ़ एक उभरता राज्य के प्रति विश्वास और आस्था की गति से बढ़ने लगी है, मतदाताओं ने अनजाने में भूल चूक वश 5 साल बीच में कांग्रेस को मौका दे दिया। कांग्रेस को ऐसा लगा कि हमको फिर से विरासत 15, 20 साल के लिए मिल गई। इसलिए उन्होंने वे तमाम हदें पार कर दीं, जो कि इंसानियत के किसी भी परिभाषा में इस राज्य को शर्मिंदा किया, इस राज्य का जो अभिमान है, स्वाभिमान है, उसको नीचे गिराने का काम किया। चाहे पी.एस.सी. का मामला हो, चाहे शराब घोटाला हो,

चाहे कोल का घोटाला हो, लोग इतनी मेहनत करके भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद पर पहुंचते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम अगर कहीं पर हुआ है तो इस छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। मुझे आपको ये बताने में भी कभी गुरेज नहीं होगा कि कुछ साल पहले जब मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में काम कर रहा था, जब हम देश भर के आई.ए.एस. ऑफिसरों के बीच में खड़े होते थे, जब हमारा परिचय जाता था तो वे हमारा मजाक उड़ाते थे। मैं इन्हीं 5 सालों के कार्यकाल के बारे में बता रहा हूं। ऐसी स्थिति में आज फिर से एक दौर वापस आया है। जैसे अभी हमारे चंद्राकर जी बता रहे थे, टाटा स्टील प्लांट जो बस्तर की तकदीर और तस्वीर को बदलने का एक सशक्त माध्यम था, मैं उस समय वहां पर एस.डी.एम. के रूप में, ए.डी.एम. के रूप में काम कर रहा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। हमने लोगों को भरोसा में लेने के लिए दिन रात एड़ी चोटी एक कर दी थी और टाटा जैसे एक विशाल घराने का वहां पर पदार्पण होना था लेकिन एक छोटी सी स्वार्थ के कारण बस्तर को और पीछे ढकेलने का उद्देश्य लेकर टाटा स्टील प्लांट का विरोध किया गया और आज एक असत्य तस्वीर बनाई गई कि हमने जमीन लौटा दी। जमीन कभी भी पूरी तरीके से कब्जे में नहीं ली गई थी, केवल एक मजाक का विषय बना दिया गया था। ऐसे समय में इस कानून के माध्यम से जो कि 13, 14 प्रक्रार के कानून हैं, जैसे आम धारणा होती है, व्यक्ति पंचायत के कार्यालय में धड़ल्ले से घूस जाता है, व्यक्ति नगर पंचायत में घूस जाता है, नगरपालिका में घूस जाता है लेकिन आप कभी ध्यान देंगे, थाने के अंदर डायरेक्ट घूसने से दस बार सोचते हैं, एस.डी.एम. के ऑफिस में घूसने के लिए पहले दस बार सोचता है, कलेक्टर के कार्यालय में घूसने से पहले दस बार सोचता है, आखिर क्यों ? जबकि जनतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता सर्वोपरि होती है। जनता को जनार्दन का दर्जा दिया जाता है और इसी वजह से जनता को किसी भी प्रकार के अपने व्यापारिक व्यवहार में, अपने सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए, यह उसका मौलिक अधिकार है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य कौन हो सकता है, एक कल्याणकारी राज्य वही हो सकता है जो अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण तैयार करे। एक स्वस्थ वातावरण कब तैयार होगा, जब अनावश्यक नियम और कानून की जो पेचिदगियां हैं, उनका सरलीकरण होगा। जो नियम व कानून हमको नहीं भाता है, उसको समझते हुए कि वह जनता के लिए कैसे सरल हो सकता है, उसके बारे में विचार करना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक चिंतन का विषय रहा है। इसी वजह से यह नारा लगातार बुलंद होता जा रहा है कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी का एक हिस्सा यह जन विश्वास विधेयक है, जिसमें एक कड़ा कानून है। छोटी-छोटी बातों को लेकर जो कानून बने थे, जिसका कोई मतलब नहीं है और जिसकी वजह से एक खौफ का वातावरण था। ऐसा खौफ जैसा कि बस्तर में हुआ करता था।

समय :
2.02 बजे

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुई)

माननीय सभापति महोदया, मेरे साथ यहां पर उस क्षेत्र के बहुत से विधायक बैठे हुए हैं। सम्माननीय मण्डावी जी बैठे हैं, बघेल साहब बैठे हुए हैं। रात में अगर कभी घर के आसपास कुत्ता के भौंकने की आवाज आ जाए तो पूरा परिवार उठकर बैठ जाता था कि नक्सलाइड आसपास में ही है और निकल रहे हैं। अगर कोई सूखी पत्ती के ऊपर पैर रख दे और उसकी आवाज आ जाए तो धड़कनें बढ़ जाया करती थीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, माननीय केन्द्रीय गृहमंत्री, हमारे वित्तमंत्री जी, हमारे गृहमंत्री जी, पूरी सरकार और जनता की एक दृढ़ इच्छा शक्ति ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया कि हमारी आंखों के सामने नक्सलाइड नाम का जो जीन था, वह जीन उड़कर समाप्त हो गया है। वह ऐसे समाप्त हो रहा है, जैसे हमारे गांव में गांव के लोग मंदरस झाड़ने जाते हैं। मंदरस निकालने से पहले उसको आग लगाया जाता है और जब आग लगाते हैं तो पूरी मक्खियां उड़कर मर जाती हैं। ऐसे ही नक्सलाइड या तो पूरी तरीके से खत्म हो गये या सरेण्डर कर गए या फिर इतनी दूर चले गये कि वह दुबारा लौटकर आने का भी ख्वाब नहीं देख सकते हैं। यह कैसे संभव हो पाया है? इसके पीछे जन विश्वास की एक भावना है।

आदरणीय सभापति महोदया, देश के गृहमंत्री जब बस्तर ओलम्पिक में 300 से ज्यादा समर्पित नक्सलाइड बच्चों व नवजवानों को उनके सामने से सफेद शर्ट में गुजरते हुए देख रहे थे तो उनकी आंखों में एक गजब का आत्मविश्वास था, एक गजब की संतुष्टि देखने को मिल रही थी। बस्तर के टैलेंट के बारे में उन्होंने गौर किया कि नारायणपुर के मलखम्भ के बच्चों की जो अदायगी थी, उसको देखकर वह स्वयं हैरान हो गये। ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है कि हमारी जो संवेदनशील सरकार है और वह जनता की नब्ज को समझ रही है। यह नब्ज को समझने का काम हमारे चाउर वाले बाबा, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जो आज हमारे विधान सभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस नब्ज को समझा था। लोगों की गेन कैपिसिटी इतनी नहीं थी कि वह 7 रूपये, 8 रूपये और 12 रूपये में चावल खरीद सके, इसलिए उन्होंने 1 रूपये और 2 रूपये में चावल देने की योजना बनाई। आप यकीन मानिये कि उसी दिन से छत्तीसगढ़ का जो भाग्य है, छत्तीसगढ़ के जो रहवासी हैं, उनके चेहरे में चमक आने लगी। किसानों को जीरो परशेंट ब्याज में लोन देने का अगर किसी ने यह साहस और एक प्रायोगिक प्रयोग किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जहां पर सायकलें नहीं हुआ करती थीं, आज ऐसे गांवों में हर घर में मोटर सायकल है, हर घर में ट्रैक्टर है, हर घर में थ्रेसर आ गया है। यह बदलाव कैसे हुआ है ? इस बदलाव के पीछे जो एक रणनीति थी, एक जनविश्वास को लेकर नियम बना। लोगों को बिना ब्याज के लोन देने का सिस्टम चालू हुआ और इसका फायदा इस राज्य की जनता को हुआ है। ऐसे ही हमारी

सरकार के माध्यम से यह संशोधन लाया गया है। यह बहुत ही व्यावहारिक संशोधन है जिसमें लोगों को एक खुली आबोहवा में काम करने का मौका मिलेगा। काम में किसी प्रकार की अड़चन नहीं होगी और किसी प्रकार का भय का अंदेशा नहीं रहेगा। अगर कोई छूटपुट गलतियां, मानवीय भूल हो भी जाती हैं तो उसको उसे सुधारने का मौका दिया जायेगा। मैं इन सारे कानून को पढ़कर बताऊंगा तो बहुत टाईम लग जायेगा। लेकिन हर गलती को सुधारने का मौका देने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है इसलिए मैं आप सभी से और यहां पर मौजूद हमारे सभी विधायक साथियों से भी निवेदन करूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में यह जन उपयोगी जनसुविधा का जो रास्ता प्रशस्त हो रहा है, उसका मैं और आप सभी लोग समर्थन करें। यह विधेयक के रूप में हमारे सामने आया है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते (प्रतापपुर) :- माननीय सभापति महोदया जी, मैं जनविश्वास विधेयक, 2025 के समर्थन में अपने विचार रखना चाहती हूं। माननीय सभापति महोदया, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, जहां की शान आदिवासी, लघु व्यापारी, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि छोटी-मोटी प्रक्रियागत त्रुटि के कारण इन वर्गों को नोटिस, मुकदमे और आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, जिससे उनमें भय और असंतोष पैदा होता है। जनविश्वास विधेयक, 2025 ऐसे ही प्रावधानों को सरल बनाकर जेल की सजा के स्थान पर आर्थिक दण्ड और प्रशासनिक समाधान का रास्ता खोलता है। जन विधेयक छत्तीसगढ़ और ऐसे राज्य के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जहां दूरस्थ अंचलों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्यायालय तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है।

माननीय सभापति महोदया, इस विधेयक में छत्तीसगढ़ के छोटे उद्योग, लघु वनोपज से जुड़े उद्योग, स्टार्टअप ग्रामीण बाजार और स्वयं सहायता समूहों को बड़ा लाभ मिलेगा। इससे न केवल व्यापार में सुगमता बढ़ेगी बल्कि स्थानीय रोजगार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। यह विधेयक शासन और जनता के बीच भरोसे की भावना को मजबूत करेगा और प्रशासन को दण्डात्मक नहीं बल्कि सहयोगी भूमिका में स्थापित करेगा। इस विधेयक के संबंध में लगभग 14 अधिनियमों में संशोधन लाया गया है।

माननीय सभापति महोदया, मैं शिक्षा के विषय पर बोलना चाहती हूं। जन विश्वास विधेयक, 2025 छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1961 के तीन प्रावधानों को हटाकर अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित विलोपन के द्वारा यह विधेयक Ease of living को अग्रसर करता है। माननीय सभापति महोदया, जैसा कि इस समय उपस्थित सभी सभागणों को ज्ञात होगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 भारत सरकार का केंद्रीय कानून है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यह नियम सुनिश्चत करता है कि कोई भी बच्चा आर्थिक और सामाजिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे इसलिए विद्यालयों की गुणवत्ता, शिक्षक, छात्र, अनुपात और बुनियादी सुविधाओं के मानक तय किये गये हैं। इस कानून का

उद्देश्य शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना और समान अवसर प्रदान करना है ताकि हर बच्चा सशक्त और शिक्षित नागरिक बन सके।

माननीय सभापति महोदया, किसी भी कानून की शक्ति उसकी स्पष्टता और प्रासंगिकता में निहीत होती है। पुरानी और आपस में दोहराये गये प्रावधानों को बनाये रखना, केवल भ्रम पैदा करता है और प्रभावी शासन में बाधा डालता है। इन अनावश्यक धाराओं को हटाकर हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारा कानूनी ढांचा सुव्यवस्थित, प्रगतिशील और आधुनिक शिक्षा की आश्वयकताओं के अनुरूप रहे। आईये हम यह निर्णायक कदम उठायें ताकि हमारे कानूनों में दक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप सभी इस कदम का समर्थन करें ताकि एक मजबूत और भविष्योन्मुखी प्रणाली स्थापित हो सके।

सभापति महोदया, अंत में मैं इस सदन से आग्रह करती हूं कि हम सभी सदस्य छत्तीसगढ़ की जनता के हित में जनविश्वास विधेयक, 2025 का समर्थन करें ताकि हमारा राज्य न्यूनतम दण्ड, अधिकतम विश्वास और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ सके, धन्यवाद।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदया, छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 (क्रमांक 30 सन् 2025) हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि यह मेरे लिए अत्यन्त गर्व का क्षण है कि मैं सदन के समक्ष छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 प्रस्तुत कर रहा हूं। यह विधेयक हमारे विश्वास आधारित शासन के लिये निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। विश्वास आधारित शासन निरंतर प्रयास का प्रमाण है। हम विश्वास करते हैं कि आम जनता कानून के पालन की मंशा रखती है। यह भी हमारा विश्वास है कि किसी कानून का उल्लंघन करने वाले लंबा न्यायिक प्रक्रिया की कारावास अवधि को जोर डाले बिना सुधार किया जा सकता है। इसमें हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य माननीय अजय चन्द्राकर जी, नीलकंठ टेकाम जी, सम्माननीया बहन शकुतला सिंह पोर्ते जी ने भी अपना सुझाव रखा। छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 एक नवीन विधेयक है। इसके नाम में प्रावधानों में संशोधन इसलिए जुड़ा है क्योंकि इसके द्वारा राज्य के 14 अधिनियमों की 37 धाराओं के तहत 116 प्रावधानों को संशोधन किया जा रहा है। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेश के तहत बिजनेश के लिये नोडल विभाग वाणिज्य उद्योग विभाग में मंत्री परिषद द्वारा इस विधेयक के लिये वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को अधिकृत भी किया है। विधेयक में शामिल संशोधन ईज ऑफ डूइंज बिजनेश के लिये प्रस्तावित किये गये हैं। विधेयक में शामिल सभी अधिनियमों प्रशासकीय विभाग से प्रशासकीय अभिमत एवं सहमति प्राप्त की गई है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा इसका विधिक परिमार्जन भी कराया गया है। एक सामान्य उद्देश्य के लिये यह अधिनियम के लिये अलग-अलग संशोधन अधिनियम लाने के बजाय एक

विधेयक लाना सदन के बहुमूल्य समय की बचत और अच्छा कदम है। माननीय सभापति महोदय, कानून के सुधार की दिशा में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने वर्ष 2014 से लगातार कार्य किये हैं। वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने पुराने जमाने के लगभग डेढ़ हजार कानून को खत्म किया है। पुराने आई.पी.सी., सी.आर.पी.सी. लक्ष्य अधिनियम के स्थान पर नवीन कानून बनाये गये हैं। केन्द्र सरकार के कई कानून में अपराधीकरण प्रावधानों को बदलने के लिये संसद से जन विश्वास प्रावधान में संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है। अब केन्द्र जन विश्वास अधिनियम प्रावधानों में संशोधन 2020 विधेयक विचाराधीन है।

समय
2.14 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत 02 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कई सुधार किये हैं। मैं इस सदन को एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं कि हमने मानसून सत्र में छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2025 पारित किया एवं विकास की एक नई दिशा को शुभारंभ किया। राज्य के कानूनों में प्रावधान के गैरअपराधीकरण के लिये इस तरह के संशोधन करने में मध्यप्रदेश के बाद हम दूसरे राज्य बने हैं। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से हमें राज्य के 8 कानूनो में कुल 163 को अपराधीकरण की श्रेणी से मुक्त किया था। अब दूसरी बार इस तरह के विधेयक पारित करने वाले हम पहले राज्य बनने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी क्रम में हम छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधान संशोधन द्वितीय विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके अंतर्गत 11 विभागों के 14 अधिनियमों में 116 प्रावधान को अपराधीकरण की श्रेणी से मुक्त किया जा रहा है । इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी आम नागरिक, संस्था या व्यापारी केवल तकनीकी या प्रतीकात्मक चूक के लिए आपराधिक कार्रवाई के डर में न रहे, अप्रशासनिक कार्रवाईयों के माध्यम से ऐसी मामूली चूकों का समाधान किया जा रहा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कानूनी सुधार के मुकदमेबाजी में कमी आएगी जो न्याय पालिका में बढ़ते दबाव को कम करने के लिए बहुत आवश्यक है । साथ ही कानून की पालन प्रक्रियाएं भी त्वरित होगी, बिना कोर्ट-कचहरी और जेल में समय गवाए, उल्लंघन करने वाले अपनी त्रुटियों को सुधारने का अवसर पा सकेंगे । उल्लंघन के विरूद्ध में सोच बनी रहे इसके लिए समुचित शास्ति की राशि लिखी जा रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक राज्य में सुशासन, निवेश, आकर्षण, न्यायिक प्रणाली की सजगता, नागरिक केंद्रित प्रशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है इससे न केवल ease of doing business में वृद्धि होगी बल्कि आम जनता के ease of living में भी बढ़ोत्तरी होगी । छोटे

व्यापारियों, उद्यमियों, सरकारी संस्थाओं, आम नागरिकों के लिए शासन की अधिक सुलभ भरोसेमंद बनाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंत्रिमंडल के सभी साथियों के साथ-साथ, हमारे सभी माननीय विधायकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस विधेयक की आवश्यकता को समझते हुए कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किया है । इस 14 कानून के प्रशासकीय 11 विभाग से समन्वय का आशीर्वाद इस विधेयक के निर्माण में प्राप्त हुआ है उससे मैं अभिभूत हूँ, मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि इस जनमुखी विधेयक को पारित कर छत्तीसगढ़ के एक भरोसेमंद प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित करने में सहयोग प्रदान करें, धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 (क्रमांक 30 सन् 2025) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 2 से 4 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 (क्रमांक 30 सन् 2025) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 (क्रमांक 30 सन् 2025) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में पद क्रमांक-6, सम्मिलित अशासकीय संकल्प को आगामी सत्र में लिया जायेगा । मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी)

समय

2.20 बजे **नियम-167(1) के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना**

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य, श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा द्वारा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 04/2025 दिनांक 17.11.2025 को विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

समय

2.21 बजे **स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि हेतु निर्वाचन**

अध्यक्ष महोदय :- स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि के लिए निर्वाचन हेतु एक सदस्य के नाम का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अत: मैं श्री सुनील कुमार सोनी को उक्त समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

समय

2.21 बजे **राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम" के 150 वर्ष पूर्ण होने पर चर्चा**

अध्यक्ष महोदय :- आज इस सदन के लिए ऐतिहासिक दिन है। जो इस सदन में हमेशा-हमेशा के लिए याद किया जायेगा। उस दौर की बात और आज हम छत्तीसगढ़ की विधान सभा की इस चर्चा में वन्दे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब मैं वन्देमातरम् की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय समाज में इस गीत के प्रभाव का संक्षिप्त उल्लेख करना चाहूंगा।

माननीय सदस्यगण वन्दे मातरम् केवल एक गीत नहीं है, स्वतंत्रता आन्दोलन की ऊर्जा है। आजादी की लड़ाई में सेनानियों की प्रेरणा और राष्ट्र प्रेम की भावना के संचार का माध्यम भी रहा है। 1870 के दशक में महान साहित्यकार बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित गीत को 1882 में आनन्द मठ में स्थान मिला। 20 वीं सदी की शुरूआत में यह गीत आजादी की आशा रखने वाले हम भारतवासियों की आवाज बन गया। वन्दे मातरम् का जन्म एक सांस्कृतिक संघर्ष के लिए हुआ। 1857

की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश शासन ने भारत में घर-घर अपना राष्ट्र गान गॉड दा सेव को थोपने का प्रयास किया तब बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय जी ने उनके समक्ष वन्दे मातरम् के माध्यम से भारत की अस्मिता, भारत के गौरव को संरक्षित करने का काम किया। वर्ष 1896 में गुरूदेव रविन्द्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में वन्दे मातरम् गया। यह वन्दे मातरम् के प्रति गुरूदेव का प्रेम था, लेकिन इसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंग भंग की विभिषिका को आप जानते हैं, उसके पीछे के षड़यंत्र को जानते हैं उसके पीछे अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल को जानते हैं । इस देश को विभाजित करने के लिए साम्प्रदायिक आधार पर देश को आजादी के पहले ही विखण्डित कर देने का सपना अंग्रेजों ने देखा था और बंग भंग के 1905 के बाद जब बंगाल का विभाजन हुआ तो देश को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने एक खतरनाक प्रयोग किया। लेकिन उस समय वन्दे मातरम् इस विभाजनकारी योजनाओं के बीच चट्टान की तरह खड़ा रहा। जब वन्दे मातरम् हर भारतीय की जुबान बनने लगा तब ब्रिटिश हुकूमत ने इस गीत से जागृत होती राष्ट्र प्रेम की भावना को समझकर 1905 से 1908 के बीच प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं उन अमर बलिदानियों को स्मरण करना चाहता हूँ जिन्होंने इस गीत से प्रेरित होकर आजादी की लड़ाई में भाग लिया और अपने प्राणों को मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। उन अमर शहीदों को याद करने का अवसर है शहीद खूबीराम बोस, शहीद मदनलाल ढिंगरा, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जैसे सैकड़ों अमर शहीदों ने उन अंतिम क्षणों में वन्दे मातरम् का उद्घोष करते हुए हंसते-हंसते देश के लिए अपना बलिदान दिया। यह देश का दुर्भाग्य है कि राष्ट्र की चेतना और आत्मा के इस गीत वन्दे मातरम् के जब 50 वर्ष पूरे हुए तब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। जब वन्दे मातरम् के 100 साल पूरे हुए, आपातकाल थोपा गया था। लेकिन आज 150 वर्ष पूरे होने पर देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार है । यह देश का सौभाग्य है कि हम जहां पर राष्ट्रगीत को गौरव के साथ चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं । गांव-गांव तक, गली-गली तक जोश के साथ, उत्साह के साथ, पूरी चेतना के साथ इस वंदे मातरम् को दोहराने का काम हो रहा है । मुझे लगता है कि अपने इतिहास पर गौरव करने के साथ-साथ यह चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि आज हम नये युग, नये भारत की ओर बढ़ रहे हैं । जिस तरह वंदे मातरम् ने 1870 के दशक में स्वचेतना, स्वतंत्रता, स्वाधीनता की भावना को भारत भूमि में प्रसारित किया । आज पुन: एक नव भारत के निर्माण में एक राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रगीत के लिए स्व जागरण की आवश्यकता है और यह स्व जागरण तब संभव होगा, जब भारत के नागरिकों के बीच हम इस धरती की तरफ से अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यबोध से परिचित होंगे । आज भारत में कोई बाहरी ताकत नहीं है, लेकिन इस नव भारत को स्वदेशी और आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ाते हुए वैश्विक पटल पर एक नये आयाम स्थापित करना है । आज माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत न केवल अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है, बल्कि अपनी विस्मृत संस्कृति, अपने गौरव को पुन: स्थापित करने में लगा हुआ

है । आज का यह दिन हमारे विधान सभा के लिए एक अवसर है । हम राष्ट्र की चेतना के पुन: जागरण में सम्मिलित हों, यह अवसर है, जब हम अपनी संस्कृति, गौरव को पुन: स्थापित करने का प्रयास करे । यह अवसर है, जब एक स्वर से एकत्रित होकर नवभारत के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें और वंदे मातरम् को जिस भावना के साथ हमारे पूर्वजों ने प्रेरित किया, उसी को हम आत्मसात करें ।

मैं आप सभी सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि आज वंदे मातरम् की यह चर्चा राजनीतिक शिष्टता के अनुरूप छत्तीसगढ़ की विधान सभा में सकारात्मक संवाद स्थापित करेगा । आप सभी सदस्यों से मैं आग्रह करूंगा कि आज की चर्चा महत्वपूर्ण चर्चा है । सभी सदस्य इसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी भावना को प्रकट करें, बात करें और इस चर्चा को शुरू करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी से आग्रह करूंगा ।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की 150 जयंती पर आज छत्तीसगढ़ विधान सभा में विशेष चर्चा का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की गौरवगाथा का स्मरण करना प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व का विषय है । मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने वंदे मातरम् की 150 जयंती का इतने भव्य रूप से आयोजन किया और इस राष्ट्रगीत के सम्मान में संसद में चर्चा भी रखी ।

अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम् गीत सिर्फ गीत नहीं है, यह राष्ट्रीयता और देश प्रेम का वह जज्बा था, जिसकी कल्पना से अंग्रेजी हुकूमत कांपती थी । भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव और खुदीराम बोस जैसे अनेक क्रांतिकारी वंदे मातरम् कहते हुए भारतमाता के लिए सूली पर चढ़कर शहीद हो गए । मैंने वह दौर भी देखा है, जब वंदे मातरम् ने अपना शताब्दी वर्ष पूरा किया था । उस समय पूरे देश में आपातकाल लगा था । लोग आपातकाल का विरोध कर वंदे मातरम् के नारे लगा रहे थे, उन्हें जेलों में ठूंसा जा रहा था । होना यह चाहिए था कि वंदे मातरम् के सम्मान में उस दौर में भव्य कार्यक्रम किये जाते, सदन में चर्चा होती, लेकिन उस समय की सरकार ने तुष्टिकरण के लिए संविधान को जैसा चाहा, तोड़ा-मरोड़ा, अपनी सुरक्षा के लिए इसकी मनमानी व्याख्या कर दी । जिस मंत्र पर स्वतंत्रता संग्राम खड़ा हुआ, उसी मंत्र को स्वतंत्र भारत में पूर्ण राष्ट्रीय सम्मान क्यों नहीं मिला ? अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान जेब में रखकर चलने वाली कोई वस्तु नहीं है, हमारा राष्ट्रगीत कोई ऐसा गीत नहीं, जिसकी पंक्तियां अपनी सुविधा से काटी जा सकें, लेकिन जब कोई पार्टी तुष्टिकरण की पट्टी आंखों में डाल लेती है तो उसे कहीं भी न्याय नजर नहीं आता है। कांग्रेस को ऐसे वर्ग का तुष्टिकरण करना था, जिनके लिए धरती पूज्यनीय हो ही नहीं सकती, जिसे हम अपनी मातृभूमि कहते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति हजारों साल पुरानी है। किसी राष्ट्र की पहचान केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं से नहीं होती है, जो मानचित्र में दिखती है। उस राष्ट्र की पहचान उन सांस्कृति मान्यताओं से भी होती है, जो सदियों से उसके आचार-विचार और सभ्यता का हिस्सा रहे हैं। हमारे यहां अपनी धरती को माता मानने की परम्परा है। यूरोप में अपनी भूमि को, अपने देश को फादर लैण्ड कहते हैं। हम लोग अपने देश को, अपनी भूमि को मातृभूमि कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, रामायण में वर्णन है कि जब भगवान श्री राम ने लंका विजय की तब लंका से लौटते समय लक्ष्मण जी से कहा कि- "जननी जन्मूभूमि स्वर्गादपि गरीयसी" यह लंका सोने की बनी है, फिर भी मैं यहां नहीं रहना चाहता। क्योंकि मेरे लिए जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। (मजों की थपथपाहट) ऐसी जन्मभूमि की प्रशंसा से लिखे सुन्दर गीत "वंदेमातरम्" को केवल इसलिए अधूरे रूप में लिया गया क्योंकि मुस्लिम लीग के लोग आपत्ति कर रहे थे। मुस्लिम लीग जो अंग्रेजों की भाषा बोल रहे थे, उनके दबाव में आकर "वंदेमातरम्" के मूल स्वरूप को स्वीकार नहीं किया गया। इस तुष्टिकरण की नीति का परिणाम भारत के विभाजन के रूप में हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के संसद में "वंदेमातरम्" पर हुई चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के सांसदों की बातों को सुना। जब वह अपनी बातें रख रहे थे तो कह रहे थे कि मोदी सरकार तो बार-बार इतिहास ले आती है, गड़े मुर्दे उखाड़ती है। उनका कहना था कि किसी एक दिन इतिहास पर चर्चा कर लें और हमेशा-हमेशा के लिए आगे बढ़ जायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, "वंदेमातरम्" पर चर्चा क्यों रखी गई, यह चर्चा इसलिए रखी ताकि हम अपनी उन गलतियों को कभी ना भूलें, जिसने हमें ऐसे जख्म दिए, जो आज भी रिस रहे हैं और हमें पीड़ा दे रहे हैं। जो समाज, इतिहास से सबक नहीं लेता, इतिहास के पन्ने पढ़ना बंद कर देता है, उनके भविष्य का अध्याय भी वहीं समाप्त हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ महतारी का पुण्यभूमि के जनजाति नायकों ने भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। राष्ट्रगीत के भाव ने जनजातीय समाज के साथ ही हर वर्ग के क्रान्तिकारियों ने जनजातीय समाज के साथ ही हर वर्ग के क्रान्तिकारियों ने देश के प्रति प्राण न्यौछावर करने का भाव जागृत किया। आज मैं इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के उन सपूतों को नमन करता हूं, जिन्होंने "वंदेमातरम्" के भाव को जीवन का लक्ष्य बनाकर भारत मां के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, "वंदेमातरम्" हमें सिखाता है कि जब भी अन्याय हो, आवाज उठायें। "वंदेमातरम्" हमें अपनी विरासत और सांस्कृति चेतना से जोड़ता है। हजारों वर्षों की सभ्यता से जो आदर्श विकसित किए हैं, "वंदेमातरम्" उसकी सामूहिक अभिव्यक्ति है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बंकिमचंद चट्टोपाध्याय जी ने जब आनंदमठ लिखा तो उसमें "वंदेमातरम्" गीत को भी शामिल किया। आनंदमठ की पृष्ठभूमि पर गौर करें तो वह बहुत रोचक है। आनंदमठ सन्यासी विद्रोहियों पर लिखी पुस्तक है। यह ब्रिटिशकाल का सबसे प्रारंभिक विद्रोह था, जो

सन्यासियों ने किया था। अपनी जान की बाजी लगाकर ब्रिटिश कानूनों का विरोध इन सन्यासियों ने किया था। यह आदिशंकराचार्य जी द्वारा बनाए गए उस सन्यासी परम्परा का हिस्सा थे, जो राष्ट्र के संकट में आने पर शस्त्र उठाकर उनका मुकाबला करते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सन्यासियों ने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए जान की बाजी लगाई। अफसोस की बात यह है कि "वंदेमातरम्" के हिस्सों को हटा दिया गया, जो केवल इन सन्यासियों की नहीं, करोड़ों भारतीयों के आस्था के केन्द्र रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बंगाल की बारीसाल की सड़कें इस बात की गवाह हैं कि कैसे स्वदेशी आंदोलनों के दौरान हिन्दू और मुसलमान एक साथ "वंदेमातरम्" का नारा लगाते हुए निकलते थे। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी अशफाक उल्ला खान ने "वंदेमातरम्" नारों के साथ अंग्रेजों का विरोध किया और देश के लिए अपनी जान गंवा दी। स्वदेशी आंदोलन के समय पूरे देश ने एक साथ बंग-भंग का विरोध किया। यह "वंदेमातरम्" का गीत था, जो पूरे देश को जोड़ता था, लेकिन विभाजनकारी ताकतों ने इसका विरोध किया और नेहरू उनके समक्ष झुक गये। यहीं से तुष्टिकरण का जहर समाज में फैलता गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में कई दशक तक राज करने वाली पार्टी आज विपक्ष की भूमिका के साथ भी न्याय नहीं कर पा रही है। तुष्टिकरण की राजनीति उनके डी.एन.ए. में है। कुछ समय पहले अध्योध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भी प्रतिपक्ष के लोगों ने आमंत्रण को ठुकरा दिया। जिस तरह से राम केवल हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक नहीं, राष्ट्र के सांस्कृतिक महानायक हैं, उसी तरह वंदे मातरम केवल राष्ट्रगीत नहीं, वह देश की सांस्कृतिक चेतना है। अध्यक्ष महोदय, जब भी राष्ट्रगीत की पंक्तियां हमारे कानों में पड़ती हैं, हमारा रोम-रोम राष्ट्रभक्ति से भर जाता है। वंदे मातरम को विभाजनकारी तत्वों की क्षुद्र राजनीति का शिकार होना पड़ा। दुर्भाग्य से उस समय निर्णय लेने की जगह पर ऐसे लोग बैठे थे, जिनके ऊपर अंग्रेजों की सरकार से प्रभावित मुस्लिम लीग का दबाव होता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय गीत की पहली पंक्ति – वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम – से लेकर उसका प्रत्येक शब्द देश की एकजुटता, उसके गौरवशाली इतिहास, उसकी एकजुटता का गीत है। अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा :-

तिरंगा ऊंचा रहे सदा, यही हमारा संकल्प महान है
जब तक सांसों में प्राण रहे, मां की रक्षा धर्म है
वंदे मातरम का उद्घोष ही जीवन का अभिमान है
यही हमारा कर्तव्य बने, यही हमारा अभियान है।

आइए, हम सब मिलकर वंदे मातरम की 150वीं जयंती पर संकल्प लें कि इस गीत की भावना के अनुरूप हम शक्तिशाली, सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण करेंगे। वंदे मातरम। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. चरणदास महंत जी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूर्ण होने पर आपने जो चर्चा स्वीकृत की है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं। ऐसे ऐतिहासिक महत्व की चर्चा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के शुरू किया जाना चाहिए, जैसा कि अभी शुरुआत में थोड़ी बहुत शुरू हुई है। मैं आपको इसमें बधाई देना चाहता हूं और आपके ही शब्दों के हिसाब से आपने इसे ऊर्जा कहा, आपने इसे चेतना कहा, और यह आजादी के समय से, आजादी के पहले हमारे जितने राष्ट्रभक्त हुए, भारत को आजाद करने वाले जितने महापुरुष हुए, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, उन सब ने इस नारे के साथ ही हंसते-हंसते अपने जीवन का बलिदान दे दिया। लेकिन अध्यक्ष महादेय, थोड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा को व्यक्त करने से पहले मैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनके कारण हमें वंदे मातरम गीत मिला। पीड़ा इसलिए, क्योंकि वंदे मातरम को गाकर जिन लोगों ने देश फांसी के फंदे को चूमा, उसी गीत को आज भारत को बांटने में और इतिहास को दूषित करने में कुछ लोग लगे हैं, जबकि ऐतिहासिक सत्य को थोड़ा-थोड़ा छोड़कर लोग कुछ बातें कहते हैं, मैं स्पष्ट रूप से इसको क्रमवार बताना चाहता हूं। वर्ष 1875 में इस गीत की रचना शुरुआती दिनों में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की, जो कि मातृभूमि की पूजा है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम भारत को माता मानते हैं तो मातृ भक्ति की पूजा और माता के लिए तो सभी बराबर होते हैं, कोई भी बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यह सिर्फ माता की वंदना थी और उस माता को हमने वर्ष 1875 में प्रणाम किया था। मुख्यमंत्री जी ने जो गाया, वही दो अंतरे थे। 1882 में जब आनंद मठ लिखा, तब उसमें अलग से नये अंतरे जोड़े गये। अब आप इस बात को समझिये। जब उन्होंने 1875 में लिखा, तब सिर्फ वह दो अंतरे थे और जब उन्होंने आनंद मठ लिखा तो उसमें 4 अंतरे जोड़ गये। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिसका आपने भी जिक्र किया। जब सन्यासियों का विद्रोह शुरू हुआ और सन्यासियों को जिन कारण से ज्यादा प्रेरणा मिल सकती थी, उन शक्तिओं के, उन माताओं के, देवी-देविताओं के नाम उसमें जोड़े गये। जब कांग्रेस के मंच पर रविन्द्र नाथ टैगोर जी ने वंदे मातरम का गीत स्वयं गाया और उसके बाद 1905 में बंग भंग आंदोलन, जिसका आपने भी जिक्र किया, उस लड़ाई में यह युद्धषोघ हो गया। वंदे मातरम गीत ने इतना बल दिया कि यह युद्धघोष सबने अपने ऊपर आत्मा से स्वीकार किया। वह इस गीत को गाते रहे। यह स्फूर्ति बना, यह हमारा बल बना, हमारी चेतना बनी और सबकी बुद्धि को प्रभावित किया। इसके बाद यहां जिस बात का जिक्र चल रहा है,

उसको मुझे थोड़ा करना आवश्यक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का जन्म 1923 में हुआ था और वह डॉ. वी.डी. सावरकर की किताब हिन्दुत्व के कारण हुआ था। उस समय मुस्लिम अलग राष्ट्र, हिन्दु अलग राष्ट्र की एक परिकल्पना थी। कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की समिति, जिसमें नेहरू जी शामिल थे, सुभाष चन्द्र बोस जी शामिल थे, मौलाना आजाद शामिल थे, इन लोगों ने सुझाव लिया कि अब राष्ट्रगीत कैसे बनना चाहिए और इसके लिए क्या किया जाये? तब यह बात चलती रही, यह बात चलती रही और संविधान सभा में एक नेशनल एंथम कमेटी बनाई गई, जिसमें तीन गानों को राष्ट्र में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत बनाने के लिए चयनित किया गया। उसमें पहला गाना सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा था। दूसरा गाना जन-गण-मन अधिनायक जय हे था। तीसरा गाना वंदे मातरम था। सारे जहां से अच्छा गाना की रचना मोहम्मद इकबाल साहब ने की थी, मगर उनका झुकाव पाकिस्तान की ओर चला गया इसलिए उस गीत पर पूरा विचार नहीं हुआ और हमने जन-गण-मन अधिनाकय जय हे और वंदे मातरम का चुनाव किया। वर्ष 1940 का मुस्लिम लीग, जिसमें मोहम्मद अली जिन्नाह भी नेता थे, उन्होंने अधिकारिक तौर पर पाकिस्तान विभाजन की मांग रखी। अब मैं यह नहीं समझता हूं कि इसमें किस तरह से आज नेहरू को बीच में लाया जा रहा है कि नेहरू जी ने इस गाने के टुकड़े कर दिये। सर, छोटे-मोटे लोग नहीं, बल्कि इस राष्ट्र के बड़े-बड़े पदाधिकारी ने कहा, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। वे कहते हैं कि नेहरू जी ने इस गीत को तोड़ा और वह देश के विभाजन के कारण बने। इतिहास में कहीं ऐसी बात नहीं मिलती कि नेहरू जी ने इस गीत को तोड़ा। साथ इस देश को एक नया बल, शक्ति मिले, इसलिए नेहरू जी ने पूरी ईमानदारी से इस गीत के दो पंक्तियों को स्वीकार किया और बाकी के पंक्तियों को लोगों के निर्णय से, संविधान सभा में जब यह निर्णय हुआ। चूंकि इसमें यह हो सकता है कि हिन्दु राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र के बारे में उनको कुछ कहने की गुंजाईश हो सकती है, मगर इसमें कहीं नेहरू जी का नाम नहीं आता है। आज 150 वीं वर्ष पर चर्चा हो रही है, मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि इस तरह से हम इतिहास को न बिगाड़ें । इतिहास की जो मूल भावना है, उसको पढ़ें, लिखें, समझें । हम लोग तो चले जायेंगे । 150 साल हो रहे हैं, जब इसे हमारे बच्चे-बच्चियॉ, नवजवान पीढ़ी मनाने आयेंगे, हम उसको एक गलत इतिहास बता देंगे, यह मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा । आज भी संविधान सभा का जिक्र आता है, सरदार पटेल जी, बाबा साहब आम्बेडकर, कन्हैयालाल जी मुंशी जैसे लोगों की हम चर्चा करते हैं और इसमें पाते हैं कि दो अंतरों को शामिल किया जाना और बाकी के चार अंतरों को शामिल नहीं किया जाना, इसलिये किया गया था कि देश में जो मुस्लिम की आबादी थी, उस समय काफी झगड़े शुरू हो गये थे, लड़ाईयॉ शुरू हो गयी थी । इस तरह से उस वातावरण को शुद्ध और शांत करने के लिये माननीय बंकिमचन्द्र जी ने जो 6 लाईन आनंदमठ में जोड़े हैं, वह उस दिन की आवश्यकता थी । हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहॉ इसे प्रस्तुत किया है, पहला भाग जो मूल है जिसे हमने राष्ट्रीय गीत बनाया है ।

वंदे मातरम
सुजलाम सुफलाम,
मलयज शीतलाम,
स्वच्छ श्यामलाम मातरम,
वंदे मातरम
शुभ्रज्योत्सनापुलकितयामिनी
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं
सुहासिनी सुमधुरभाषिणी
सुखदां वरदाम मातरम
वंदे मातरम वंदे मातरम

यहॉ हमने पूरी तरह से मां की प्रार्थना की है । उनके प्रति समर्पण भाव दिखाया है । बाकी के जो दूसरा भाग था जिसे आनंदमठ से जोड़ा गया, उन शब्दों को भी मैं लिखकर लाया हूँ ।

शिशंखकोटि कंठकंठ कलकलनिषाद
सप्त कोटि कन्ठ कलकल निनाद कराले
निसप्त कोटि भुजैध्रुत खरकरवाले
के बोले मा तुमी अबले
बहुबल धारिणीं नमामि तारिणिम
रिपुदलवारिणीं मातरम..वन्दे मातरम
तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म
त्वं हि प्राणा शरीरे
बाहुते तुमि मा शक्ति
हृदये तुमि मा भक्ति
तोमारै प्रतिमा गडि मंदिरे गडि मंदिरे
वन्दे मातरम ...
त्वम हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
कमला कमलदल विहारिणी
वाणी विद्यादायनी, नमामि त्वाम
नमामि कमलां अमलां अतुलाम
सुजलां सुफलां मातरम..वन्दे मातरम

इसमें हमारे हिन्दू देवी देवताओं का जिक्र है, इस बात को आप नकार नहीं सकते । होना चाहिये,

लोग गाते हैं, जो गा सकते हैं, गाते हैं, जो नहीं गा सकते वह नहीं गाते हैं । मगर वंदे मातरम की पंक्तियां हर कोई, हर बच्चा, चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम हो, सिक्ख हो या ईसाई हो, सब गाते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है । इसे हमारे पुरखों ने बड़े सोच-समझकर इस देश को सौंपा है । यह हमारी संपत्ति है, यह हमारा धन है । यह बना रहे, अक्षुण्ण बना रहे, आने वाले दिनों में हम इसे और बेहतर ढंग से इनके गीतों को, इनके शब्दों को, उनके भावनाओं को समझें और अपने बच्चों को आने वाले वर्षों में 200 वर्ष पुराने, 250 वर्ष पुराने एक इतिहास का गठन करें । आपने मुझे इसमें शामिल किया, मैं उसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार जो बातें उठ रही है, उसे रोका जाये । वंदे मातरम का राजनीति करके दुरूपयोग न करे, इतनी आपसे प्रार्थना है । धन्यवाद ।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। वास्तव में आज का दिन छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए ऐतिहासिक दिन है, गौरवशाली दिन है, जब हम वंदे मातरम की 150वीं जयंती पर चर्चा कर रहे हैं। इस निर्णय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। एक बार फिर वंदे मातरम की महिमा को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बंकिम चंद्र चटर्जी जी के रचना की चर्चा की। वंदे मातरम का हमारे देश की आजादी पर कितना असर हुआ, हमारे देश को कैसे आजादी मिली, देश की आजादी के लिए हमारे जवानों ने कैसे वंदे मातरम कहकर अपनी शहादत दी, इन सबकी जानकारी आज की पीढ़ी को हो, इसके लिए ये चर्चा आप सदन में करा रहे हैं, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, हमने उसका गौरव मनाया है। हम सरकार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं, हम भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वीं जयंती का उत्सव मना रहे हैं, गुरू तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस को जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष भी मना रहे हैं, ऐसे में वंदे मातरम की 150वीं जयंती का उद्घोष निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणादायी होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम केवल शब्द नहीं है, ये महामंत्र है। यह वह मंत्र है, जिसे बोलकर देश की आजादी में नौजवान हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, यह वह महामंत्र है, जो एक-एक युवा के रग-रग में देशभक्ति का जुनून देशभक्ति का जज्बा पैदा करता है। यह वह शब्द है जिसने देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी जब हमारे देश के सैनिक देशभक्ति की जज्बा को दर्शाने के लिए युद्ध के मैदान में जाते हैं, वंदे मातरम का जयघोष करके जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हम 15 अगस्त को देश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जैसे 26 जनवरी को देश का गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही हमारे लिए ये वंदे मातरम की 150वीं जयंती भी महत्वपूर्ण है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता सदन ने उल्लेख किया, जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए, देश में आपातकाल लगा था, वंदे मातरम कहने वालों को

जेल की सीखचों के पीछे डालने का काम किया, वंदे मातरम कहने वालों को, ऐसी यातनाएं दी गईं जैसे अंग्रेजों के जमाने में भारतीयों ने इस तरह से प्रताड़ना झेली, इस बात का गौरव करने के बजाए, वंदे मातरम के सौ साल पूरे हुए हैं, देश को आपातकाल में झोका। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह आपातकाल लगा क्यों था ? किसने लगाया था? केवल और केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाया गया था। उसमें नागरिक अधिकार का हनन हुआ, देश के संविधान की हत्या हुई, लोकतंत्र की हत्या हुई, हजारों-लाखों लोगों को जेल के पीछे ढकेला गया। मीडिया की स्वतंत्रता छीनी गई। ऐसा अत्याचार हुआ। यह वंदे मातरम की रचना की जयंती हम 7 नवम्बर, 1875 को मानते हैं। वह कितना पवित्र दिन था। उस दिन अक्षय नवमी थी। भारतीय संस्कृति में यह अक्षय नवमी का दिन कितना महत्वपूर्ण और पावन दिन माना जाता है। आज जब हम वंदे मातरम की चर्चा करते हैं तो कितने ऐसे जवान हैं, जिन्होंने देश की आजादी में वंदे मातरम कहकर अपने प्राणों की आहूति दी, हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूमने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि आज भी जब हम वंदे मातरम कहे तो रोम-रोम देशभक्ति से भर जाता है। रोम-रोम देशभक्ति के लिए रोमांचित होता है। आज भी हमारे देश के सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो यदि उनको कोई बड़ी जीत मिलती है, कोई बड़ी सफलता मिलती है तो जो उद्घोष सुनाई देता है, वह वंदे मातरम का ही सुनाई देता है। जब कोई अभियान चलता है, जैसे जन्म भूमि के आंदोलन का अभियान चला, कारसेवकों ने अयोध्या में भगवान श्रीराम के मंदिर की स्थापना के लिए जय श्रीराम का उद्घोष किया। जिससे आज 500 साल बाद अयोध्या में हमारे भांजा राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कियाग गया। यह ज्वार पैदा करने का काम ये वंदे मातरम के नारे करते हैं। यदि आज हम स्वतंत्रता दिवस मना पाते हैं, आज हम गणतंत्र दिवस मना पाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान वंदे मातरम का है। आज मैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी को साधुवाद करता हूं। किन परिस्थितियों में, किन कठिन समय में उन्होंने वंदे मातरम की रचना की। जब अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था और अंग्रेज घर-घर तक god save the queen के नारे को पहुंचाने के अभियान में लगे थे। ऐसे कठिन समय में, ऐसे चुनौती भरे समय में अपने साहस और देशभक्ति का जज्बा दिखाकर उन्होंने ऐसे वंदे मातरम गीत की रचना की। वह रचना, वह वंदे मातरम गीत देश की आजादी का महामंत्र बना और देश को आजादी मिली।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वंदे मातरम गीत का संबंध केवल देश की आजादी से नहीं है। जब तक हमारी भारत माता रहेगी, तब तक वंदे मातरम का महत्व रहेगा। वंदे मातरम क्या है? माता की आराधना, माता की पूजा, माता को नमस्कार करना, माता को सम्मान देने का यह शब्द है। उस पर भी लोगों ने राजनीति की। उस पर भी अपनी कुत्सित मानसिकता दिखाई। उस पर भी तुष्टिकरण की राजनीति की। वंदे मातरम के लिए राजनीति की। आज मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद कहूंगा, जिन्होंने पूरे देश भर में फिर से वंदे मातरम के माध्यम से देश को एकजुट करने का,

देश को जोड़ने का, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का यह बहुत बड़ा उपक्रम किया है। 1934 में क्रांतिकारी मास्टर सूर्य सेन को जब फांसी दी गयी तब उन्होंने अपने साथियों को पत्र लिखा और उन्होंने पत्र में क्या लिखा ? केवल और केवल वंदे मातरम। वंदे मातरम का यह महत्व था। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आजादी के आंदोलन के वक्त विपीन चन्द्रपाल जी ने महर्षि अरविंद घोष जी ने एक अखबार शुरू किया और उसका नाम वंदे मातरम रखा। अब अखबार का नाम वंदे मातरम क्यों रखा ? वंदे मातरम की आवाज सुनकर, वंदे मातरम का जय घोष सुनकर, वंदे मातरम शब्द पढ़कर अंग्रेज तड़पने लगता था, अंग्रेजों को दर्द होने लगता था, अंग्रेज परेशान हो जाते थे, अंग्रेजों में वंदे मातरम शब्द का खौफ होता था। बाद में अंग्रेजों ने उस अखबार में प्रतिबंध लगा दिया और फिर मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टेट गार्डन में भारत का पहला झंडा फहराया। उस तिरंगे झण्डे पर भी वंदे मातरम था। यह वंदे मातरम का जय घोष था । यह भारत की ताकत का जय घोष था। माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर में भी 1907 में राष्ट्रवादी बुद्धिजीवों ने एक सम्मेलन किया, जिसका नेतृत्व पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने किया था और टाऊनहॉल में वंदे मातरम गीत गाये थे। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य का राज्यगीत। यह किसकी अराधना है ? यह किसकी पूजा है ? हम अपने राज्यगीत में क्या कहते हैं ? महूं पांव परव तोर भुंइया, जय हो, जय हो छत्तीसगढ़ी मैया। यह हमारी संस्कृति का परिचायक है, यह हमारी सभ्यता का परिचायक है। माता की अराधना करना हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा का हिस्सा है। आज जिस तरह के इतिहास को बताने की कोशिश हो रही है, वास्तविकता उससे इतर है। रामानंद चट्टोपाध्याय जी एक राष्ट्रवादी चिंतक थे। उन्होंने कहा था कि यदि वंदे मातरम गीत को विभाजित किया जायेगा तो यह देश विभाजित हो सकता है। उन्होंने पहले चेतावनी दी थी। लेकिन 1937 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होती है और पंडित नेहरू उसकी अध्यक्षता करते हैं। मोहम्मद जिन्ना के दबाव में वंदे मातरम के केवल दो पद स्वीकार किये जाते हैं। वह 4 पद जिसे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने उद्धृत किया। मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन उन चारों पदों में क्या है ? पढ़कर उद्धृत किया। माता की ही आराधना है, माता की ही स्तुती है। उस पर भी आपत्ति, वहां पर भी तुष्टिकरण। क्या यह वीर शहीद जिन्होंने वंदे मातरम कहकर फांसी के फंदे को चूमा, उनके लिए अपमानित करने वाला नहीं है कि किसी को खुश करने के लिए, किसी के दबाव में आपने वंदे मातरम गीत के 4 पदों को छोड़ दिया ? क्या लाहौर में वंदे मातरम नहीं गाया गया ? क्या खुदीराम बोस ने और बाकी लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाया ? केवल और केवल किसी को खुश करने के लिए ऐसा किया गया।

समय:

3.03 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी कल विदेश में, इथियोपिया में थे। उनके सम्मान में कार्यक्रम हुआ। सात समुंदर पार प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के सम्मान में जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में इथियोपियन गायकों ने वंदे मातरम गाया। (मेजों की थपथपाहट) सात समुंदर पार वंदे मातरम की महिमा गायी जा रही है और हिन्दुस्तान में कई लोग। जिस देश की मिट्टी, जिस देश की धरती में रहते हैं, जहां का अन्न खाते हैं, उस धरती की वंदना करने में भी दिक्कत, उस धरती को प्रणाम करने से भी दिक्कत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इस देश में नहीं चलेगा। "वंदे मातरम" का सम्मान सभी को करना चाहिए। ये वही "वंदे मातरम" है जिसके कारण आज इस देश को आजादी मिली है। ये वही "वंदे मातरम" है, यही वो महामंत्र है, जिसके कारण हम स्वतंत्रता दिवस मना पाते हैं। यही वो महामंत्र है जिसके कारण भारत आज फिर से एकजुट होकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। आज ये वही ताकत है जिसके कारण आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यही वो ताकत है, यही वो शब्द है जिससे प्रेरणा लेकर आज देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में जब हम आज "वंदे मातरम" की 150वीं जयंती मना रहे हैं, मैं बंकिमचन्द्र चटर्जी जी को नमन करता हूं जिन्होंने उन कठिन चुनौतियों के समय में देश के नौजवानों को एक महामंत्र दिया। देश के नौजवानों को एक प्रेरणा दी कि "वंदे मातरम" कहकर भारत माता के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का प्रेरणा देने वाला महामंत्र है तो वह "वंदे मातरम" है। सब इसका सम्मान करें और उन वीर शहीदों के सपनों को साकार करने के लिये, एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में सब मिलकर काम करें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सदन में मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। हम इतिहास में जाते हैं, भारत की आजादी के पहले की बात और पिछले डेढ़ सदी को हम याद करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा भारत की आत्मा के रूप में इस पूरे देश की सोच को अपने अंदर समाहित करने हुए भारत की आजादी के लिये लड़ाई लड़ती है। भारत के हर वर्ग का व्यक्ति, जाति, धर्म का व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोच्च लगाकर इस देश को आजाद करने में अपनी भूमिका निभाता है। आदरणीय सभापति महोदय, मुझे इस बात का बहुत गर्व होता है कि मैं एक ऐसे संगठन का सिपाही हूं जिसने भारत की आत्मा और अस्मिता की लड़ाई लड़ी। सभापति महोदय, हम "वंदे मातरम" पर बात कर रहे हैं, इतिहास पर हमारे पक्ष के साथियों ने बहुत सारी बातें, अपनी भावनायें व्यक्त की। लेकिन जब हम इतिहास को याद करते हैं तो आजादी की लडाई का सबसे पहला बिगुल 1857 में हमारे भारत के वीरों ने जो फूंका था, उसको भी याद करना चाहिए। मैं आपके सामने 1857 की बात रखना चाहता हूं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर दिन ब दिन करके अपना दबाव बढ़ाती जा रही थी, भारत की भूमि को कब्जा करती जा रही थी। भारत जिसको सोने की

चिड़िया कहा जाता था, उसका धन लूटने में लगातार लगी हुई थी। तो 1857 में हमारे भारत के वीर सपूतों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और किन्होंने लड़ाई लड़ी ? उस समय दिल्ली में बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे, कानपुर में भक्त खान थे, लखनऊ में नाना साहेब थे, हमारी वीर झांसी की रानी लक्ष्मी बाई थी, आरा के हमारे कुंवर सिंह थे । यह वे महान विभूति थे, जो देश की आजादी के लिये अंग्रेजों से लोहा लेने के लिये पहली बार जिन्होंने लड़ाई शुरू की और निरंतर सब समूहों को इकट्ठा करके बहादुर शाह द्वितीय जी, भक्त खान जी, नाना साहेब जी, रानी लक्ष्मी बाई, कुंवर सिंह अपने प्राणों की आहूति देते हुए अपने आप को न्यौछावर कर दिया लेकिन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं और लड़ाई की शुरुआत हुई ।

कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, कांग्रेस पार्टी में विचारों का गठन हुआ, धीरे-धीरे करके हर तरह के विचार के लोग उसमें सम्मिलित होते गए और हम देखेंगे कि कुछ सालों बाद कांग्रेस में भी नरम दल और गरम दल का उल्लेख हम इतिहास में देखते हैं ।

हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से...।

सभापति महोदय :- देवेन्द्र जी, एक मिनट । बहुत पुराने इतिहास से शुरू करेंगे तो बंकिमचंद्र तक समय लगेगा । बंकिमचंद्र जी से शुरू कर लीजिये न ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, आप चिंता मत कीजिये । जैसा कि आपने पूर्व के वक्ताओं को समय दिया है तो मुझे लगता है कि उससे आधा समय देने में आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

सभापति महोदय :- नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं । मैं उनसे दो मिनट ज्यादा दूंगा लेकिन शुरूआत कहां से करना है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय सभापति महोदय, मैं आपको अपनी बात कह रहा था । नरम दल-गरम दल बने और इसके बाद आजादी की लड़ाई में निरंतर भारत के वीर सपूतों ने अपना योगदान दिया । मैंने सन् 1857 की लड़ाई का उल्लेख क्यों किया ? वह आज के परिप्रेक्ष्य में किया है, आज इस देश में क्या हो रहा है ? आप याद कीजिए कि आजादी की लड़ाई में जो आज देश पर कब्जा बनाकर बैठे हुए लोग हैं, वह अंग्रेजों के साथ मिलकर उनके वफादार बनने का प्रयास करते थे और उस समय भी भारत को तोड़ने की बात करते थे और आज भी भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं । यह भारत हर एक व्यक्ति का है, हर एक धर्म का है और आजादी किसी एक विशेष वर्ग ने नहीं दी, आजादी की लड़ाई हर व्यक्ति ने लड़ी है ।

श्री सुनील सोनी :- माननीय सभापति महोदय, वंदे मातरम पर चर्चा है, वरिष्ठ सदस्य हैं । नेता प्रतिपक्ष महोदय ने इसके अंदर में भूमिका रखी है, उस विषय पर जाकर बोलो ।

सभापति महोदय :- ठीक है, आप बोलिए ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि बात आ रही थी । पूर्व के वक्ताओं ने, हमारे सदन के नेता ने, सदन के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री ने कहा, आरोप लगाया, नेहरू जी का नाम लिया । कांग्रेस की विचारधारा के बारे में बात की और कहा कि एक वर्ग को तुष्टिकरण करने का काम कांग्रेस ने आजादी के पहले किया । तोड़ने- मरोड़ने का काम किया । हम इतिहास को देखते हैं तो आप इस बात से, यह पूरा सदन भलीभांति जानता है कि इस देश की आजादी में कांग्रेस ने अपना क्या योगदान दिया है । आदरणीय सभापति महोदय, जिन वर्गों की बात की जा रही थी, मैंने सन् 1857 की बात क्यों कही ? मैंने यह याद दिलाने की कोशिश की कि जब पहली आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारी बहनें। हर कोई एक साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ रहा था, कोई एक वर्ग अकेले नहीं लड़ रहा था । आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय साथियों, मैं इस बात को लेकर दुखी, इस बात को लेकर इस सदन में अपना दुख जाहिर करना चाहूंगा कि देश में लगातार यह क्या करने का प्रयास किया जा रहा है ? एक संगठन निकलता है और देश के इतिहास को तोड़-मरोड़कर दिखाने का प्रयास करता है, लोगों में आक्रोश ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मेरे साथी कह रहे थे कि कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन में भाग लिया । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस का राजनीतिक दल के रूप में काम करने का पंजीयन कब हुआ था यह बता दें और पूर्व में इनके कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष अंग्रेज रहे हैं, यह भी आज सदन में बताने की आवश्यकता है ।

सभापति महोदय :- यादव जी, बोलिये । आप अपनी बात कहिए ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के सामने इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि आज किस तरीके से देश में युवाओं को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है । जब हम विश्व की ओर देखते हैं, आज विश्व मंगल ग्रह तक पहुंचने की बात कर रहा है और हम एक-दूसरे को जाति वर्ग, धर्म में बांटने का प्रयास कर रहे हैं । यह हमें क्या देगा, यह हमारे छत्तीसगढ़ को क्या देगा? यह मेरा सवाल है कि यह छत्तीसगढ़ परम पूज्य गुरू घासीदास बाबा के कथन मनखे-मनखे एक समान के भाव से चलता है, लेकिन नहीं। हमें तो इतिहास में घुसकर तोड़ना है, मरोड़ना है, एक दूसरे के अंदर द्वेष पैदा करना है, एक दूसरे के अंदर लड़ाई पैदा करनी है और उस लड़ाई का फायदा पाकर अपनी सत्ता को बचाना है। आज बताईये कि 150 साल बाद, हम निकलकर एक प्रगति की जगह एक दूसरे पर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। एक दूसरे पर बात करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे दु:ख होता है कि सदन वरिष्ठ सदस्य जब हमारे पहले प्रथम प्रधानमंत्री की बात करते हैं और उनके बारे में गलत तरीके की भावना प्रकट करते हैं। यह सदन या हम सब भारत माता के जय की जब बात कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हम भारत माता की आराधना का गीत वन्दे मातरम् है तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि वन्दे मातरम् भारत माता की आराधना

का गीत है हम उसको गाते हैं, स्वीकार करते हैं लेकिन भारत माता क्या है, भारत माता की व्याख्या क्या है। भारत माता हम सबसे बनती है। आपसे हमसे इस भारत मां की धरती पर रहने वाले एक-एक व्यक्ति से भारत माता बनती है न कि एक विचार से भारत माता बनती है। एक विचार को थोपने का प्रयास इस देश के अंदर लगातार किया जा रहा है और वह विचार केवल और केवल तोड़ने का है, जोड़ने का नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय, हम भारत की आजादी की बात करते है, संविधान के निर्माताओं की बात करते हैं संविधान सभा लगती है। जब वह संविधान सभा एक संविधान बनाती है जिसमें भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करते हैं और नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने की बात करती है तो आज आजादी के 75 साल से अधिक हो गये हैं और आज हम उस मूल भावना, जो संविधान ने बनायी थी, संविधान सभा ने बनायी थी जिसमें महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नहेरू जी, सुभाष चन्द्र बोस जी, जिसमें हर किसी की विचारधारा और विचार थे। जिसमें लेफ्ट के भी लोग थे, राईट पार्टी के लोग भी थे, उसमें हर कोई थे और उन लोगों ने मिलकर एक भारत का विचार प्रस्तुत किया था जिसको संविधान के रूप में कहते हैं और जिसको हम भारत की आत्मा के रूप में जानते हैं। जब उसमें बंधुत्व और समानता की बात कही गयी है तो आज 75 साल बाद इस देश में क्या हो रहा है कि हम जो पुराने गीत हैं उनके शब्दों को लेकर भारत को विभाजित कर रहे हैं और यह संविधान के खिलाफ है, भारत की आत्मा के खिलाफ है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम इतिहास को याद करेंगे तो आप यह याद कीजिए कि उस समय हमारे आदिवासी भाई भी अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वह भी कह रहे थे कि उनको जो धरती आभा का अधिकार है उनको मिलना चाहिए, हमने आज उनको वनवासी बना दिया, हमने आदिवासी को वनवासी बना दिया। क्या यह भारत चाहता है, यह आदिवासी चाहते हैं वह ऐसा नहीं चाहते हैं। हमने केवल और केवल पूंजीवाद की नीति स्थापित की है इस देश में समानता की नीति को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और यह वन्दे मातरम् के गीत पर बड़ी चर्चा इसी का एक जीता-जागता सबूत है। आज जब देश के युवाओं को देश के बच्चों के बेहतर भविष्य की बात करनी चाहिए तो हम संविधान को तोड़ने-मरोड़ने और आपस में लड़ाई की बात करते हैं। बहुत सारी बातें कहने की हैं। मैं कुछ और बातें कहूंगा उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यह लाख आरोप लगा लें हमारी नीति या नियत आरोप लगाने की नहीं है, लेकिन याद तो दिलाना पड़ेगा कि [2][XX] कांग्रेस पार्टी के पूर्वज अंग्रेजों के सामने सीना तानकर खड़े थे और 10-10 साल हम लोग जेल में रहे है ।

[2] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो बात कर रहे हैं । या तो आप उनके भाषण को हटाएं । वे पूरी जानकारी लेकर बात करें । जिस विषय में बोल रहे हैं, जिस [XX] की बात कर रहे हैं, जिस [XX][3] की बात कर रहे हैं उसके संस्थापक पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे हैं । देश में आजादी के पूर्व क्या स्थिति होती है और आजादी के बाद क्या होना है, उसमें जब चिंतन, मनन किये, तब उन्होंने अलग से राष्ट्रीय स्वयं संघ का निर्माण किया । आप जो भाव व्यक्त कर रहे हैं । ठीक है, आप कांग्रेस के सदस्य हैं, आपकी विचारधारा अलग है । आपको अपनी बात रखनी है तो आप कहिए, मेरा निवेदन है ।

सभापति महोदय :- मैं उसको दिखवा लूंगा ।

श्री गजेन्द्र यादव :- मेरा ऐसा निवेदन है कि आप अपनी बात रखिए । बोलना है तो आप कुछ भी किसी के ऊपर आरोप मत लगाईए, यह मेरा आग्रह है ।

सभापति महोदय :- जरा उसको आप देख लीजिए, [XX] के खिलाफ कुछ भी हो तो उसको विलोपित कर दीजिए ।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, गजेन्द्र जी नये मंत्री हैं, मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूं ।

सभापति महोदय :- दोनों एक ही जिले के हो ।

श्री देवेन्द्र यादव :- हमारे बड़े भाई हैं, हमारे समाज के चेहरे भी हैं ।

सभापति महोदय :- इसलिए बड़े भाई की बात सुनकर छोटे भाई जल्दी से शुरू करो ।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति जी, मैं उनकी बात का सम्मान करता हूं ।

सभापति महोदय :- आपको समय माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जितना ही दिया जा चुका है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया । अंत में मैं इस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था और हम सोने की चिड़िया हैं भी । हमारा देश सोने का है, हमारी भावना सोने की है, हमारे अरमान सोने के हैं । हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो रास्ता आपने तय किया है, उससे हम अपने सफर को तय नहीं कर पाएंगे । हम इस बात को लेकर आज दुखी होते हैं कि देश को जिन्होंने गुलाम बनाया, जिन्होंने देश को लूटा, हमारे सम्मानीत साथी अंग्रेजों के बारे में कभी गुस्से में बात नहीं करेंगे । अंग्रेजी हुकूमत के बारे में कभी यह नहीं बताएंगे कि अंग्रेजों के हमारे साथ क्या किया ? ये वहां पर ले जाएंगे, जो हमारे

[3] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

देश में आए और हमारे देश में बस गए और भारत की जो मिट्टी है, उसको अपनी मिट्टी मान गए । लेकिन जो हमको लूटकर गए, उनके बारे में इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता । मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि वंदे मातरम् हमारी भावना है, वंदे मातरम् हम सबसे अंदर बसा हुआ शब्द है और वंदे मातरम् भारत की एकता का प्रतीक है । वंदे मातरम् को हम भारत को तोड़ने के लिए इनको इस्तेमाल नहीं करने देंगे । सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, बहुत आभार । वंदे मातरम् के संदर्भ में आज की इस विशेष चर्चा के लिए विशेष रूप से 26 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का उन्होंने उल्लेख किया कि वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसके बाद से ही समूचे देश में वंदे मातरम् को लेकर विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ हुए, देश में चल भी रहे हैं और क्रमानुरूप चलता रहेगा। देश के युवाओं को एकत्रित करने के लिए, देश के नवजवानों को सारी ही बातों को ध्यान दिलाने के लिए, विशेष रूप से देश की सांस्कृतिक परम्परा, देश के सांस्कृतिक विरासत, मूलत: में आते हैं तो देश का सांस्कृतिक विस्तार कितना है, मैं इस भावना के साथ सोचता हूं कि "वंदेमातरम्" के 150 वर्ष को हम सब मिलकर मना रहे हैं। हम सब देश में विडम्बना देखते हैं कि हमारे ही देश में बहुत से लोग हमारे ही परम्पराओं को, हमारी ही मान्यताओं को, हमारे ही प्रतिमानों को दूषित करने के लिए, उसको कमतर आंकने के लिए कोशिश भी करते हैं। इसलिए ऐसे परिवेश में इस बात की आवश्यकता है कि "वंदेमातरम्" के 150 वर्ष पर हम पुन: देश का गौरवगान करें, हम पुन: इस देश के गौरवशाली परम्परा को आगे बढ़ायें। विशेष रूप से 7 नवम्बर,1875 का वर्ष था। जो सियालदह से नैहाटी ट्रेन से एक घंटे का रास्ता है। उसमें चट्टोपाध्याय जी बैठे थे। उन्होंने यात्रा करते-करते इस गीत की रचना पूरी की। एक घंटे की यात्रा के उपरांत नीचे उतरे तो दुनिया का सबसे अधिक गाया जाने वाला, दुनिया का सर्वाधिक माने जाने वाली रचना थी। मूलत: आप कहेंगे तो यह "वंदेमातरम्" राष्ट्रीय अस्मिता का गौरव गान बना है। बंकिमचंद जी स्वयं डिप्टी कलेक्टर थे। डिप्टी कलेक्टर होते हुए भी अंग्रेजों की सरकार में उस कठोरता के समय में भी उन्होंने "वंदेमातरम्" लिखा ही नहीं, बल्कि गाया, प्रचार-प्रसार किया। जो दण्ड पाने थे, वह पाते भी रहें, लेकिन उन्होंने उस काम को किया। "वंदेमातरम्" हमारे देश के लिए चेतना का प्रतिमान बना। अगर हमारे नवजवानों का जोश किसी से आया है तो "वंदेमातरम्" गान से ही आया है। आज हम सब मिलकर एक साथ इसकी चर्चा कर रहे हैं। इस पर पुन: ध्यान देने की आवश्यकता है। सब बातों का इतिहास भी साक्षी है कि किस तरीके से कांग्रेस के ही अधिवेशन में गुरूदेव ने वंदेमातरम् गीत का गान किया था और कैसे सन् 1923 के कांग्रेस के ही अधिवेशन में वंदेमातरम् का विरोध हुआ था। सभापति महोदय, "वंदेमातरम्" के विरोध के उपरांत, मैं सोचता हूं कि उस विरोध को स्वीकार लेने से ही वहीं से ही तुष्टिकरण की राजनीति की शुरूआत हो जाती है, बस वहीं से सारे ही विभाजनों के तरह की विभीषिकाओं को स्वीकार करने की शुरूआत हो जाती है, बस वहीं से ही भारत को

कमतर आंकने को स्वीकार करने की शुरूआत हो जाती है, वहीं से ही शुरूआत हो जाती है कि कैसे भारत के सांस्कृतिक उत्थान को छोड़कर, भारत के गौरवशाली परम्परा, गौरवशाली महान इतिहास को छोड़कर यह मान लिया जाये कि भारत में सब चलता है, भारत में कैसे आगे भी विषय बढ़ाया जा सकता है, यह मान लिया गया, बस वही से शुरूआत हुई। हम सब सन् 1923 के कांग्रेस के अधिवेशन को जानते हैं, यह प्रमाणिक चीज है, मैं कुछ अलग से कह रहा हूं, ऐसा विषय नहीं है। वहीं से सारी बातों की शुरूआत होती है।

माननीय सभापति महोदय, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं कल्पना करता। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, जब सन् 1923 में दारोमदार था, जब सब कुछ सामने था, आपको ही करना था, सारे पीछे खड़े थे, पूरा देश खड़ा था, उस समय इस देश को ऐसे दोराहे पर ले जाकर इस तरह छोड़ देना, इस तरह एक ऐसे रास्ते को पकड़ लेना, जो सिर्फ तुष्टिकरण के लिए उपयोग किया जाये, अगर उस समय यह नहीं हुआ होता तो मैं यह सोचता हूं कि आज न बंगलादेश होता, न पाकिस्तान होता, हमारा भारत उतना ही बड़ा होता जितना उस समय, अंग्रेजों के समय हुआ करता था। एक गीत के विरोध और विभाजन से देश का विभाजन भी जुड़ा हुआ है। आज इस बात की चिंता करना, आज इस बात को सोचना, आज इस बात पर चर्चा करना उतना ही आवश्यक है कि देश के युवाओं में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि भारत की महान सांस्कृतिक परम्पराएं, भारत का वित्तीर्ण सांस्कृतिक साम्राज्य, जिस तरह पहले भौगोलिक उतना ही वित्तीर्ण हुआ करता था, परन्तु आज भौगोलिक तौर पर ना सही, सांस्कृतिक विरासत भारत का आज भी उतना है।

माननय सभापति महोदय, हमको याद है कि कैसे पाक अधिकृत कश्मीर में माता सरस्वती का मन्दिर है। हमको याद है कि कैसे ढाका में ढाकेश्वरी माता का मन्दिर है। हमको याद है कि कैसे पाकिस्तान के अनेक स्थानों पर लवकुश की नगरी है। कैसे पाकिस्तान में अनेक स्थानों पर भारत की पुरानी सांस्कृतिक परम्पराओं की पहचान आज तक बनी हुई है, यह देश के नवजवानों का, देश के युवाओं का जो प्राणगान था, यह देश के युवाओं का हमारी भारत माता के लिए जो यशोगान था, भारत का यह जो गौरव गान था, यह सनातनी प्रतिमानों के लिए गाए जाने वाले गीत थे। अगर इस गीत को वर्ष 1923 में न छोड़ा गया होता, न आधा किया गया होता तो देश का स्वरूप ही कुछ दूसरा होता। माननीय सभापति महोदय, मैं नि:संदेह यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ है, आने वाले समय में इतिहास फिर से लिखा जाएगा, फिर से भारत अपने उन पुराने उपलब्धियों को, पुरानी प्रतिष्ठा को, पुराने क्षेत्र को सब कुछ प्राप्त करेगा, परंतु आज उसके मूल में यह आवश्यक है, जब 150 वर्ष हो चुके हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय जी, मैं आदरणीय जी से एक बात पूछना चाह रही हूं कि इन्होंने जिस पंक्ति से छेड़छाड़ की बात की है तो मैं उस पंक्ति को जानना चाहती हूं, हमारा पूरा लोकतंत्र जाने कि वह कौन सी पंक्ति है, जिनके साथ छेड़छाड़ किया गया?

सभापति महोदय :- महंत जी ने खुद जिक्र कर दिया है। थोड़ा भाषण सुना करिए, बहन जी। जिक्र कर चुके हैं, बैठिए।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सदस्य महोदया तब नहीं थी, ऐसा लगता है। माननीय सभापति महोदय, मेरा इस विषय पर सिर्फ इतना ही आपसे कहना है कि यह बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बड़ी अच्छी परंपरा हुई है कि आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आने वाले समय में भी युवाओं की प्रेरणा के लिए यह आवश्यक है, हमारे देश और समाज के लिए आवश्यक है। देश में इन पुरानी बातों को ध्यान करके आने वाले समय के लिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस विषय के लिए भी आवश्यक है। इस अच्छी चर्चा को कराने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- सभापति महोदय, धन्यवाद, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने अच्छे विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। लगातार इस पर कई बातें हो रही हैं। जब यह पता लगा कि आज इस पर चर्चा है तो हम लोग बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से यहां आए थे कि एक अच्छी चर्चा होगी, शहीदों को याद किया जाएगा, वंदे मातरम पर चर्चा होगी, लेकिन तीन-चार शब्द और आरोप बार-बार तुष्टीकरण, काट दिया गया, स्वरूप कुछ और होना चाहिए था, इस तरह की कई बातें सामने आई हैं। जैसा कि इतिहास हमें बताता है कि 1875 में बंकिम बाबू ने जब यह लिखा तो बांग्ला और संस्कृत में यह लिखा था और बाद में 10 साल बाद आनंद मठ में इसकी बात सामने आई और हम लोग भाग्यशाली हैं कि इसकी धुन सबसे पहले रवींद्रनाथ ठाकुर जी ने बनाई। रवींद्रनाथ ठाकुर जी उनका असल नाम था और अंग्रेजों के प्रोनंसिएशन से वह टैगोर हो गया तो दोनों में से किसी को भी आप जोड़ सकते हैं। सभापति महोदय, वर्ष 1905 में जब अंग्रेज सरकार के खिलाफ बंगाल विभाजन में जन आक्रोश था तो यह हम सबको पता है कि यही वंदे मातरम एक हथियार के रूप में सामने आया, एक हथियार के रूप में काम किया, जिसने हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी को साथ में जोड़ा और साथ में जोड़ने के बाद उस लड़ाई को लड़ा गया। आज जब हम देश की स्थिति देखते हैं तो हर जगह हिंदू मुसलमान, जहां हिंदू मुसलमान नहीं है तो जातियों में लड़ाइयां, इस तरह की बातें हो रही हैं। मेरे पहले भी एक वक्ता ने कहा, लेकिन हमें उस बात को भी याद करना चाहिए कि हमारी जो प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, उसमें सारे वर्ग और सारे धर्म के लोग थे, जिन्होंने बाद में बहादुर शाह जफर को भी अपना मुखिया माना। उसके बाद उनके बेटों के साथ क्या हुआ, यह सब जानते हैं। हमारी झांसी की रानी भी लड़ी, हमारे पेशवा भी लड़े, उस समय जात और धर्म का भेद भुलाकर यह लड़ाई सामने आकर लड़ी गई। वह कठिन परिस्थिति से देश जूझ रहा था, जब ये क्रांतिकारी हमारे नहीं रहे थे। यह पूरा संग्राम दबा दिया गया था, तब इस गाने की रचना हुई। सभापति महोदय, एम. रसूल, बंगाल के कांग्रेस में जब अधिवेशन चल रहा था बंगाल कांग्रेस का, तो वंदे मातरम गाए जाने की वजह से बर्बरता से पीटा

गया, और जब यह गाना गाने की वजह से लोगों को पीटा गया, यह पूरे देश में बात फैली और यह हर जगह इस गाने को, वंदे मातरम को गाया जाने लगा। कांग्रेस पार्टी के हर अधिवेशन में, हर कार्यक्रम में यह सामने आया। चाहे वह भगत सिंह हों, सुखदेव हों, हमारे राजगुरू हों, बिस्मिल्लाह, अशफाक उल्ला खान हों, सबने वंदे मातरम गाकर शहादत भी हमारे कई शहीदों ने दी, और लोग सामने भी आए और सबको एकजुट होने का काम किया। लेकिन उस समय भी कुछ लोग थे जो इस अलगाव की राजनीति को बढ़ावा दे रहे थे। अगर आप सब्यसाची भट्टाचार्य की किताब में देखें तो रविन्द्र नाथ टैगोर जी और नेहरू जी की बीच का पत्राचार का उल्लेख मिलता है कि कैसे जब लोगों ने यह कहा कि हमें इस गाने से विरोध है और इसको तोड़ा जा रहा था, तब टैगोर जी ने यह सुझाया था कि क्यों न हम इस भाग को रखें, ताकि इससे किसी की भावनाएं आहत न हो। मुख्य आपत्ति धर्म के नाम पर भी थी। कुछ मुसलमानों को भी थी, कुछ सिक्ख को भी थी, जैन, ईसाई या किसी को भी हो सकती थी, लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई में यह चाहिए था कि सब साथ में आये। कोई अलग नहीं जा सकता था क्योंकि अलग जाने का मतलब था कि हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती। अगर आप सुभाष चन्द्र बोस जी को देखें, नेहरू जी को देखें, रविन्द्र नाथ टैगोर जी को देखें तो इस वर्ष 1937 के आसपास इस डिस्कशन में सबका उल्लेख मिलता है कि कैसे एकजुटता रखी जाये और इस आंदोलन को एक गाने की वजह से जो इतना महत्वपूर्ण है, जो लोगों के दिल-दिल में बसा हुआ था, उसकी वजह से अलगाव पैदा मत हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई भी अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। यहां हर धर्म का सम्मान है। हम अपना धर्म किसी और के ऊपर क्यों थोपे? हम किसी को क्यों कहें कि आपको कैसे पूजा करनी है? कोई और मुझे क्यों बताएगा कि मैं हिंदू हूं, मैं कैसे पूजा करूंगा? यह मेरा और मेरे भगवान के बीच का रिश्ता है। यह थोपने की राजनीति बंद होने की आवश्यकता है। अगर दो छंद से पूरा देश एक हुआ तो आज हम उसमें तुष्टिकरण की राजनीति करना, बार-बार उसके बारे में बोलना, नेहरू जी के बारे में बोलना, मैं उससे सहमत नहीं हूं।

वंदे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्,
शस्यश्यामलां मातरम्, वंदे मातरम्,
शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं,
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं,
सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं,
सुखदां वरदां मातरम्, वंदे मातरम्!

सभापति महोदय, अगर हम लोग इसका मतलब देखें तो इसका पहला मतलब है मातृभूमि को नमन। यह वह भूमि जो जल से भी, फल से भी परिपूर्ण है। जो हरी-भरी है, समृद्ध है, पवन शीतल है।

आज हम लोग हसदेव को काटकर उसी शीतल को खराब करने का भी काम कर रहे हैं। हमें यह सोचना पड़ेगा कि जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमें अभी की परिस्थिति के बारे में भी सोचना पड़ेगा। यह बात सामने आई कि जब इसके 150 साल पूरे हुए, तब हम अंग्रेजों की गुलाम थे। जब 100 साल पूरे हुए, तब इमरजेंसी लगी हुई थी। जब हम लोग आज की स्थिति में बैठे हुए हैं तब आज सुबह का हंगामा हुआ। यह लोकतंत्र कहीं न कहीं खतरे में है। हमें इसके माध्यम से इसकी चर्चा भी करनी पड़ेगी।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, जिन्होंने देश को काले अध्याय से परिचित कराया, जिन्होंने लोकतंत्र में आपातकाल लगाया। आज उन्होंने अपने शब्दों में भी आपातकाल का जिक्र किया कि 100 वर्ष पूर्ण होने पर ईमरजेंसी लगी हुई थी। वह बतायें कि हसदेव अरण्य के कागज पर पहला दस्तावेजी हस्ताक्षर किसने किया था? अगर चर्चा हो रही है तो स्पष्टता के साथ में चर्चा होनी चाहिए।

श्री रामकुमार यादव :- जब ओ जंगल ला बेच के ढकारन नई हा, कोयला ला बेच के ढकारत नई हा अऊ बात करत हौ।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिये। यहां सभी से आग्रह है कि "वंदे मातरम" के 150 पूर्ण होने पर चर्चा हो रही है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से ही इस सदन में हसदेव अरण्य के लिए अशासकीय संकल्प लाया गया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था।

सभापति महोदय :- आपका समय आयेगा। चर्चा में आपका भी नाम है। मैं आपको भी बुलाऊंगा। भाई, आप वंदे मातरम के विषय में रहिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, बार-बार तुष्टीकरण की राजनीति की बात हो रही है। अब यह वंदे मातरम की चर्चा है तो वैसे यह चर्चा नहीं होनी चाहिए थी कि पूरा ब्लेम गेम नेहरू जी पर डाल दिया गया है।

सभापति महोदय :- आप बोलिये, उसमें मनाही नहीं है। नेहरू जी से सीधा हसदेव बहुत दूरी है। (हंसी) आप नेहरू जी तक बोलिये।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- उसके मतलब में पवन शीतल हवा है और जब यहां दूषित हो रही है तो उसको भी बोलना पड़ेगा।

सभापति महोदय :- आप बोलिये। आप बहुत अच्छा बोलते हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अगर हम नेहरू जी की बात करें तो वे सालों तक जेल में रहे। वे उस समय प्रधानमंत्री बने, जब हमारा रूरल डेथ 400 करोड़ के ऊपर था, मरता हुआ किसान था। हमें बहारियों ने गेहूं भेजा था, जिसको जानवर भी न खा पायें। अगर भाखड़ा नांगल डैम, आई.आई.टी., आई.आई.एम., एम्स की सपने देखने वाला इंसान को इन लोगों को दिक्कत लगती है तो यह दिक्कत

जिनको लगती है, उनकी हो सकती है, लेकिन यह देश की दिक्कत नहीं है। वह इंसान थे, जिसने देश के लिए सबकुछ कुर्बान कर दिया। मैं एक बार अटल बिहारी बाजपेयी जी का इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि जब मैं नेहरू जी का विरोध करता था और मैंने एक बार उनको सदन में कहा कि आपमें चर्चिल भी है और चेम्बर्लेन भी है तो उन्होंने शाम को यह नहीं कहा कि इसके घर में ई.डी., सी.बी.आई. भेज दो। यह उनके शब्द हैं, उन्होंने कहा कि आज आपने बड़ी तीखी बहस की है। इस तरह की राजनीतिक शुचिता से जब देश में पक्ष और विपक्ष एक साथ काम करें, हमें ऐसे लोगों को हीरो मानना चाहिए और हमें इनका धन्यवाद देना चाहिए। कांग्रेस की भूमिका पर आज काफी बात हो रही थी । सभापति महोदय, इस गीत से तीन वर्गों को बड़ी दिक्कत हुई है, एक अंग्रेजों को, चूँकि जैसे ही कोई वंदे मातरम गाता था, उसको पीटते थे, अंदर कर देते थे । दूसरा, मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग को भी इससे दिक्कत थी । वह विभाजन कराना चाहते थे, उन्होंने ही इस बात की शुरूआत की थी कि यह गीत हमें नहीं गाना है । तीसरा ऐसा भी पक्ष था, जो आजादी की लड़ाई में था ही नहीं । उनको वंदे मातरम से दिक्कत थी और हमारी आजादी की लड़ाई से भी दिक्कत थी । यह भी एक समूह हमारे देश में उपस्थित था । यह जो तीनों समूह थे, इनको वंदे मातरम नहीं गाना था, कई समूहों ने तो अपना नया गीत बना लिया, ताकि वंदे मातरम न गाना पड़े, यदि वंदे मातरम गाते तो इनको अंग्रेजी हुकूमत अंदर कर देती । इन्होंने नये-नये अपने गीत बना लिये और गाते रहे । सभापति महोदय, यहां तक कि सालों से हमारे राष्ट्रध्वज को भी नहीं फहराया गया और जब किसी ने राष्ट्रध्वज फहराने की कोशिश की तो उस पर केसेस कर दिये गये । कांग्रेस पार्टी के सभी अधिवेशनों में, राष्ट्रीय दिवसों में, अन्य औपचारिक कार्यक्रमों में हमेंशा से यह गीत गाया गया है । इन गीत के माध्यम से हम उन शहीदों को भी याद करते हैं, आजादी की लड़ाई को भी याद करते हैं और हम यह भी देखते हैं कि आजाद होने के बाद देश को देखना कहां पर चाहते हैं । सबसे पहले आज उसकी बात हो रही है, उसको तुष्टिकरण बताया जा रहा है । वर्ष 1950 में जब संविधान सभा ने डॉ.आम्बेडकर की अध्यक्षता में इसको जब स्वीकार्य किया है तो आज उसके ऊपर कोई बात होगी नहीं । जब डॉ.आम्बेडकर जी संविधान सभा और रविन्द्रनाथ टैगोर जी इस पर अपना व्यूह दे चुके हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हम कोई इनसे बड़े हैं और हम अपना व्यूह उस पर दे पाये । उस समय के हालात और आज के हालातों में बहुत फर्क है । उस समय के हालात जैसे थे, किसलिये यह डिसीजन्स लिये गये, हमें उनको सम्मान देना होगा । सभापति महोदय, आज लगातार तुष्टिकरण की राजनीति आज चल रही है, वह अलगाववाद की राजनीति है । वन्दे मातरम ने हमेंशा एक करने का काम किया है और उसी ध्येय के साथ हमको आगे जाना पड़ेगा । हमें यह देखना पड़ेगा कि हम अपना देश कैसा चाहते हैं ? जहां सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, शांति से हम बैठकर, मिलकर, देश को आगे बढ़ाने की बात करें या फिर हम अपने हीरोज् गांधी, नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम जैसे लोगों को मानते हैं या ऐसे

लोगों को मानते हैं जो किताबों में यह लिखते हैं कि गाय एक ऐसा जानवर है जो अपने ही मल-मूत्र में पड़ा होता है और उसे हमें नहीं पूजना चाहिये । हम क्या इस व्यूह के हैं ? हमें एक-दूसरे पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होना चाहिये । अगर मैं गाय को मानता हूँ, मेरा अधिकार है कि मैं गाय को मानूँ, मैं हिन्दू हूँ मैं मानूँगा, लेकिन कोई मुझे यह न थोपे और न ही मुझे सिखाये कि मुझे क्या करना है ? हमारे आईडल्स कौन होने चाहिये, हमारे हीरोज् कौन होने चाहिये, आज जब हम वन्दे मातरम की बात कर रहे हैं तो हमें इस बारे में भी सोचना होगा और देश को हम कहां लेकर जा रहे हैं, हमें इस बारे में भी सोचना होगा । आपने बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । वन्दे मातरम ।

सभापति महोदय :- श्री किरण देव जी ।

श्री किरण देव (जगदलपुर) :- आदरणीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम बहुत-बहुत धन्यवाद । मेरे लिये तो आज का दिन अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया, जबकि वन्दे मातरम पर चर्चा की दृष्टि से आपने इस महान विषय पर अवसर दिया है, यह बहुत बड़ा विषय है, यह छोटा विषय नहीं है । हम लोग जो पहली बार के सदन के सदस्य हैं, लगभग 50-51 लोग होंगे । हमारे वरिष्ठ सदस्य सदन में उपस्थित हैं, दो-बार, तीन-बार के जो विधायक हैं, उनको देखते हैं, सुनते हैं, हम उनके बोलने की कला को सीखते हैं, हमें कैसा प्रेजेन्टेशन करना है, हम अपनी बात कैसे रखें, चर्चा के दौरान यह सीखते हैं । मुझे लगता है कि वन्दे मातरम जैसा विषय कहीं न कहीं टर्न आऊट होता हुआ नजर आया । हमने तो यही सीखा है कि जब कोई विषय आ गया तो विषय पर ही केन्द्रित रहना है। मैं अभी आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी की बात सुन रहा था, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप बड़ी कोमलता और विनम्रता के साथ अपने विषय को रखते हुए जो बात कहनी है वह बात आप कह देते हैं। सभी लोगों से अलग-अलग चीज सीखने को मिलती है। कहीं-कहीं बहुत रशेस देखने को मिलता है, वंदे मातरम पूरी तरह से टर्न आउट हो जाता है। हम वंदे मातरम के विषय पर किसी तरीके से पूरे पॉलिटिकल मैसेज को ले आते हैं, ये सब सीखने का विषय है। माननीय सभापति महोदय, मैं सीधे-सीधे वंदे मातरम पर आता हूं, वास्तव में वंदे मातरम भारत माता की जय, एक सूत्र में तीन अक्षरों का यह मेल है। जब वंदे मातरम और भारत माता की जय का विषय आता है तो मैं बहुत ही गर्व के साथ इस बात को कहता हूं, हमारा देश पूरे विश्व में एकमात्र देश है जिसको माता का दर्जा दिया गया है, वरना किसी देश को माता का दर्जा नहीं दिया गया है। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। (मेजों की थपथपाहट) हमारी माता सर्वथा पूजनीय होती है, वह स्थान हमारे देश की है। आजादी के समय से वंदे मातरम के साथ हमारा देश, हमारे माता की स्तुति, उसका ज्ञान, उसके साथ कई बातें जुड़ी हैं। अंग्रेजों का नृशंस आचरण रहा है, इस देश को किस तरीके से गुलामी में लाकर खड़ा किया, किस तरीके से प्रताड़ित अत्याचार किया गया, उससे मुक्ति के लिए उस समय स्वतंत्रता के आंदोलनकारियों ने हमारे देश और जिन-जिन चीजों को लेकर देश की आजादी का

आंदोलन चले, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका वंदे मातरम शब्द भी है, इसने एक ऊर्जा प्रदान की। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जो को इस विषय के लिए धन्यवाद दूंगा। There is no political may ley jet all. वंदे मातरम के 150वीं वर्ष में केन्द्र की सरकार भारत सरकार ने ये तय किया किया हम 150वीं वर्ष को एक वर्ष तक पूरी तरीके से मनाएंगे। सभी के मन में प्रेरणा जगी। मुझे ये कहने में कहीं संकोच नहीं हो रहा है कि इन विगत् कुछ वर्षों से जब हम थर्ड जनरेशन, सेंकड जनरेशन के विषय पर चर्चा करते हैं या उनके बीच उठते-बैठते हैं तो जो आधुनिकीकरण का अंधा दौड़ हुआ चल रहा है, सभी वरिष्ठ लोगों ने कहा कि ये हमारा एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पहल है, 150 वर्ष पहले वंदे मातरम जिस तरीके से हमारी आत्मा बनी, जो हमारा संपूर्ण जीवन दर्शन बना, देश के प्रति उस समय के युवाओं ने, उस समय के स्वतंत्रता के आंदोलनकारियों ने जिस तरीके से इसको अपनाकर देश की स्वतंत्रा में अपनी आहुति दे दी, आज क्या स्थिति है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदे मातरम की बात सभी तक पहुंचे, इसके लिए ये चर्चा निर्धारित की। उसमें दो अलग-अलग विषय आए। ये बात सही है कि उस समय आखिरी के दो छंद हम भी नहीं जानते थे। अभी तो हमारे पास पूरा विषय है। हमारे पास पूरी वंदे मातरम है। मैं दूसरे विषय पर नहीं जा रहा हूं, उस विषय काफी बातचीत हो चुकी है फिर वह डायवर्ट होता है, फिर काउंटर और सारी बातें आती हैं, फिर विषय विषयांतरित हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मुझे तो प्रसन्नता है कि वंदे मातरम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज सभी लोग हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी लोग अपना विषय रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता कि इसमें डायवर्सन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे आपने बताया, वंदे मातरम, मां तुझे प्रणाम, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने एक विषय रखा, शुरू में उन्होंने एक अंश रखा। मैं उसको नहीं रखूंगा, लेकिन आपसे मिलता जुलता विषय इसमें है। हे मां, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। हृदय को आलाधित कर देने वाला विषय है। सुजलाम का अर्थ-तुम जल से भरी हो। सुफलाम का अर्थ है-तुम फल से भरी हो। मलयज शीतलाम का अर्थ है-मलय पर्वत की शीतल हवा से युक्त हो। शस्यश्यामलाम मातरम का अर्थ है-हरी-भरी फसलों वाली मां। शुभ्रज्योत्सनाम पुलकितयामिनीम का अर्थ है-जिसकी रातें स्वच्छ चांदनी की तरह हो। फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम का अर्थ है-खिले हुए पुष्पों और लताओं से सुशोभित हो। सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम का अर्थ है-जो हमेशा हंसती रहती है और मधुर बोलती है। सुखदाम सरदाम मातरम का अर्थ है-सुख और वरदान देने वाली मां। इसमें सब कुछ समाहित है। यह जो 150 साल पहले की गाथा है, सबने उसका वर्णन किया। मैं उस विषय में संक्षिप्त में आता हूं। जब हमारा भारत अंग्रेजी शासन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और घनघोर निराशा थी। अंग्रेजों के द्वारा शोषण व अत्याचार किया जाता था। उस समय वंदे मातरम ने हमारे युवाओं में एक ऊर्जा डालने का काम किया। बंकिम चंद्र चटोपाध्याय जी इसके रचियता हैं। इसमें एक विषय यह है कि यदि इस वंदे मातरम के पूरे पद्य को देख लिया जाये, पूरी गीत को देख लिया जाये तो इसमें बंग्ला शब्द और

संस्कृत शब्द का समावेश है। जब डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने इस गीत को मान्यता दी तो राष्ट्रगान के रूप में जन-गण-मन और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम समाहित हुआ। आज हम सभी कभी किसी कार्यक्रम, किसी आयोजन की शुरूआत करते हैं तो जन-गण-मन से करते हैं और फिर वंदे मातरम से उसका समापन होता है। यह हमारे पूरे देश की पहचान बन गई है। इसके पीछे का आशय यह है। मैं क्षमा सहित बालूंगा कि कभी यह विषय, वह विषय, जंगल जैसे सारे विषय आ गये, लेकिन आपको उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी। इस राष्ट्रीय गीत को राष्ट्र गीत के रूप में स्वीकार करने की घोषणा हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी ने की थी। भारत की विविधता, संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम, हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश का कल्चर, उसको पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से इस गीत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पूरे देश भर में निभाई।

समय :

3.52 बजे

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, अभी एक विषय आ रहा था। आदरणीय विजय शर्मा जी ने उसका उल्लेख किया है कि हमारा भारत इतना विशाल हुआ करता था। जब हम अखण्ड भारत की बात करते हैं तो उसमें पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा तक की बात होती है। वह इसलिए होती है, क्योंकि वहां इसके अंश भी हैं। पाकिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर है और वहीं से उत्पाद है, ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार से बांग्लादेश में भी है। मैं वर्तमान परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता का विषय संक्षिप्त में रखूंगा, फिर अपने विषयों को समाप्त करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने हमेशा इस बात को देखा है। मैं उधर नहीं जा रहा हूं। मैं उस विषय पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हम अपने किसी भी कार्यक्रम, किसी भी योजना, आयोजन की जब शुरूआत करते हैं या जब मैं कुछ बात बोलता हूं, तब हमारी शुरूआत भारत माता की जय से होती है। हमारा देश सर्वोपरि है, राष्ट्र ही सर्वोपरि है और यह हमारा मूल मंत्र है। नेशन फर्स्ट, फिर दल, फिर हम। फर्स्ट में राष्ट्रीयता सर्वोपरि है, राष्ट्रीय भावना सर्वोपरि है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ मैं कहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों की शुरूआत इसी से होती है और वंदे मातरम से हम उसका समापन करते हैं। सामाजिक एकता और समरसता को बनाये रखने के लिए यह जो हमारी वंदे मातरम गीत है, इसके अंश को यदि हम देख ले तो पूरे देश में आज की पीढ़ी के घर-घर तक, हर वर्ग तक, हर आयु तक, हर क्षेत्र तक वंदे मातरम गीत है। जब हम सीमा से बाहर जाकर बात करते हैं। मैं सुन रहा था तो इसको रखा जाए तो सामाजिक समरसता, एकता, देश की अखण्डता, हमारी सम्प्रभुता सभी एकसाथ मिलकर उस दिशा में चलेगी। पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि उस समय हम सब एक हुआ करते थे। सर्वाधिक संवैधानिक मूल्यों का सम्मान। ये लोकतंत्र और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति

निष्ठावान रखने की जो प्रेरणा है, वह हमारे वन्दे मातरम के माध्यम से परिलक्षित होती है। इतनी खूबी लिये हुए और इतनी विशेषता लिए हुए ये वन्दे मातरम, आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। वन्दे मातरम की बहुत सारी बाते हैं और यह पूरा विषय है। लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि अभी मुझे लगता है कि ठीक बात है। अभी 6, 8 वक्ता इधर से भी हैं और 6, 8 वक्ता उधर से भी हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं वास्तव में एक और दो लाइनें इसमें जोड़ते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा। आप वर्ष 2025 को देखिये कि अपने आप में कितनी विशेषता लिए हुआ है । आदरणीय अरूण जी ने उस विषय को ले लिया है लेकिन मैं उसको एकदम रेखांकित करके बोलना चाहता हूँ। हम इसी वर्ष 2025 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। अभी हमारा उसमें सब कुछ Run for unity और सारा कुछ पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको रखा। यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हम सब इसी वर्ष हमारे आदर्श और हमारे प्रेरणा के स्त्रोत देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, आदरणीय अटल जी की भी 100वीं जयंती मना रहे हैं और वह एक वर्ष तक चलेगा (मेजों की थपथपाहट)। आदणीय प्रधानमंत्री जी का इसी वर्ष फिर से धन्यवाद कि वन्दे मातरम जो कहीं खोया हुआ प्रतीत होता था, हम उसकी भी 150वीं जयंती मना रहे हैं। साथ ही साथ हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी मना रहे हैं। कुल मिलाकर 2025 और वास्तव में हम जिस पीरियड में चल रहे हैं, उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज के वन्दे मातरम को लेकर। आदरणीय सभापति जी, आपने यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा संस्थित की है, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहत अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय पर मुझे भी समाहित करते हुए अपना विषय रखने का और चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया । भारत माता की जय, वन्दे मातरम। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- धन्यवाद। श्री विक्रम मण्डावी जी।

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- सभापति महोदय, आज यह पूरा सदन और हम सभी उस पावन गीत वन्दे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहां सदन में चर्चा कर रहे हैं। हमारे सभी सदस्यों ने भी अपनी-अपनी बाते रखी हैं। मैं भी अपनी बात रखूंगा। वन्दे मातरम, पावन गीत, जो भारतीय संविधान की पहचान भी रहा है। मैं इस वन्दे मातरम को किसी वर्ग या समाज या किसी व्यक्ति विशेष पर बाटना नहीं चाहूंगा क्योंकि वन्दे मातरम पूरे भारत देश के सभी भारतवासियों की पहचान है और वन्दे मातरम में कोई भेदभाव नहीं। इस भारत देश में जो भी व्यक्ति ,जिस भी वर्ग का या जिस भी समाज का रहता है जो भारत देश को मानता है वह वन्दे मातरम को मानता है और वन्दे मातरम का सम्मान करता है। हमारे साथी बार बार यह बोल रहे हैं कि कहीं न कहीं हम वन्दे मातरम का आपसे ज़्यादा करते हैं लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि इस वन्दे मातरम का जितना सम्मान आप कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम भी कर रहे हैं और इसलिए क्योंकि वन्दे मातरम के साथ हमारा और भारतीय

राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो अटूट और ऐतिहासिक नाता रहा है, इसको कोई भी झूठला नहीं सकता और यह हर कोई जानता है। माननीय सभापति महोदय, इतिहास के पन्ने इस बात के भी साक्षी हैं कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रपिता महत्मा गांधी की उपस्थिति में गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार कांग्रेस के मंच से इस गीत को स्वरबद्ध किया था और 24 जनवरी, 1950 को जब संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के सम्मान का दर्जा दिया तब डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने इसके सम्मान की गरिमा को संवैधानिक रूप से स्थापित किया। इतिहास गवाह है कि जब देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, तब इसी वंदे मातरम के गीत ने हमारे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए, फांसी के फंदे पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने की शक्ति दी है। सन् 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जब इसे पहली बार गाया गया था, जब से लेकर आज तक यह गीत देश के जनमानस में रचा, बसा है, इसे हम सभी जानते हैं। लेकिन आज हम सभी देख रहे हैं कि देश भक्ति का पाठ पढ़ाने की कोशिश हर तरह से की जा रही है जो कहीं भी उचित नहीं है। जब हमारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, पूरा देश एक जुट होकर लडाई लड़ रहा था, जो आज देश भक्ति का पाठ पढ़ाने की बात करते हैं, उस समय उस विचारधारा के लोग कहां पर खड़े थे, किसके साथ खड़े थे, यह भी आप, हम सब और पूरा देश जानता है। सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर चर्चा कर रही है, बहुत अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए। इसका हम सभी स्वागत करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिये भी इसका कहीं न कहीं उपयोग या आड़ लेने के रूप में भी किया जा रहा है जो कि उचित नहीं है। आज प्रदेश के लाखों किसान धान खरीदी केन्द्रों पर बारदाने सहित तौल नहीं होने की वजह से भुगतान के लिये लगातार बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके विरोध में हमने 15 और 16 दिसंबर को सदन से वाकआउट भी किया था और तब सरकार उन बुनियादी सवालों से भागने के लिये हमें ये लगता है कि ये भावनात्मक एजेंडा लेकर सरकार लोगों का ध्यान भटकाने का काम करने का प्रयास कर रही है। सभापति महोदय, वंदे मातरम में हम लाइन गाते हैं, सुजलाम, सुफलाम, मलयज शीतलाम, शस्यश्यामलाम भूमि की जो वंदना करते हैं। लेकिन वही सरकार जो गीत गा रही है, लेकिन हसदेव अरण्य के उन वनों में जिस तरीके से वहां के आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है और जिस मिट्टी की हम वंदना करते हैं, उस मिट्टी में रहने वाले, बसने वाले जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनको किस तरीके से बेदखल किया जा रहा है, यह आज पूरा छत्तीसगढ़ जान रहा है। सभापति महोदय, मातृभूमि की सेवा उसके अन्नदाता की सेवा होना है। लेकिन यहां जो हम गीत गा रहे हैं और उसके बाद केन्द्रों पर किसानों को धान खरीदी का टोकन नहीं मिलने की वजह से, बारदाना के लिये और अन्य परेशानियों की वजह से परेशान हो रहा है, क्या उन अन्नदाताओं की आंखो से आंसू पोछना वंदे मातरम की सच्ची सेवा नहीं है? क्या उन किसानों के आंखों के आंसू पोछे बिना वंदे मातरम की चर्चा करना कहीं न कहीं मुझे लगता

है कि उचित नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम में हम भारतमाता की वंदना करते हैं, लेकिन प्रदेश में लगातार बेटियों के बढ़ते अपराध भी हो रहे हैं। उसको भी हमें देखना चाहिए, केवल शब्दों में सीमित नहीं रहना चाहिए। जब हम बेटियों की बात करते हैं तो कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा का भाव भी हम सबको करना चाहिए। सभापति महोदय, सरकार ने यह जो विशेष चर्चा लाई है, उसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि इस चर्चा में हम सबने भी अपनी बात रखी और आपने भी बात रखी, पूरा सदन इससे सहमत है कि सबको राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सम्मान करना है, हम सभी करते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन इसमें हम ज्यादा करते हैं और आप कम करते हैं, इस भाव के साथ में ये चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि खासकर जो हमारे सत्तापक्ष के साथी हैं, वह कहीं न कहीं राष्ट्रविरोधी ऐसा करके कटघरे में खड़ा करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार से चर्चा नहीं होनी चाहिए। विजन-2047 और भावनात्मक मुद्दो की आड़ में कहीं राज्य की बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ता कर्ज और गिरती कानून व्यवस्था को जनता से ध्यान भटकाने का भी प्रयास है। सभापति महोदय, हम वंदे मातरम का जयघोष पूरे गौरव के साथ करेंगे, लेकिन सरकार से ये भी बोलना चाहेंगे कि नारों की आड़ में जनता के हक को भी दबाने का प्रयास न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूंगा कि वंदेमातरम् राष्ट्र का है, हम सबका है और हम गीत का सम्मान करते हैं लेकिन हम उस राजनीति का भी पुरजोर विरोध करते हैं जो गीतों के पीछे राज्य की बदहाली को छुपाना चाहती है । मैं अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज सभी पूरा सदन इस बात से सहमत है कि हम सभी राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो आजादी से लेकर आज तक लोगों के बीच में, जनमानस और जिस गीत ने हमारे देश के क्रांतिकारियों को, हम सबको अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया है और देश की आजादी में अहम भूमिका निभायी । जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब से लेकर आज तक उस गीत के साथ हम सभी उस भाव के साथ में हैं और उसका सम्मान करते हैं, आगे भी करेंगे । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय वंदे मातरम ।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद । मैं सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वंदे मातरम् गान के संबंध में सदन का ध्यान ध्यान आकर्षि कराया और हम सबको बोलने का, अपनी बात को रखने का अवसर दिया । मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस विषय का प्रतिपादन किया, चर्चा की शुभारंभ की ।

माननीय सभापति महोदय, यह वंदे मातरम है जिसको गाकर के न जाने लाखों क्रांतिकारियों ने अपने देश की आजादी के लिए इस देश की खातिर हंसते -हंसते फांसी के फंदे पर झूल गये, न जाने कितनी वीरांगनाओं ने इस देश की, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते-हंसते उन्होंने अपने जीवन का

बलिदान कर दिया और स्वाभाविक है कि जब ऐसे विषय पर आज चर्चा हो रही है तो निश्चित ही आज समूचे सदन की भी भावना है । माननीय सभापति महोदय, आज इसकी जरूरत क्यों पड़ी, चर्चा करने की क्यों आवश्यकता पड़ी ? आज कहीं न कहीं एक तरह से एक रेखा तो खींच गयी कि भारत में यदि रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा । (मेजों की थपथपाहट) भारत में अगर यह गूंज रहा है तो कहीं न कहीं तो ऐसे लोग हैं न, जो भारत में रहकर के इस देश में, इस देश की मिट्टी, इस देश की जो विशेषताएं हैं उसको सम्मान न देते हुए, हम यदि बंग्लादेश और पाकिस्तान का गुण गायेंगे तो ऐसे लोगों को क्या सबक सिखाना चाहिए ? मैं समझता हूं कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बात रखी है उससे आज इसी बात की, यह तो आज चर्चा हो रही है । आज इसकी जरूरत है कि आज अगर यह भावना हो जाये, वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने का एक विजन है, दृष्टिकोण है और भारत माता की वंदना, उसकी सुंदरता, उसकी शक्ति -समृद्धि, उसके गुणगान करने का एक गीत है। माननीय सभापति महोदय, आज जिस प्रकार से हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भी जिस विषय को रखा । आप बाहर से हो आईये। मैं अपनी बात जारी रखूंगा। सब ने इतिहास के बारे में अपनी बात को रखा है। मैं समझता हूँ कि आपकी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी आज लगातार नीचे क्यों जा रही है? यह वन्दे मातरम् की वजह से है। वन्दे मातरम् की जो भावना होनी चाहिए, उस भावना का आपने आदर नहीं किया। आपकी पार्टी अभी तक जिस ideology पर चल रहे हैं उसके वजह से यह हो रहा है। यह बताईये कि सरदार पटेल जी वह देश के उपप्रधानमंत्री जी रहे देश के गृहमंत्री रहे, आपने उनके साथ क्या किया। आपने तो कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व ने आज सरदार पटेल जी को वैभवशाली व्यक्तित्व था जिस प्रकार से देश लिए उन्होंने जो कुर्बानियां दीं, उन्होंने देश को जो दिया उसको लेकर आज पूरे देश के कोने-कोने से एक-एक गांव की मिट्टी से एक-एक गांव की, एक-एक लोहे को एक-एक कड़ी को जोड़ने का हम लोगों का अभियान चला था। हमने अभियान चलाकर इतना बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है। आप जाईये और देखिये कि वह हमें क्या संदेश देता है। गांव को जोड़ने का, सरदार पटेल जी ने एक-एक रिसायतों को एकीकरण करके देश को जोड़ने का जो काम किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने उनकी कल्पना के आधार पर एक-एक गांव को एक साथ जोड़ने का जो काम किया और वहां जोड़कर के इतना बड़ा स्टैच्यू बनाया गया और आज उस स्टैच्यू को देखने के लिए देश और दुनिया के पर्यटक वहां जा रहे हैं। हमने यह काम किया है। आपने बापू के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कीं। महात्मा गांधी जी के नाम से हमने यह कर दिया, वह कर दिया और ऐसा कर दिया। आपने क्या किया, आपने बापू जी को चौक चौराहों में बैठाकर छोड़ दिया और लोगों ने उनका चश्मा भी गायब कर दिया। साल में एक बार 2 अक्टूबर आता था तो झाड़ू पोंछा करते थे। हमारी सरकार ने देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेन्द्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने यह

अभियान चलाया। यह साल भर का अभियान लगातार चलेगा। दो अक्टूबर से लेकर आगे तक हमार वर्ष भर कार्यक्रम चलेगा। यह वन्दे मातरम् ..।

श्रीमती सगीता सिन्हा :- आदणीय सभापति महोदय, मैं यह बात करना चाहूंगी कि अगर आप बापूजी का इतना सम्मान करते हैं तो मनरेगा के नाम क्यों बदला।

श्री रामविचार नेताम :- सुन तो तोरो नाम हो ही। तैं बईठ जा।

श्रीमती सगीता सिन्हा :- आपने नाम क्यों बदला? जब आप सम्मान करते हैं तो रहने दीजिए।

श्री रामविचार नेताम :- मैं तोला समझा दूहूं, तैं बईठ जा।

श्री धर्मजीत सिंह :- उनका नाम बड़ी वाली योजना में रखना है।

श्रीमती सगीता सिन्हा :- आप लोग बापू जी को हटाना चाह रहे हैं। यह बाद की बात है। आप बापूजी का सम्मान कर रहे हैं करके, यह बात रख रहे हैं।

सभापित महोदय :- माननीय संगीता जी, इसके बाद आपको ही बोलना है।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, अब मैं आगे बात कर रहा हूँ। अब भगवान बिरसामुण्डा जी के बारे में यह लोग सोचे थे कि ट्रायबलों का कोई भगवान और कोई नेता ही नहीं है। आप लोग यही करते थे। कोई किसी के बारे में इतना सम्मान नहीं दिया। देख लीजिए अगर आप लोगों ने सम्मान दिया होता तो हमारे लखेश्वर बघेल जी का यह हालत किये होते। लखेश्वर जी मैं, आपको बता दूं।

श्रीमती सगीता सिन्हा :- आदणीय सभापति महोदय, बिरसामुण्डा जी की जन्मस्थली मेरे विधान सभा में है और वहां पर बहुत बड़ा महोत्सव होता है। वहां 4 दिन का महोत्सव होता है। इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी गये थे।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय संगीता जी, अभी तैं बहुत ज्यादा बोलत हस।

श्रीमती सगीता सिन्हा :- हम लोग गलत नहीं सुन सकते।

श्री सुशांत शुक्ला :- संगीता जी, बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली कहां है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- बिरसा मुंडा जी का वीर महोत्सव मेरे विधान सभा क्षेत्र में मनाया जाता है ।

सभापति महोदय :- नेताम जी, आप अपनी बात रखिए ।

श्री सुशांत शुक्ला :- संगीता जी, बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली कहां है, यह तो बताईए ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, हमें लगातार नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है । आज बहुत उत्सव का दिन है । यहां पर आप बापू को ले आये, हमारे बापू बहुत ही सम्माननीय हैं । जब बापू जी इतने सम्माननीय है तो आपने मनरेगा का नाम क्यों बदला ? आप बताईए न ।

श्री धर्मजीत सिंह :- बदल दिए भई ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- क्यों बदले ?

श्री धर्मजीत सिंह :- क्या करोगे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वे हमारे सम्माननीय हैं । बापू हमारे पूज्यनीय हैं ।

श्री सुशांत शुक्ला :- अभी तो योजना का नाम बदला है, पूरे देश में छद्म गांधियों को बदल दिया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- महात्मा जी वर्ल्ड आईकॉन हैं । उनको किसी नाम की जरूरत नहीं है, किसी पहचान की जरूरत नहीं है । (मेजों की थपथपाहट) दूसरा, आप यह भ्रम निकाल दीजिए कि गांधी टाईटिल आपका है । तीसरी बात, गांधी के नाम से 1952 से अब तक खा रहे हो, उसको बंद करिए । गांधी ही विश्वसनीयता इसलिए खत्म हो गई ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नेशनल हेराल्ड से आज ही फैसला आया है, जो आपने ज्यादती की है न, उसका रिजल्ट आया है । आज सत्य की जीत हुई है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोला रामविचार जी अकेल्ला में समझाही ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आज साबित हो चुका है कि सत्य की जीत हुई है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नेशनल हेराल्ड में कोई कोर्ट ने फैसला दिया तो आप लोग तख्ती लटकाकर आ गए और वही कोर्ट जब फैसला देता है तो बोलते हो कि हमारे साथ अन्याय किया ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने इतने सालों से हमको कोर्ट में घसीटा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप वंदे मातरम् तक सीमित रहिए, मनरेगा तक बाद में आएंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- आखिर में सत्य के जीत होथे । हमन महात्मा गांधी जी के बड़ई करथन । आप मन दिखावा मत करौ ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आज वंदे मातरम् का दिन है, आज जश्न मनाने का दिन है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने कहा कि बिरसा मुंडा को आपने नहीं पूछा । बिरसा मुंडा तो बड़े आदिवासी वीर शहीद हैं । वहां बहुत दिन हो गया, बेचारे कवासी लखमा जेल के अंदर में हैं । पंजाब का आपकी पार्टी का अध्यक्ष जेल में मिलने गया, कवासी लखमा से नहीं मिला और एक मंत्री के बेटे से मिलकर आ गया । आपकी नजरों में आदिवासियों की यह कद्र है । वह कवासी लखमा से क्यों नहीं मिला ?

श्री लखेश्वर बघेल :- आप कैसे लांछन लगा रहे हैं कि नहीं मिले करके । आप देखने के लिए जेल में गए थे ? उनसे दो-दो बार मिलकर आ गए हैं । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मिलकर गए हैं ।

श्री लखेश्वर बघेल :- अब क्या वे आपसे पूछकर मिलने जाएंगे ? आप वरिष्ठ आदमी हो, विषय पर अपनी बात रखिए । आप विवादित बात करते रहते हैं । इतनी अच्छी चर्चा चल रही है, जबरदस्ती उल्टा-पुल्टा, ऊल-जलूल बातें लाते हैं । हम लोग भी क्या कुछ नहीं बोल सकते या आप ही लोग बोलते रहोगे । ऊल-जलूल बात है । कौन मिलने गया, कौन मिलने नहीं गया ? आप ठेका लिए हो क्या ? दो बार मिलने के लिए गए हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं ऊल-जलूल बात नहीं कर रहा हूं । आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- हमारे आदिवासी नेता सीधे हैं, उस नेता को आपने झूठे केस में जेल में डाल दिया (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप आरोप नहीं लगा सकते, वे हमारे साथी हैं । हम जाएं या नहीं जाएं, आप आरोप नहीं लगा सकते ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मेरी बात सुनिए । आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए।

श्री लखेश्वर बघेल :- हम नहीं सुनेंगे । हम भी बोल सकते हैं । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपको तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं (व्यवधान)

श्री लखेश्वर बघेल :- दो बार मिलने गए हैं । क्या आप ठेका लिए हो ?

किससे मिलना है या नहीं मिलना है, यह आपसे पूछकर जाएंगे क्या ? इस तरह का विवादित बयान मत दीजिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदयस, मैंने इतना ही कहा कि बिरसा मुंडा को लोगों ने याद नहीं किया । कवासी लखमा जी हमारे सदन के सदस्य हैं । जेल में इनका राष्ट्रीय नेता मिलने गया, वह उनसे नहीं मिला, बल्कि दूसरे से मिलकर वापस आ गया । इसमें क्या आपत्तिजनक है ?

श्री लखेश्वर बघेल :- दो बार मिलकर आये हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं मिले ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम मिलने जाएंगे तो आपको बताएंगे क्या ? (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- दो बार जेल गया, लेकिन लखमा से नहीं मिला । आप बहुत गलत बात बोल रहे हैं (व्यवधान)

श्री लखेश्वर बघेल :- मिलने जाएंगे तो आपको बताएंगे क्या ? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- हमारे आदिवासी नेता को जबरदस्ती जेल में डाल दिए (व्यवधान)

श्री रामविचार नेताम :- आप लोग ऐसे ही करेंगे क्या ? आपके नेता जी खड़े हैं ।

श्री बघेल लखेश्वर :- आप वंदेमातरम पर चर्चा करिये, उलजुलूल की बात मत करिये, अन्यथा हम लोग बहिष्कार कर देंगे।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- आदरणीय सभापति महोदय, बहुत ही पवित्र सदन में बहुत ही पवित्र वंदेमातरम पर चर्चा चल रही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप हमको बतायेंगे कि हमको क्या बोलना है ?

श्री बघेल लखेश्वर :- आपको बोलने के लिए कौन बोल रहा है। आप ही तो ऐसी बात करते हो।

श्री राम विचार नेताम :- लखेश्वर जी, आपका अभिनन्दन है।

श्री बघेल लखेश्वर :- आप बात करिये, सर।

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति जी, पवित्र चर्चा चल रही है। उस "वंदेमातरम्" की पवित्रता को बनाये रखिये। जो इधर-उधर भटक रहे हैं, उनको थोड़ा शांत करा दीजिये।

सभापति महोदय :- नेताम जी।

श्री राम विचार नेताम :- माननीय सभापति जी, अभी तो मेरी भूमिका बन रही है। नेता जी, आप इधर आईये। नेता प्रतिपक्ष जी, अभी आप बैठिये, मैं अभी भूमिका बना रहा हूं, मैं तो शुरूआत कर रहा था। लखेश्वर जी, मेरी वाणी से आपको तकलीफ तो नहीं हुई न ? आप बता दीजिये। अगर आपको तकलीफ हुई होगी तो मैं शब्द वापस ले लूंगा। लखेश्वर जी का धीरे-धीरे कलर बदल रहा है। उनका कलर इसलिए बदल रहा क्योंकि उधर से मोह भंग हो रहा है। क्यों ? क्योंकि वह तो डूबती नाव है। आप डूबते नाव से इधर-उधर भागिये।

श्री बघेल लखेश्वर :- मूल बात में आईये, इधर-उधर की बात मत करिये।

श्री राम विचार नेताम :- सभापति महोदय, मैं वैचारिक बात कर रहा हूं। भगवान बिरसा मुण्डा के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केन्द्र की सरकार ने इस मातृभूमि की रक्षा करने वाले लोगों को सम्मान देने का काम किया है। देश में ऐसे बहुत सारे जनजातीय वर्ग हैं, ऐसे भी बहुत सारे महापुरूष हुए हैं, जो देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाईयां लड़ते-लड़ते अपने को समूल नष्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारे महापुरूषों को इतिहास में उनको कहीं जगह नहीं मिला था। आज केन्द्र की सरकार माननीय नरेन्द्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने उनको इतिहास में जगह दिलाने के काम किया है इससे हमारे "वंदेमातरम्" गाया हुआ गीत, जो गाया जाता है, वह भी सार्थक हो रहा है।

सभापति महोदय, यदि आज नक्सल समस्या, बस्तर हो या देश के बाकी राज्यों में हो, क्यों हुआ ? क्योंकि उनमें "वंदेमातरम्" के भाव नहीं थे। अगर "वंदेमातरम्" का भाव होता तो यह नक्सली समस्या नहीं हुई होती। अगर "वंदेमातरम्" का भाव होता तो देश में आतंकवादी नहीं होता। इसी बात को प्रतिपादित करने के लिए, आज इसकी विशेषता को स्थापित किया जा रहा है। इसमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन "वंदेमातरम्" के पक्ष वाले हैं और कौन "वंदेमातरम्" के खिलाफ वाले लोग हैं।

सभापति महोदय, जहां तक "वंदेमातरम्" का गीत पूजा का प्रतीक ही नहीं, बल्कि यह मातृभूमि को सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में नमन है। स्वतन्त्रता आंदोलन की भूमिका में 1905 से 1942 तक

क्रांतकारियों, सत्याग्रहियों और छात्र आंदोलनों में "वंदेमातरम्" प्रमुख स्वर रहा है और यही हमारी जीत की प्रेरणा रही है। इसीलिए हम हर कार्यक्रम में, चाहे हम लोगों का संगठनात्मक चर्चा हो या शासकीय कार्यक्रम भी होते हैं, वहां भी "वंदेमातरम्" के बाद ही हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है। आपके यहां "वंदेमातरम्" के गाने में भी विभाजन की रेखा खींची जाती है। कौन सा गीत गाया जाना चाहिए, कौन सा गीत नहीं गाना चाहिए, क्या मातृभूमि आपके और हमारे लिए अलग-अलग है ? आपके पक्ष वालों के लिए अलग हो सकता है। आपको आज यह बात साबित करनी होगी। आज हमारी मातृभूमि के लिए अगर हम वंदे मातरम नहीं गा सकते तो क्या कर सकते हैं? सभापति महोदय, आज जिस प्रकार से वंदे मातरम को लेकर इतिहास में बहुत सारी जो गलतियां की गई हैं, इतिहास में कुछ बातें रही हैं, जिसकी वजह से वंदे मातरम की गीत को संक्षेप किया गया, कम किया गया और इसे गाने में भी लोगों ने कुछ असहजता महसूस किया। ऐसे कौन-कौन लोग थे भाई? किसने रोका? यह भी तो देश की जनता को जानने का अधिकार है। यह तो जानना चाहिए। इसी बात के लिए तो यह चर्चाएं हो रही हैं। सभापति महोदय, हम तो यह हर जगह में गाते हैं कि राष्ट्र की जन चेतना के गान वंदे मातरम, झल्लरी झनकार झनके नाद वंदे मातरम तो हमारी तो हर जगह में हर स्थल में हम लोग वंदे मातरम के गान के बाद ही हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होती है। हम वह लोग हैं और आप आप क्या कर रहे हैं? तुष्टीकरण के आधार पर मातृभूमि की वंदना को आप रोक देंगे। तुष्टीकरण का ध्यान रखते हुए वोट की राजनीति के आधार पर आप वंदे मातरम को छोड़ देंगे। इस तरह की सोच वाले लोगों पर धिक्कार है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं, लेकिन मैं यह सोचकर यह कह रहा हूं। मैं इस सोच को मैं धिक्कारता हूं

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय मंत्री जी, आप बार-बार यह बोल रहे हैं कि वंदे मातरम को छोड़ रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वंदे मातरम को कौन छोड़ रहा है?

श्री रामविचार विचार :- जो छोड़ते होंगे, उनको मालूम होगा कि कौन नहीं गाते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप कैसे आरोप लगा सकते हो कि हम वंदे मातरम नहीं गाते हैं? यह पहले कांग्रेस के अधिवेशन में यह हुआ था। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आपस में टोका-टाकी न करें।

श्री रामविचार नेताम :- मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ यह जो एस.आई.आर. लागू हो रहा है, उससे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए देश से निकाला जाना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आप सहमति दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम पूरी सहमति दे रहे हैं।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय मंत्री जी, आप जो अभी बोले कि उनके खिलाफ एस.आई.आर. करनी चाहिए तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है तो आप कब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बताइए।

श्री रामकुमार यादव :- अगर आपके रहते हुए आ गए तो आप अपना इस्तीफा दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम तो सहमति दे रहे हैं। आप कार्रवाई कीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- नहीं तो इस्तीफा दीजिए। आप रोक नहीं पा रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप कार्रवाई कीजिए न, जिनके ऊपर आपको डाउट है, शक है, हम आपके साथ हैं। ,

श्री रामविचार नेताम :- सभापति जी, हम तो जो बात कर रहे हैं, आपमें से तो ऐसे नहीं हैं। आपको हम थोड़े कह रहे हैं। आपको हम संदेह की निगाह से देख भी नहीं रहे हैं, लेकिन देश के सामने ऐसे चेहरे हैं, सब ऐसे गद्दारों को जानते हैं। ऐसे गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। उसके लिए वंदे मातरम है। वह वंदे मातरम क्यों नहीं गाएगा? हम देश की वंदना कर रहे हैं, राष्ट्रगान गा रहे हैं, राष्ट्रगीत गाएंगे। अगर हिंदुस्तान में रहने वाला अगर राष्ट्रगीत नहीं गा सकता, राष्ट्रगान नहीं गा सकता तो ऐसे लोगों को रहना चाहिए क्या? कार्रवाई होनी चाहिए। देश से निकाला होना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट। संगीता जी, आपको जहां पर आपत्ति लेनी है, वहां पर तो लेती नहीं हैं। अब आप यहां मिलकर पूरा समझिए। इन्होंने जो गद्दार शब्द कहा न, वह असंसदीय है, उसको विलोपित करने की मांग कीजिए।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय अजय भैया हमारे साथ हैं। मजबूत विपक्ष के साथी हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमने तो कल ऑफर दिया है। पता नहीं रात भर में कितने विधायक साथ हुए, गिनती बता देंगे।

श्री सुशांत शुक्ला :- बताइए, सीधा-सीधा ऑफर दिया जा रहा है।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- वह गद्दार इनको थोड़ी बोल रहे हैं, वह किसी का नाम थोड़ी ले रहे हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, सीधा-सीधा ऑफर दिया जा रहा है, यह अच्छी बात नहीं है।

सभापति महोदय :- आप बोलिये।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का सम्मान दिया, लेकिन पूरा गीत स्वीकार नहीं किया गया। हम इसको टाल नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते कि उस समय जिनकी जिम्मेदारी थी, उनको इस बात को लाना था। यही बात आज देश की जनता को जानने का अधिकार है, इस बात हक है। सभापति महोदय, यह ऐतिहासक तथ्य है कि कांग्रेस ने आंदोलन के समय वंदे मातरम अपनाया, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसी गीत को छोड़ दिया। आज हमारा वंदे मातरम के प्रति जो दृष्टिकोण है, वह सांस्कृति राष्ट्रवाद, मातृभूमि के प्रति कर्तव्य और पीढ़ियों को जोड़ने वाला सूत्र माना जाता है। इसीलिए वंदे मातरम का जो पूर्ण गान है,

उसको हमने अपनाया है। हमने कभी आधा नहीं किया, कभी राजनीतिक सुविधा से आधा नहीं तौला, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? वंदे मातरम की रचना में कोई विवाद नहीं था। स्वतंत्रता के बाद विवाद पैदा हुआ। आपके कांग्रेस पार्टी के जो मठाधीश रहे, उनकी इच्छाशक्ति की वजह से इसको जहां तक लाना चाहिए था, सम्मान देना चाहिए था, पर नहीं दिया गया। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हम सब इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय राघवेन्द्र जी ने चर्चा किया था कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जब जेल में थे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वे वर्षों तक जेल में रहे, यह सही बात है। उनके साथ बहुत सारे लोग जेल में रहे, लेकिन वीर सावरकर जी कौन से जेल में थे? यह देखना चाहिए। ऐसे लोगों को आपने क्या स्थान दिया? आपने कहां स्थान दिया? इसी प्रकार से आपने गौमाता के बारे में भी टिप्पणी की। हम गाय को गौमाता मानते हैं। हम तो पहाड़ों की भी पूजा करते हैं, पेड़ का भी पूजा करते हैं, नदियों की भी पूजा करते हैं और गंगा नदी को मां के रूप में पूजा करते हैं। अगर वहां पर किसी प्रकार की कोई गंदी भावना से, गलत दृष्टिकोण के आधार पर चर्चा करेगा तो हिंदुस्तान की जनता उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। (मेजों की थपथापाहट) यह एक भावना है। आज हम सब में एक भावनात्मक परिवर्तन आया है। जो राष्ट्रवाद की भावना है, वह आज प्रबल एवं मजबूत हुई है और आप लोग उसे धर्म निरपेक्षता की आड़ में मटियामेट करने में तुले हुए हैं। इसी विचारधारा के आधार पर बाकी कांग्रेस पार्टी या बाकी उनके सहयोगी पार्टी में लोगों की दुर्गति हो रही है। सभापति महोदय, बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि चाहे जिंदा रहे, चाहे हम मर जाये। हम गायेंगे-गायेंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारी पहचान है, वंदे मातरम हमारा अरमान है, वंदे मातरम राष्ट्र अस्मिता की शान है, वंदे मातरम देश का गौरव, सम्मान है, वंदे मातरम केवल गान नहीं, वंदे मातरम भारतीयता की पहचान है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, इसी के साथ मैं अपनी बात को समापत करता हूं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। श्रीमती संगीता सिन्हा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- (संजारी बालोद) :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ..।

श्री रामविचार नेताम :- देख ले, तैं हा एक भी गलत बोलबे त मैहा बहिगर्मन करहूँ ।

श्री राजेश अग्रवाल :- चन्द्राकर जी, दूसर जगह जाके बैठ गे हे । (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- गिनती बताथे, गिनती । के झन ला । लिस्ट में आपके नाम नइ हे शामिल हो जाहू ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं हमारे अध्यक्ष महोदय जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने...।

श्री विक्रम मंडावी :- संगीता जी, जरा रामविचार जी के तरफ देखकर बोलिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के 150 साल पूर्ण होने के अवसर पर यह विषय इस सदन में आया है, मैं पूरे सदन को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ । आज बहुत गर्व का दिन है, यह बहुत खुशी का दिन है, छत्तीसगढ़ राज्य के लिये और हमारे देश को गौरवान्वित करने वाला दिन है । जैसा कि सदन के भीतर हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बातें रखी है, चर्चा की जो शुरूआत हुई है तो उसमें मेरे मन में एक भाव था, सभी लोग अपने-अपने तरीके से तैयारी करते हैं तो मेरे मन में भी एक भाव था कि हमको कुछ भी बात ऐसा नहीं करना है जिससे कि हमारी भारत माता के ऊपर ऑंच आये । शुरूआत से और अभी तक चर्चा में वंदे मातरम का जिक्र हुआ है और कैसे हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी मिली, लेकिन हम लगातार आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं, इतने शुभ दिन को हम राजनीतिक माहौल में बदल दिये हैं । हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पर सुबह से लगे हुये हैं कि नेहरू ने कौन से लाईन को हटाया, हमने कौन से गीत गाये, हम एकजुट होने के लिये इकट्ठा हुये हैं । छत्तीसगढ़ राज्य को मजबूत बनाने के लिये, छत्तीसगढ़ राज्य को हम कैसे समृद्धि की ओर ले जाये, हम कैसे आगे बढ़ें, हम देश के लिये क्या कर सकते हैं, इस सदन को राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता देखती है । सभापति महोदय, अगर मैं संविधान की बात करूँ तो पहली बार वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था और संविधान में हमारे अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख है । सभापति महोदय, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमने बाल्यकाल में वन्दे मातरम का गीत नहीं सुना था । जहां तक मुझे याद है कि दूरदर्शन में जो कार्यक्रम आते थे, उसमें वन्दे मातरम का गान और अंग्रेजों द्वारा किये गये जुल्म को दिखाया जाता था । हमने उसी दूरदर्शन के माध्यम से इस वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को सुना है और समझा है और इससे हमारे जेहन में राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत हुई है । हमारे देश के बच्चों को वंदे मातरम के माध्यम से यह जानकारी मिली कि देश में आजादी हमें कैसे मिली और हम आज उसी को बांटने के लिये चले हैं ? आज हम सदन में यह बोल रहे हैं कि उसके दूसरे लाईन को कैसे हटाया गया, कैसे उसमें संशोधन हुआ, हम यह कयों भूल रहे हैं कि वंदे मातरम गीत के साथ ही हमारा देश आजाद हुआ था । आज जो स्थिति देख रही हूँ, एक मॉ के चार बेटे होते हैं, वह उन चारों का लालन-पालन करती है, भले ही उसे बर्तन मांजना पड़े, लेकिन वह चारों बच्चों को समान दर्जा देती है, बराबर सम्मान, सभी को शिक्षा, सभी को सब चीज समानता के रूप में देगी। सभापति महोदय, यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो एक मां का लालन-पालन नहीं कर सकते। चार बच्चे रहते हैं, एक मां एक-एक महीने तक एक घर में रहती हैं। यही स्थिति आज हमारे राष्ट्र की हो गई है और यही स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ की करने जा रहे हैं। सभापति महोदय, आप बांटने का काम कर रहे हैं।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सभापति महोदय, वंदे मातरम में चर्चा हो रही है या डिमांड मांग में चर्चा हो रही है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मंत्री महोदय, मैं वहीं आ रही हूं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, आते-आते रात हो जाएगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं वंदे मातरम में ही आ रही हूं। वंदे मातरम मतलब मां, आपने परिभाषा दी है, हम मां को प्रणाम करते हैं, मां आपको प्रणाम, आपने ये परिभाषा दी है। आज मैं वही मां के बारे में बात कर रही हूं। आप वही मां के बच्चे हैं, आप चार बच्चों में चारों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। सभापति महोदय, आज हम इस मंदिर में बैठे हैं और यह बोलते हैं कि सम्मान नहीं है। आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, एस.आई.आर से हटा दिया जाए। कौन है, जिसने सम्मान नहीं किया, आप चुनकर दिखा दीजिए। कौन है जो वंदे मातरम का सम्मान नहीं करता। इस टाईप की बातें करना, आप मां को बांटने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री केदार कश्यप :- आप इतिहास पढ़िए न।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं इतिहास में नहीं जा रही हूं, मैं वर्तमान में आ रही हूं। मैं इतिहास नहीं देख रही हूं।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्वाईंट ऑफ आर्डर ले रहा हूं।

सभापति महोदय :- आपका प्वाईंट ऑफ आर्डर क्या है ?

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, इतिहास में तो चर्चा हो रही है, इतिहास में नहीं जा रही हूं बोलती हैं, ये क्या बात हुई ? वंदे मातरम की प्रासंगिकता 150 वर्ष पूर्ण की है, इस पर चर्चा हो रही है और ये बोलती हैं कि इतिहास में नहीं जा रही है, अगर इतिहास में नहीं जाएंगी तो इनकी भूलो को सुधारने का प्रयत्न कौन करेगा?

सभापति महोदय :- चलिए बैठिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, वंदे मातरम में एस.आई.आर. कहां से आ गया ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप ही के लोगों ने कहा। आदरणीय मंत्री जी ने कहा। एस.आई.आर. करवाते हैं, जो वंदे मातरम का गान नहीं करता उनको बाहर करते हैं। ये अभी आपके मंत्री ने कहा।

श्री धर्मजीत सिंह :- बिल्कुल जाना चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, अगर महोदय जी ने इतिहास की बात कही तो मैं बता देना चाहती हूं, पहली बार वंदे मातरम का जो राष्ट्रगीत हुआ है, वह कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ है। आप बता दीजिए आपके अधिवेशन में हुआ होगा। हमारे अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान हुआ है।

श्रीमती भावना बोहरा :- वह राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगान जन गण मन है।

श्री सुशांत शुक्ला :- राष्ट्रगीत है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है, वह हमारे अधिवेशन में हुआ है।

श्रीमती भावना बोहरा :- कांग्रेस के अधिवेशन में उसका विरोध हुआ था।

श्री सुशांत शुक्ला :- कब कौन से सन् में हुआ था, आप उसकी तारीख बता दीजिए। तारीख नहीं बताएंगे वंदे मातरम गाएंगे, ये क्या बात हुई । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम आपको सब चीज लाकर दे देंगे। (व्यवधान) आपके पास मुद्दा नहीं है, आप एस.आई.आर. लाते हो, आप सबकुछ ला दिए। आप वंदे मातरम में सब कुछ लाने को तैयार हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज एकजुट होने का समय है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग आपस में बात न करें।

समय :

4.43 बजे **(सभापति महोदय (सुश्री लता उसेंडी) पीठासीन हुईं)**

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मैं फिर कह रहा हूं, जब वंदे मातरम आपके राष्ट्रीय अधिवेशन में हुआ तब कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप मां को बांट नहीं सकते। आप वंदे मातरम को बांट नहीं सकते। (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- आपके कहने से मां बट नहीं जाएगी। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- संगीता जी, दो मिनट सुन लीजिए। जब आपके कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जब पहली बार वंदे मातरम का गाना आपके अधिवेशन पर हुआ तब कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं थी, उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, ये भी बताईए।

सभापति महोदय :- मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है, आप अपना भाषण 5-5 मिनट में खत्म करें, अभी 21 सदस्यों को और बोलना है। इसलिए बीच में आपस में एक दूसरे पर हस्तक्षेप न करें, सीधी अपनी बात कहें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, ये वंदे मातरम की चर्चा है, मैं चाहती हूं कि अभी बजट सत्र शुरू होगी, एक महीने का बजट सत्र होता है, उसमें आप 1 दिन नहीं दो दिन चर्चा रखिए। हम बताएंगे कि इतिहास में क्या होता है, हम बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं। सभापति महोदय, मेरा यह साफ कहना है, आज एकजुट रहने का समय है। इस ज्ञान के मंदिर में हम एक दूसरे को समर्पण भाव दें, हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुलकर देश को आगे बढ़ाने की बात करें। आप 2047 की बात कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा देश उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े, हमारे बच्चे पढ़े-लिखें, बड़े-बड़े पोस्ट में जाएं, जैसे अमेरिका ने तरक्की की है, आस्ट्रेलिया ने तरक्की की है। सब राष्ट्र की तरह हमारा छत्तीसगढ़ राज्य तथा भारत भी आगे बढ़े। लेकिन ये लोग बांटने का प्रयास करते हैं। यह लगातार हमको बांटने का प्रयास कर रहे हैं और हमको विरोधी बता रहे हैं।

सभापति महोदया :- संगीता जी, आपको 10 मिनट हो रहे हैं। आप अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीया सभापति महोदया जी, मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि वंदे मातरम गीत पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है। जब हम वंदे मातरम, सुजलाम, सुफलाम, मलयज शीतलाम, शस्यश्यामलाम मातरम सुनते हैं तो हमें अपने आप गर्व होता है। हममें अपने आप देशभक्ति जागृह होती है। हम देश के लिए समर्पण का भाव लाते हैं। आप इसको बांटने का प्रयास नहीं करें। हम जिस जगह में हैं, विधान सभा, वह एक मंदिर है। यहां से एकजुट होकर आवाज बाहर जाए, क्योंकि बाहर की जनता हमारी ओर नजर करके देखती है। यदि हम एकजुट होकर वंदे मातरम गीत को नमन करते हुए यहां विधान सभा में अपनी बात रखे तो बहुत अच्छा होगा। मेरी यही शुभकामना व विश्वास है कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ राज्य को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए। यही शुभकामनाएं देते हुए मैं वंदे मातरम बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदया :- माननीय राजेश अग्रवाल जी।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) :- माननीया सभापति महोदया, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के गौरवशाली अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती को देशभर में भव्य रूप से मनाने का निश्चय किया और राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान के प्रदर्शन के लिए संसद में चर्चा भी रखी गई। सदन और देशवासियों को इसके लिए प्रेरित भी किया गया। जिस गीत और वंदे मातरम के जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी। इस सदन में उसका स्मरण करना हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। माननीया सभापति महोदया, यह अवसर केवल किसी गीत की वर्षगांठ का नहीं है, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय चेतना के जागरण, सांस्कृतिक स्वाभिमान और स्वतंत्रता की साधना के 150 वर्षों का उत्सव है। वंदे मातरम केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह एक भावना है, यह एक साधना है और एक युग का प्रतिनिधित्व करता है। यह वह उद्घोष है, जिसने गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत को यह एहसास कराया कि उसकी मातृभूमि केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि पूज्य माता है। यह गीत भारत की भूमि को केवल भौगोलिक सत्ता नहीं, बल्कि मातृरूपा, पालिनी और पूज्या शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। वंदे मातरम की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि इसमें भारत को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम ने जो भूमिका निभाई, वह स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। सन् 1905 के बंग-भंग आंदोलन में यह जन-जन का नारा बना। विदेशी वस्तुओं की होली जलाते समय, जेल जाते क्रांतिकारियों के मुख से, फांसी के तख्ते पर चढ़ते वीरों की वाणी से हर स्थान पर एक ही स्वर गूंजता था-वंदे मातरम। ब्रिटिश सरकार ने इस गीत को इतना खतरनाक माना कि इसके सार्वजनिक गायन पर प्रतिबंध लगाये गये, छात्रों को दण्डित किया

गया, लोगों को जेल में डाला गया। यह स्वयं प्रमाण है कि वंदे मातरम औपनिवेशिक सत्ता के लिए भय का कारण बन चुका था। स्वतंत्रता संग्राम के महान लोकप्रिय सेनानियों ने भी वंदे मातरम की गरिमा और महत्ता का विशेष उल्लेख किया है। लोकमान्य तिलक जी ने कहा था कि वंदे मातरम भारत की आत्मा की आवाज है। अरविंद घोष जी ने इसे राष्ट्रीय मंत्र कहा। सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज में इसे सम्मानपूर्वक स्थान दिया। महात्मा गांधी जी ने भी इसके भावनात्मक महत्व को स्वीकार किया और इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना। आदरणीया सभापति महोदया, भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी, 1950 को ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कहा कि जन-गण-मन राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में सम्मान प्राप्त होगा। यह निर्णय भारत की बहुलतावादी, समावेशी और संतुलित लोकतांत्रिक सोच का परिचायक है। वंदे मातरम आज भारत की सीमाओं से परे भी गूंजता है। इसका अनुवाद हिंदी, उर्दू, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी एवं अंग्रेजी जैसी अनेक भाषाओं में हो चुका है। सभापति महोदया, आज जब हम भारत की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता का स्मरण कर रहे हैं तब यह सदन अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय और उसके व्यापक प्रभाव की चर्चा का साक्षी बन रहा है। भारत के राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के पावन अवसर पर यह निर्णय लिया गया है कि 7 नवंबर, 2025 से आगामी एक वर्ष तक छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न स्तरों पर निरंतर कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि यह स्मरण केवल औपचारिकता न रह जाये बल्कि जन आंदोलन का स्वरूप ग्रहण करें। इसी दृष्टि से ग्राम पंचायत, जनपद एवं जिला तथा राज्य स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सहभागिता आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की गयी है जो आगामी एक वर्ष तक निरंतर जारी रहेगी। आज जब हम भारत पर्व मना रहे हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं तब यह भी याद करना आवश्यक है कि सरदार साहब ने एक भारत का निर्माण कर वन्दे मातरम की भावना को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया था।

सभापति महोदया, वन्दे मातरम केवल अतीत का स्मरण नहीं है बल्कि यह भविष्य के लिए एक आह्वान है। आज यह गीत विकसित भारत 2047 के हमारे राष्ट्रीय संकल्प में सभ्यतागत आत्मविश्वास के स्त्रोत के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस भावना को आत्मनिर्भर भारत, सक्षम भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में परिवर्तित करें। माननीय सभापति महोदया और सदन के माननीय सदस्यगण, अब समय आ गया है कि हम अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं और अपनी परंपराओं को भारतीयता की दृष्टि से देखें, आत्मविश्वास के साथ देखें। आईये इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि हम वन्दे मातरम केवल गायेंगे नहीं बल्कि जियेंगे, हम राष्ट्र को केवल स्मरण नहीं करेंगे बल्कि सेवा करेंगे और भारत की आत्मा

को और अधिक सशक्त बनायेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। वन्दे मातरम। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

श्रीमती चातुरी नंद (सराईपाली) :- माननीय सभापति महोदया, आज वाकई में बहुत ही खुशी के दिन हे कि आज हमन वन्दे मातरम गीत के ऊपर मा चर्चा करत हन। आज सदन मा वन्दे मातरम गीत के ऊपर मा चर्चा चलत हावय। लेकिन में हर पूछना चाहत हव कि का सचमुच हमन ला वन्दे मातरम के भाव ला समझत हन या सिर्फ ओला केवल नारा बनाकर दूसरे ला डराये के रूप में ओकर उपयोग करत हन। वन्दे मातरम के बारे में चालू करे से पहले में हर दू लाइन कहना चाहव हू।

“मया से भरे मोर देश,
सबसे मयारू मोर देश,
दुनिया जेखर गर्व करें,
ऐसन सितारा मोर देश।”

आज हमन हन अपन देश के सबसे महत्वपूर्ण वन्दे मातरम के ऊपर मा चर्चा करत हन। वन्दे मातरम जेन हर राष्ट्र एकता के यंत्र आये, वन्दे मातरम जेन हर राष्ट्रभक्ति के यंत्र आये, वन्दे मातरम जेन हर राष्ट्र भावना के तंत्र आये, वहीं वन्दे मातरम जेखर से देश आज स्वतंत्र आये। एखर बारे में हमन हर चर्चा करत हन। वन्दे मातरम, भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप मा दर्जा प्राप्त हे। वन्दे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हा भारत माता ला बहुत नजदीक से जाने के प्रयास करिस और यह पद ला आनंद मठ से लिस। वन्दे मातरम ला 24 जनवरी, 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप मा दर्जा मिलीस। लेकिन एकर पहली कांग्रेस एला पहली बार सन् 1937 मा राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर चुके रिहीस अउ पहली बार ये गीत ला कलकत्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन मा दिसम्बर, सन् 1896 में गाये गे रिहीसे। यह गीत हर न केवल हमर आन, बान, शान हे, बल्कि देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति प्रेम के प्रतीकाय हमर चिन्हारी आय। सबसे पहले बंकिमचन्द्र चटर्जी हर ये गीत ला लिखे रहिस हे और ये गीत ला स्वर रविन्द्रनाथ टैगोर जी देय रहिन हा अउ संगीतबद्ध करे रहिन हे। ये गीत हर भारतीय मन ला देश बर कुछ करय के प्रेरणा देत हे। ये गीत के असली नाम पहली वंदना गीत रहिस हे। हमन अपन देश के वंदना करत रहिन हे, वंदना गीत रहिस हे। जेला बाद में येला आगे चल करके वंदे मातरम नाम दिये रहिस हे। बंकिमचन्द्र चटर्जी हर ये गीत ला लिखत समय अपन मां के साथ-साथ भारत माता ला याद करिस और अपन माता ला और भारतमाता ला ध्यान में रखते हुए ये गीत के रचना करे रहिस हे। राष्ट्रगीत के दर्जा प्राप्त करय बर गांधी जी घलौ ये गीत के समर्थन करे रहिस। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के पहली दू पद ला ही गाये जाथे, ये आप सब जानत हव। ब्रिटिश शासनकाल में ये गीत ला गुप्त रूप से गाये जात रहिस हे। काबर की ओ समय ये गीत गाने वाला ला देशद्रोही माने जात रहिस हे। ओकर साथ मारपीट और जेल घलव भेजे जात रहिस हे। राष्ट्रीय एकता के

प्रतीक के रूप में हम ये गीत ला जानथन। हमन अपन देश के प्रति अपन कर्तव्य ला याद करथन। एकर पहली हमर विधायक साथी पूछत रहिन हे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब होईस? मैं बता देना चाहत हवं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना 28 दिसंबर सन् 1885 मा बांबे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होये रहिस हे जेमे 72 प्रतिनिधि मन भाग लेय रहिन हे। 1885 में एकर स्थापना होय रहिस हे अउ 1886 में कलकत्ता के अधिवेशन मा पहली बार ये गीत ला संगवारी हो कांग्रेस के अधिवेशन मा गाये गये रहिस। वंदे मातरम में कहे गये हवय, सुजलाम, सुफलाम, मलयज शीतलाम। वंदे मातरम के ये पंक्ति मा भारतमाता ला अच्छा पानी देने वाली और अच्छा फल देने वाली भूमि के साथ-साथ भारतमाता ला मलय पर्वत के समान शीतल हवा प्रदान करने वाली भूमि के रूप मा दर्शाये गये हे। अर्थात ये जो तीनों शब्द हैं सुजलाम, सुफलाम, मलयज शीतलाम, ये तीनों शब्द के माध्यम से भारतमाता के प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि ला वर्णय कर गये हवय। लेकिन आज हमन देखथन कि भारतमाता के प्राकृतिक सौन्दर्य और समृद्धि है, संगवारी हो, ऐला नष्ट करय के प्रयास करे जात हे। मैं मैनपाट में जाना चाहत हवं। मैनपाट जेला छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाथे और वही छत्तीसगढ़ के शिमला मा बाक्साइट धातु निकाले जाथे अउ संगवारी हो हमर छत्तीसगढ़ के शिमला ला तहस-नहस करे जात हे। शस्यश्यामलाम मातरम, अर्थात हरी-भरी फसल देने वाली, अर्थात अनाज से समृद्ध एमा भारतमाता के उपजाऊ और समृद्धि भूमि के वर्णन करे गये हवय। लेकिन आज जेन देश मा किसान हर समृद्धि लाथे, उही देश मा आज किसान टोकन खातिर भटकत हवय। धान बेचय बर लाइन में खड़े होथे और संगवारी हो कर्ज में डूबत जात हे। लेकिन हमन हर ये जगह मा केवल और केवल बहस करत हन तो केवल अपन-अपन अस्मिता बर बहस करत हन। यहां अपन-अपन पार्टी के अस्मिता बर बहस करत हन। ये सब चीज नई होनी चाहिए। सभापति महोदय, वंदे मातरम हमर भारतमाता के पूजा हे। हमन एमे भारतमाता के पूजा करथन, भारतमाता के वंदना के रूप में भारतमाता की पूजा करथन। जबकि कुछ व्यक्ति मन हर, अभी मैं सुनत रहेव हवं कि कुछ मनखे मन हर ये गीत ला कौनौ पार्टी के गीत बता करके येमा जो हक जमात हे, ये गलत हवय। मैं कहना चाहत हवं कि कांग्रेस पार्टी कहथे कि ये गीत हर राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम, देश भक्ति के प्रतीक आये, न कि कौनौ पार्टी विशेष के आये। मैं याद दिलाना चाहत हवं कि वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन में गाये गये रहिस हे, ये आप सब जानत हव और अउ कांग्रेस के आंदोलन ये निकले रहिस हे। वंदे मातरम वो मनखे मन के द्वारा गाये गये रहिस हे , जेन मन जेल गिन, जेन मन गोली खइन, जेन मन फांसी में चढ़िन और वंदे मातरम् के आवाज मा हिंदु-मुस्लिम, सिख-ईसाई ये सब्बो झन रहिन हे, कोनो पार्टी विशेष के व्यक्ति नइ रहिन हे । यहां हिंदु, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों भाई एक-साथ ये आवाज ला उठाये रहिन हे, वंदे मातरम् नफरत के नइ बल्कि एकता के प्रतीक आय, वंदे मातरम् हा संविधान ला कमजोर नइ करए

बल्कि ए हर ओला मजबूत करथे । मैं अंत में दो लाईन कइहां, काबर कि मैं छत्तीसगढ़ के बेटी हंओ तो छत्तीसगढ़ के भूइंया के वंदना करना भी मोर परम कर्तव्य हे ।

मोर छत्तीसगढ़ के माटी, मोर छत्तीसगढ़ के माटी ।

तें भारत मॉ के सांटी, मैं तोला नवावओं माथा, महतारी आती-जाती,

महतारी आती-जाती । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, मैं अतका कहिके अपन वाणी ला विराम देवत हंओं। वंदे मातरम्, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ ।

समय :

5.00 बजे

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, आज वंदे मातरम् की 150 वर्ष में चर्चा हम कर रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने जब भावनाएं व्यक्त कीं उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण के बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का भाषण हुआ । नेता प्रतिपक्ष जी के भाषण में मुझे यह समझ में नहीं आया कि वह वंदे मातरम् को लेकर क्या कहना चाह रहे थे ? ऐसा था कि एक लाईन जो मुझे समझ में आयी कि वर्ष 1882 में वंदे मातरम् की दो Stanza के बाद बाकी Stanza जोड़े गए, दो Paragraph के बाद बाकी Paragraph जोड़े गए मतलब वह बंकिमचन्द्र जी के द्वारा लिखे गए थे या नहीं लिखे गए थे ? या वह कोई प्रंक्षिप्त है ? साहित्यिक भाषा में प्रंक्षिप्त यही होता है कि किसी ने त्रुटिवश उसमें जोड़ दिया, किसी दूसरे आदमी ने उसको घुसा तो नहीं दिया । आप किस बात के स्पष्टीकरण दे रहे थे ? अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आज की पीढ़ी को वंदे मातरम् के बारे में बताना, वंदे मातरम् के बारे में बताना इसका मतलब क्या है कि एकमात्र ऐसा साहित्य है, जिसको राजनीतिक हथियार बनाया गया । अब राजनीतिक हथियार क्यों बनाया गया ? उसके साथ क्या पीड़ा थी ? राजनीतिक व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति को क्या Problem थी ? आपने जो काम किया, कैसे-कैसे करते हैं, मैं दूसरे तरीके से उसको शुरू कर रहा हूं, आपातकाल लगा । भारतीय संविधान के प्रियम्बल्स में पंथनिरपेक्ष था, आपातकाल में क्या आवश्यकता पड़ी जब संसद लंबित था, सब चीजें लंबित थी, विपक्ष जेल में था, आपने उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ दिया, ऐसा जोड़ने का क्या कारण था ? और वह भी बिना संसद की सहमति के, यह पहली बाद । यह आपसे एक प्रश्न । दूसरी बात है आपने पूरे समय में एक स्पष्टीकरण देने की कोशिश की कि साहब इसको गाया जाना चाहिए, धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, उससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पूरे समय में एक स्पष्टीकरण देने की कोशिश की कि साहब इसको गया जाना चाहिए, धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, उससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इससे नहीं जोड़ना जाना चाहिए । जवाहरलाल लाल नेहरू को अर्पित किया जाना चाहिए, उसको संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए । आपने यह नहीं बताया कि

आप इसके किस अंतरे तक सहमत हैं और किस अंतरे तक आपस सहमत हैं ? मान लो राजनीतिक बात करते हैं तो कांग्रेस के ऊपर दृष्टिकोण क्या है ? अब मैं एक छोटी सी दूसरी बात करता हूं, मैं जिस भी Religion का आदमी हूं, Religion को follow करता हूं । मैं रामायण और गीता पढ़ रहा हूं । ठीक, पढ़ता हूं, मेरा अधिकार है । अब देश की बात आयी, मैं संविधान की बात करता हूँ तो मैं इस देश में गीता संविधान अपनी आस्था में पढ़ूंगा । जब देश की बात आएगी, राष्ट्रीयता की बात आएगी तो मैं संविधान की बात करूंगा । मैं संविधान की बात करूंगा, आपने भी बहस सुनी होगी तो National song है, आप जिन लोगों की पैरवी कर रहे थे उन लोगों ने कहा कि हम खड़े तो हो सकते हैं, गा नहीं सकते । आप जानते हैं कि किसी और देश में, अपने National song को, जिसको संविधान सभा ने स्वीकार किया हो। उसको हम नहीं गायेंगे और आप दुनिया का कोई देश बताईये जिसमें ऐसी बातें हुई हो। अब मैं आपको बता दूं अरबी में मातरे वतन, फारसी में मातृभूमि की उपमा मां से की गई, यमन में राष्ट्रगीत की तुलना झरनों और मां के दूध से की गई। राष्ट्रीय गीत की तुलना मलेशिया, सूडान, अरब, जार्डन सभी देशों में राष्ट्रगीत की परम्परा है तो इसका मतलब क्या है कि वह किसी धर्म का अनादर कर रहे हैं? जब आप राष्ट्रगीत को गा नहीं सकते, यदि आपसे जुड़े हुए लोग। तो आप यह बताईये कि छत्तीसगढ़ का गीत क्यों एडाप्ट किया? आपने यह क्यों बनाया? नेशनल एंथम पर्याप्त था। नेशनल एंथम के बाद नेशनल गीत की जरूरत क्यों पड़ी? अब दुनिया के किसी देश में बताईये जहां संविधान सभा ने स्वीकार किया हो और उसको कोई आदमी अपने राष्ट्र से ऊपर रखकर अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ जोड़े और आप हमें कहें कि साहब, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिये। अब यह आपके विवेक पर है। यही बातें हैं जो पूरे देश को बताना चाहते थे।

माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जी का एक बयान आया। आप दिल्ली में प्रदर्शन में गये थे। साहब, हमारा वन्दे मातरम् चुरा लिया गया। यह वन्दे मातरम् कोई चोरी होने की चीज है। ऐसा समाचार पत्र में छपा है। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ । जिस दिन, वर्ष 1875 में 7 नवम्बर को वन्दे मातरम् की रचना हुई, उस दिन कांग्रेस पैदा भी नहीं हुई थी। यह वन्दे मातरम् कांग्रेस का कहां से हो गया ? आप मुझे थोड़ा सा बताईये। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, अब 25 जून, 1838 को जन्मे और 8 अप्रैल 1894 में माननीय बंकिमचंद जी का देहावसान हुआ। 1857 के गदर को उन्होंने देखा था, वह डिप्टी कलेक्टर थे और साहित्यकार थे। आपने एक आनंदमठ का उल्लेख किया। दुर्गेशनंदनी, कपाल कुण्डला, मृणालनी और वृक्ष केन्द्रा, चन्द्रशेखर, कृष्णकान्तेय, बंग दर्शन वह यह पत्रिका निकालते थे। वह प्रसेडेंसी कॉलेज के पहले स्नातक थे। इतने बड़े स्कॉलर थे। रिसर्च स्कॉलर के साथ उन्होंने डिप्टी कलेक्टर तक यात्रा की, लेकिन उस यात्रा में उनका मन नहीं लगा। 1857 की क्रांति के बाद जब कांग्रेस जन्म नहीं ली थी तो क्या यह राष्ट्र सो रहा था। आप बहुत श्रेय लेते हैं। यह राष्ट्र कभी नहीं सोया। रामसिंह जी के कूका विद्रोह वर्ष 1857 के बाद का है। आप जिसमें उत्तेजित हो रहे थे भगवान बिरसा

मुण्डा 1857 के बाद के हैं। यशवन्त बलवन्तराव फड़के 1857 के बाद है। ललित हुड़कन, लचित बोलते हैं, वह असम के थे, यह 1857 के बाद के हैं। यह देश छुटपुट लड़ाई तब भी लड़ते रहा है। अभी कविता प्राण लहरे जी कहां हैं, मैं कभी-कभी छत्तीसगढ़ के बारे में बोलता हूँ । वर्ष 1776 में गुरूजी पैदा हुए, राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से 1818 से 1828 के बीच पहला सती प्रथा और बाल विवाह कानून बना । तो मैं यह बोलता था कि इतिहास के पुर्नलेखन की जरूरत है। गुरूजी से पहले छत्तीसगढ़ की धरती पर समाज सुधार का काम शुरू किया था। विद्या सागर जी कितने पढ़े-लिखे लोग थे। यह 1857 के पहले के लोग थे जो भारतीय पुनर्जागरण का काम कर रहे थे और जब इसकी असफलता को देखा तो मन में कौंधा तो कौन सा भाव कौंधा ? माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपको तथ्यों से बताने की कोशिश करूंगा कि मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं सफल हो गया, पर भारतीय मनीषा क्या बोलती है। मुझे श्लोक याद नहीं है इसलिए मैंने लिख लिया । यह बहुत कॉमन है इसे रोज पढ़ते हैं। अयं निज: परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।।" दूसरा, जिसका उल्लेख हुआ । यह बाल्मिकी रामायण का यह राम और लक्ष्मण का संवाद है । "अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी॥" फिर उन्होंने कौन सा भाव पढ़ा ? "साधो आचे मामने" यह बंगाली साहित्य है । "दुर्गा बले प्राण, के जी जानवी जीवन" गंगा की धार है । जब ऐसे राष्ट्रीय साहित्य को उन्होंने देखा । घन अंधकार के उस दौर में इस मात्रभूमि में इस पृथ्वी में उसको जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत नहीं दिखे, साक्षात् इस पृथ्वी को, इस भारत माता को उन्होंने जगन माता के तौर पर देखा, साक्षात देवी के स्वरूप में अनुभूत किया और उसके कलम से फूटी एक कालजयी रचना, जिसको भारतीय साहित्य में, भारतीय इतिहास में वंदे मातरम् कहा जाता है। मातृभूमि के प्रति समर्पण, त्याग, बलिदान, विज्ञान, ज्ञान-विज्ञान, कला, साहित्य भारत राष्ट्र की निरंतरता और उसकी चेतना को उद्घाटित करता इस देश का गान वंदे मातरम् है।

सभापति जी, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं । सबसे पहले निश्चित रूप से आपके अधिवेशन में गाया गया होगा । 1905 से 1911 तक आपके अधिवेशन में गाया जाता था । 1911 के बाद मौलाना शौकत अली जी और जिन्ना ने उसका विरोध शुरू किया और विधिवत् जिन्ना साहब ने 1923 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी को चिट्ठी लिखी कि वंदे मातरम् बिल्कुल नहीं चलेगा । वो जिन्ना जो एक पीढ़ी पहले धर्मांतरित था । लियाकत अली जो प्रधानमंत्री बने, वह एक पीढ़ी पहले धर्मांतरित था। आप इतिहास की किताब देख लें । आपने कहा कि इतिहास को अपने ढंग से तोड़ना-मोड़ना नहीं चाहिए । इतिहास बड़ी संवेदनशील चीज है । यदुनाथ सरकार अपने ढंग से देखते हैं, प्रोमिला थापर अपने ढंग से देखती हैं । रामचन्द्र गुहा अपने ढंग से देखते हैं । हम असली तथ्य को देखते हैं, जो आपने बनाया है, आपने लिखा है, वह तथ्य क्या है ? जिन्ना ने विरोध किया । नेहरू जी 1937 में सुभाष बाबू को पत्र लिखते हैं कि साहब, पूरा वंदे मातरम् को स्वीकार करने से समाज का एक वर्ग नाराज हो सकता है । यहां से बीज

पड़ती है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं । जब आप दोराहे में हैं न । बिहार चुनाव में पुन्नूलाल जी के सुपुत्रों से आपकी पार्टी की कम सीटें आई, उसका कारण यही है कि आपका दृष्टिकोण क्लीयर नहीं है । जब राष्ट्रवाद इस पूरी दुनिया में आप जहां जाएं, सिर्फ इजराइल भर को राष्ट्रवाद मत मानिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मत कहें । जर्मनी में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, कौन सी पार्टियां जीत रही हैं ? ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर क्यों हुआ ? वही राष्ट्रवाद था और वह राष्ट्रवाद आपके गले नहीं उतरता । आज भी 1945 में राजेन्द्र बाबू ने जब घोषणा की इसको हम राष्ट्रगीत के तौर पर स्वीकार करते हैं और यदि पूरे को स्वीकार करेंगे तो तकलीफ होगी, जन-गण-मन की तरह इनको भी सम्मान दिया जाएगा । मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं । मैं राष्ट्रगीत की अवमानना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, सीधे तौर पर आप मेरी जानकारी समृद्ध करेंगे। 1905 में बंग-भंग का पहला आन्दोलन हुआ था । इससे पहले हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय आन्दोलन नहीं हुए थे । उसके बाद कई प्रकार के आन्दोलन हुए । चम्पारण, सत्याग्रह आन्दोलन में महात्मा गांधी जी गए । असहयोग आन्दोलन हुआ। चौरी-चौरा में बंद हो गया, बहुत सारे आन्दोलन हुए, सविनय अवज्ञा आन्दोलन हुआ, नमक कानून आन्दोलन हुआ । आन्दोलन की श्रृंखला बढ़ी । लेकिन आप यह बताईए कि वंदे मातरम् में जन-गण-मन को इस पूरे 1945 तक आप कौन से राष्ट्रीय घटनाक्रम में सुने थे । जन-गण-मन ने राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास बदल दिया । भारत के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का उल्लेख किया, आपने जिन-जिन शहीदों का उल्लेख किया, मैं उनके बारे में बोलूंगा, ये उनके कंठस्वर थे। आजादी के दीवानों के ये शब्द कंठस्वर थे। अब, आप विवादस्पद मत मानियेगा, जन-गण-मन की रचना कब हुई ? इतिहास का वह भी एक दृष्टिकोण है, जार्ज पंचम कब भारत आये ? जब वह दरबार लगाने भारत आये, गेट वे आफ इण्डिया बना, भारत भाग्य विधाता, अधिनायक इस शब्द में लोगों ने सौ तरह की व्याख्या की है। वह आजादी के आंदोलन के शब्द नहीं थे। आजादी के आंदोलन का शब्द "वंदेमातरम्" था।

सभापति महोदय, दूसरी बात, चन्द्रशेखर आजाद, मास्टर सूर्य सेन, राम प्रसाद बिस्मिल आपने तरह-तरह के नाम शहीदों के लिये हैं। मैं आपको दो-तीन चीज बता देता हूं। आप आजादी की लड़ाई में कांग्रेस की भूमिका की बहुत बात कर रहे थे, सब कोई बात कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध में जितने क्रान्तिकारी थे, अनुशीलन पार्टी, गदर पार्टी, जो उस समय वर्किंग थी, उस समय सेन फ्रांसिसको अमेरिका में बनी थी। लाला हरदयाल, हरभजन जी लोग नेता थे। एक 19 साल के लड़के करतार सिंह को फांसी हुई थी। ये लोग जो एक्टिव थे, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करना नहीं चाहते थे। कांग्रेस ने प्रथम विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों का समर्थन किया। आप किस तरह की लड़ाई लड़ रहे थे ? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अनुशीलन समिति बनी। मॉडरेक राबो , रास बिहारी बोस को बनाना चाहते थे, लाल लाजपयराय को दूसरा ग्रुप गरम दल बनाना चाहता था। जब रास बिहारी बोस को बना

दिया गया तो उस अधिवेशन में माडरेट रोबो ने मारपीट की। यह कांग्रेस के इतिहास में लिखा है कि गड़बड़ घटना हुई। लेकिन मोती लाल नेहरू जी ने किसका समर्थन किया था, यह आप पढियेगा।

सभापति महोदय, तीसरी बात आई हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसियेशन की बात आई। सुभाष जी ने नेहरू, गांधी और लार्ड इरविन राउण्ट टेबल टाक का विरोध किया। क्यों किया ? आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिये और भगत सिंह की फांसी टाली जानी चाहिए। इतिहासकार ए.जी. नूरानी साहब अपने किताब में लिखते है कि गांधी जी में आंतरिक अशांति हो सकती है, यह लिखा। कहीं पर नहीं कहा कि भगत सिंह की माफी होनी चाहिए। फिर आप मुझे बतायेंगे कि नेहरू जी मर्सी अपील किसने लिखी ? लिखी या नहीं लिखी ? आप इतिहास पढ़कर बताइयेगा कि मोती लाल नेहरू जी ने, जब नेहरू जी कैद में थे तो उनकी मर्सी अपील लिखी या नहीं लिखी और किसको लिखी थी ? आप स्वतन्त्रता संग्राम की बात कर रहे हैं, आप वीर सावरकर को आक्षेपित करते हैं कि माफी मांगी गई, यह किया गया, वह किया गया तो नेहरू जी की मर्सी अपील लिखी गई या नहीं लिखी गई ? दूसरी बात, आपने क्रान्तिकारी चन्द्रशेखर आजाद की बात की। इतिहास याद कीजिये, मरने से पहले आखिरी बार चन्द्र शेखर आजाद किससे मिले थे ? इतिहास यह भी कहता है कि अल्फ्रेड पार्क में चन्द्र शेखर आजाद हैं, इसकी सूचना पुलिस को किसने दी थी ? यह भी इतिहास में है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन सारे भारतीय इस बात को जानते हैं। अब इन लोगों के फांसी के बाद दूसरी घटना आती है। सन् 1939 से 1945, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत एक मात्र देश था, जो दो तरफ से लड़ रहा था। आप फिर से अंग्रेजों के साथ थे। आप तो स्वतन्त्रता चाहते ही नहीं थे। किसलिए नहीं चाहते थे, मैं आपको बता रहा हूं। आप मेरी बात का खण्डन कीजियेगा। यदि समय की प्रतिबद्धता है तो अभी नहीं तो बाद में कर लीजियेगा। कांग्रेस के पट्टाभि सीतारमैय्या ने जो तीन खण्ड के कांग्रेस का इतिहास लिखा है, उसमें लिखा है कि डोमिनियन स्टेट चाहिए लिखा है, कहीं पर भी स्वतन्त्रता शब्द का उल्लेख नहीं है। डोमिनियन स्टेट का उल्लेख है। अब जब दूसरी तरफ से जर्मन, इटली, जापान, इस ओर से कौन लड़ रहे थे सुभाष बाबू। सुभाष बाबू जब इधर नॉर्थ ईस्ट तक आ गए तो नेहरू जी का एक बड़ा कथन है - यदि वे असम तक आ जाएं, तो मैं खुद लड़ने जाऊंगा। अब उससे भी बड़ा कथन आपको बता देता हूं। सेकंड वर्ल्ड वार, देश की आज़ादी के बाद चर्चिल तो प्रधानमंत्री रहे नहीं। एटली प्रधानमंत्री बने। एटली जब भारत आए तो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज ने पूछा - स्वतंत्रता में सबसे बड़ी भूमिका किसकी मानी है, यह बताइए, और कांग्रेस की क्या भूमिका थी? तो एटली का कथन आपको बता देता हूं - सुभाष बाबू, आजाद हिंद फौज इसके मुख्य कारण थे, कांग्रेस की क्या भूमिका थी? तो उन्होंने एक अंग्रेजी का शब्द उपयोग किया - "मिनिमल"। आप डिक्शनरी में देख लीजिए "मिनिमल" का क्या मतलब है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह सब इतिहास में लिखा है, यह एटली के शब्द हैं। आप स्वतंत्रता संग्राम की जब बात करते हैं तो। माननीय सभापति महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। जब वंदे मातरम् गाया गया तो उसका सबसे पहले

पृष्ठभूमि में विरोध जब हुआ, कौन से अधिवेशन में था, लिखा था, मै देखो याद आ जाए। याद आ गया - काकीनाड़ा अधिवेशन, 1923। पूरा वंदे मातरम् नहीं गाना है, यह विरोध हुआ। लेकिन उस समय के लोग कौन थे? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। उन्होंने ही संगीत की संस्थागत शिक्षा हिंदुस्तान में शुरू की थी, यदि शुरू की तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने शुरू की। पूरे विरोध के बाद, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कांग्रेस के उस अधिवेशन में जिन्ना के विरोध को बाजू रखकर उन्होंने पूरा छंद गाया । अब आपको एक बात भाषण से बाहर हटकर बता देता हूं। कभी-कभी मैं इसीलिए बोलता हूं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। पलुस्कर जी का छत्तीसगढ़ से संबंध क्या है? पलुस्कर जी का, ओ.पी. चौधरी नहीं जी, हैं क्या? रायगढ़ दरबार में राजा का क्या नाम था? चक्रधर। चक्रधर जी के दरबार में वे संगीत सीखने आते थे, उस समय वे वहां भी संगीत में रहे हैं, अब आखिरी में 1945 आता है, 1950 आता है। रात 11 बजे अनाउंस करते हैं कि साहब, वंदे मातरम् नेशनल सॉन्ग होगा, ऐंथम नहीं होगा। तीन गीत की जो बात हुई न, वह एकदम सत्य है। मेरे पास हिंदी में है, संविधान सभा की बहस मैं आपको दे सकता हूं। अब इन सबको छोड़ दें, बाकी बात हो चुकी है, लेकिन आपको एक और बात बताता हूं। वंदे मातरम् उर्दू में अनुवाद हुआ, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। लक्ष्मण सिंह, कवि बेनी माधव, विनोद कुमार तरंग, इन्होंने भी अलग-अलग शब्द लिखे। विदेश में भी मैडम कामा का उल्लेख हुआ, मदन लाल ढींगरा ने पेरिस में वंदे मातरम् पत्रिका ही निकाली। गोपाल कृष्ण गोखले जब पहली बार गांधी जी के आमंत्रण पर पहुंचे, उनको राजनीतिक गुरु कहा जाता है, तो उनका स्वागत भी वंदे मातरम् से हुआ। महात्मा गांधी का कथन है कि वंदे मातरम् को मैं राष्ट्र से अलग समझता ही नहीं, भारत की सांस्कृतिक सहजता से अलग समझता ही नहीं, लेकिन उस समय गांधी जी का प्रभाव कितना था? गांधी जी किस दिशा में बढ़ रहे थे कि नोवा खाली दंगे में उसकी रुचि थी या पाकिस्तान को बकाया पैसा दिलवाने में उसकी रुचि थी या भारत की संस्कृति की रक्षा जरूरी थी। यह इतिहास के विषय हो सकते हैं, जिस इतिहास को आपने कहा। वंदे मातरम की अलग हटकर शार्ट में कुछ चीजें आपको बता देता हूं। फिर दो मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इसकी पूरी चर्चा 150वें वर्ष में नई पीढ़ी को बताने के पीछे यह था कि जो तुष्टीकरण से भारत को क्षति हुई और तुष्टीकरण का जो दृष्टिकोण था, आज भारतीय राष्ट्र उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यह मैंडेट बताता है और जब तक आप इस लाइन में नहीं चलेंगे आप मैंडेट पाएंगे नहीं। आज मेरी बात को नोट कर लीजिए। किसी भी चुनाव में किसी भी लहर में आप कितने भी संवैधानिक संस्थाओं को बोल दीजिए वोट चोरी हुई है। यह चोरी हुई है, डाका डाला है कुछ भी हुआ है, लेकिन आपको कुछ चीजें बता देता हूं। यासीन मलिक ने एयरफोर्स के चार अफसरों की हत्या की। वह जेल में है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उसको डीनर में बुलाया था। यह समाचार पेपर में छपा था। अफजल गुरू। शायद आप पार्लियामेंट अटैक में थे। उस समय छत्तीसगढ़ नया-नया बना था। अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे। जब अटैक हुआ तो वह राजकुमार कॉलेज

में क्रिकेट खेल रहे थे। उसी समय खबर आई कि हमने क्रिकेट को खेलना बंद कर दिया। फांसी की सजा को रोकने के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खोला गया। फिर बाटला हाऊस एनकाउंटर में इंडियन मुजाहिद्दीन के लिए सलमान खुर्शीद का बयान था, जिसको सुनकर सोनिया गांधी जी के आंखों में आंसू थे। मुम्बई हमलों के बाद एन.एस.ए. ने लिखा कि भारतीय सेना जवाबी कार्यवाही के तैयार थी और मनमोहन सिंह जी ने अभी बयान दिया, लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण हमला नहीं किया गया। उसके बाद कश्मीर में जितने समय युद्ध विराम किया गया, उसी समय संसद केबिनेट से बिना सलाह लिये यू.एन.ओ. में गये। आप निर्णय कीजिये कि वह उचित था या अनुचति था। उसके बाद राष्ट्रवाद कैसे होता है? कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। जब नरेन्द मोदी जी थे, तब एक पत्ता नहीं हिला। 56 इंच का सीना भी होता है। उन्होंने धारा 370 एवं 35A को समाप्त किया। (मेजों की थपथपाहट) यह राष्ट्रवाद है। 35A को संविधान में कब स्थान दिया गया? आप लोग क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं बोला? अब मैं दूसरी चीज बता देता हूं। वर्ष 1920 में गांधी जी ने अपने यंग इंडिया के आर्टिकल में लिखा था कि उन्होंने सावरकर जी के छोटे भाई को सावरकर के लिए मर्सी पिटीशन फाईल करने के लिए बोला था। यह गांधी जी ने लिखा है। वर्ष 1910 से 1924 तक रहे। आप पूरे स्वतंत्रता संग्राम का श्रेय लेते हैं तो मुझे एक बात बता दीजिये कि कांग्रेस में रहते हुए गोली खाई हो या फांसी में चढ़ा हो। कोई अनुशीलन समिति का सदस्य था, कोई सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य था, कोई गदर पार्टी का सदस्य था, लेकिन कांग्रेस का घोषित मेंबर कोई नहीं था। यदि कोई इतिहास में था, जो पुलिस साइमन कमिशन का विरोध करते हुए मेरे, वह लाला लाजपत राय जी थे। वह गर्म दल लाल-बाल-पाल के नेता थे। वह कांग्रेसी नहीं थे, वह कांग्रेस के विद्रोही दल के आदमी थे। माननीय सभापति महोदया, नेहरू जी नाभा जेल में बंद थे। मैं आपको उसकी किताब दे दूंगा कि उनके लिए नाभा जेल में फाईव्ह स्टार की कितनी व्यवस्थाएं थीं। वह किसकी कृपा से थी? उसके लिए उन्होंने मर्सी पिटीशन लिखी या नहीं लिखी और यह भी कहा कि उसके पुत्र इसके बाद कभी भी अंग्रेज सरकार के निर्देशों, नियम-कानून की अवहेलना नहीं करेगा। यह किसी ने मर्सी अपील लिख कर दी या नहीं दी? माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, अब इन सब बातों को बोलने या गिनाने का लब्बोलुआब यह था कि आज भी दौर है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि हिंदुस्तान में आज तक 53 संगीतकारों ने किसी भी गायन का, किसी भी छंद का संगीत नहीं दिया। उनमें एम.एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी थीं। क्या आप जानते हैं कि अटल जी ने उनको भारत रत्न सम्मान दिया था। लता मंगेशकर जी गायी हैं, हेमंत कुमार जी गाये हैं, पं. जसराज गाये हैं, पं. पुलस्कर जी एवं विनायक राव जी गाये हैं। मतलब हिन्दुस्तान के जो बड़े नाम वाले गीतकार गा सकते हैं, वह सभी 53 संगीतकारों ने वंदे मातरम गीत को गाया है। यह हिन्दुस्तान के इतिहास में रिकॉर्ड है कि एक गाने को उतने लोगों ने स्वर दिया होगा। अब इस बहस को नई पीढ़ी के सामने लाने का मतलब क्या है? आप जो गोल-गोल कह रहे थे कि साहब, तोड़ा-मरोड़ा जाये। मैं आपसे पूछूंगा कि 1882 में आनंद मठ में जो

लिखा गया वह, प्रक्षिप्त था या मूल थी। मैं बोल रहा हूं कि वह मूल था। वंदे मातरम 6 छंदों में लिखा गया। आप क्या बताना चाहते थे, यह आप जानें। आप राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद या तुष्टीकरण, आप किसके पक्ष में है? तुष्टीकरण क्या होता है? मैं रामचरित मानस को, भगवत गीता को, महाभारत को पढ़ता हूं।

सभापति महोदया :- चन्द्राकर जी, एक सूचना है।

सदन की सूचना

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची के पद 7 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये । मैं समझती हूँ कि सभा सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

राष्ट्रगीत "वंदे मातरम" के 150 वर्ष पूर्ण होने पर चर्चा (क्रमश:)

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं भागवत सुनता हूँ और आपको पुराण भी सुना दूँगा, पर आयत पढ़के नहीं । ऐसे ही सुना दूँगा कि कौन क्या है उसको । कितने बार में कुरान नीचे उतरी, यह भी आपको बता दूँगा । मैं जरा श्रुत के विषय में आपको बता दूँगा । सवाल उसका नहीं है, सवाल यह है कि मैं अपनी सांस्कृतिक आस्था कितनी रखता हूँ, अपनी धार्मिक आस्था कितनी रखता हूँ, यह मेरा विषय है, यह तेरी आस्था का विषय है । इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो गया । जवाहरलाल नेहरू ने नहीं मांगा, राधाकृष्णन जी ने नहीं मांगा । मांगा लियाकत अली ने । शौकत अली ने । मांगा जिन्ना ने । हम क्या बोलते रहे है, नेहरू लियाकत समझौता कितना पानी में आया, कितना पालन किया गया ? तुष्टिकरण, छद्म राष्ट्रवाद की संस्थायें आपने बनाई है, यदि आप संविधान के निर्माता हैं तो, उन संस्थाओं को बदनाम करके, देश के बाहर देश की आलोचना करके, आज वह दौर है जहां इतिहास को अपने-अपने दृष्टि से देखते हैं । मैं भी 10 इतिहासकारों को पढ़ता हूँ तो मुझे भी सुनने और समझने की स्वायत्ता है । मैं अखण्ड राष्ट्रवाद, भारत के उस स्वप्न को हमारे उस चिंतकों के स्वप्न से स्वयं को जोड़ता हूँ कि अखण्ड भारत तक हमारा अभियान चलेगा । चाहे वह हमारे किसी भी सांस्कृतिक प्रतीक के साथ हमको जुड़ना पड़े, हमको लड़ना पड़े, हमको बढ़ना पड़े । कोई समझौता नहीं । आप यदि हिन्दुस्तान को स्वीकार करते हैं तो मैंने कहा कि संविधान में भाजपा का सदस्य नहीं था, घोषित तौर पर । सर्वदलीय थी । संतुष्ट, असंतुष्ट होकर नरेन्द्र देव बाहर आये । संतुष्ट, असंतुष्ट होकर श्यामा प्रसाद जी बाहर आये, अशोक मेहता जी बाहर आये, जो भी बाहर आये वह इतिहास की बात है,

लेकिन हम नहीं थे । नेशनल सांग आपने बनाया । नेशनल सांग तो गाना पड़ेगा साब, नहीं तो आप निकाल दीजिए । आप खुलकर मांग कीजिए । डबल स्टैण्डर्ड की बात नहीं होनी चाहिये कि नहीं साहब किसी की भावना आहत होगी । कौन सा देश, मैंने आपको 10 मुस्लिम देश गिनाये, जिसके नेशनल सांग है...।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, आसंदी को देखकर बोलिये । आप इधर-उधर देखकर बोल रहे हैं । कृपा करके ऐसा करिये और इधर डायवर्ट होगा । मुझे देखकर इधर बोलिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे देशों के नेशनल सांग है, लेकिन हिन्दुस्तान भर ऐसा है, जहां हम नेशनल सांग को गायेंगे नहीं, सम्मान देने के लिये खड़ा हो जायेंगे । ये स्वर निकाले जाते हैं जो हमको स्वीकार नहीं है । मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप भी इसमें स्वर में स्वर मिलायेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ । जय हिन्द-मातरम ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री व्यास कश्यप ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, एक लाईन ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपको विशेषाधिकार है । बहुत अच्छा बोले हैं, बोलिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, एक क्रांतिकारी किताब है, जिसको संजू सान्याल ने लिखा है । अमित शाह जी का भी इसमें सहयोग है । मोर ख्याल से मिल जाही ।

श्री रामकुमार यादव :- खोजबे त 1947 में मिलही ।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कांग्रेस के बारे में जो लिखा है, मैं किताब को आपको दे दूँगा, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ । "कांग्रेस को ऐसे भिखारियों का समूह कहकर उसका उपहास उड़ाया, जिसका आम जनता से कोई संबंध नहीं था ।" अब आगे को नहीं पढ़ता, यह बंकिम चंद्र ने कहा है, इस किताब में है । मैं यही कोड करना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका रिसर्च, आपकी सोच, आपका ज्ञान, शानदार रहा है। बहुत अचछा प्रस्तुतिकरण हुआ । आपको बधाई चलिये । व्यास जी ।

श्री व्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वन्दे मातरम । मुझे गर्व है कि आज वन्दे मातरम को 150 वीं जयंती के नाम से हम याद कर रहे हैं । भारत की आजादी की लड़ाई में जो गर्व से वन्दे मातरम के गीत और वन्दे मातरम का नारा लगाकर देश के प्रति शहीद हो गये, उस वन्दे मातरम को याद करने के लिये हम सब यहां उपस्थित हैं । दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस उद्देश्य से इस विषय को विधान सभा में लाया गया है, हमारे साथियों द्वारा दूसरे के उपर आरोप लगाया जा रहा है, वह उचित भी नहीं है। मैं बचपन से जिस संस्था का सदस्य था, मैं जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बता ही दीजिए, किस संस्था के सदस्य थे।

श्री ब्यास कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, मैं बचपन में संघ का स्वयंसेवक रहा हूं और वंदे मातरम के विषय में क्या बोली जाती थी, उस बात को मैं आने वाले समय में बताऊंगा। अजय चंद्राकर जी, हमारे दोनों उपमुख्यमंत्री अरूण साव जी और आदरणीय विजय शर्मा जी ने बहुत कुछ कहा है तो जवाब सुनने के लिए भी थोड़ा सा तैयार रहें। मुझे पता है कि आप लोगों को इस पर थोड़ी पीड़ा होगी, क्योंकि आप लोगों ने ही आग लगाई है और आग लगाई है तो आप लोगों को बुझाना पड़ेगा। अभी आसंदी पर माननीय अध्यक्ष महोदय जी आ गए हैं। हम सबको पता है कि जिस समय वंदे मातरम लिखा गया, किसकी राजनीतिक दल की क्या हैसियत थी, वह बाद का विषय है। 07 नवंबर, 1875 में जब बंकिम चंद्र चटोपाध्याय, जिनको हम चटर्जी भी बोल लेते हैं, उनके द्वारा यह रचित गीत जिसमें प्रथम दो पद संस्कृत में है, संस्कृत हमारे पुराने समय की बोलचाल की भाषा रही है, वे बंगाल से आते थे, इसलिए बंग्ला का भी समायोजन हुआ। आदरणीय रविन्द्र नाथ टैगोर जी, जिन्होंने संगीतबद्ध किया और गाया भी। सार्वजनिक मंच पर प्रथम बार 27 दिसंबर, 1896 को 27 से 30 दिसंबर तक कांग्रेस का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, उस पर यह गाया गया। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति और प्रेरणा का प्रतीक बना था। 1896 में टैगोर जी ने पहली बार गाया, 1950 में यह भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित हुआ। आप सब लोगों ने भी इसको कहा है। जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा मिलने के कारण आम तौर पर शासकीय आयोजनों में हम सब गुनगुनाते हैं, हम इसे देशभक्ति के रूप में गाते हैं। सांस्कृतिक आयोजन, राष्ट्रभक्ति, देश भक्ति के जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें वंदे मातरम का गायन होता है। वंदे मातरम के इस गीत पर लगभग भारत के सभी दल के लोग नतमस्तक होते हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। वर्तमान समय में जिस ढंग से वंदे मातरम के विषय में आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, यह न्यायोचित नहीं है। मैंने कहा कि संघ के शाखाओं में क्या बात होती थी, मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो वहां भी वंदे मातरम की क्या स्थिति थी, वहां भी गाया जाता था, मैं इंकार नहीं कर रहा हूं। मैं कांग्रेस में हूं तो कांग्रेस के प्रदेश के अधिवेशन हो, चाहे जिले की बैठकें हो, वंदे मातरम से शुरूआत होती है। (मेजों की थपथपाहट) कांग्रेस में शुरू से ही वंदे मातरम के नाम से देश की आजादी की लड़ाई में सभी लोग भाग लिए थे। वंदे मातरम लिखने के जो विषय थे, वह अंग्रेज के विद्रोह के लिए देश की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे आंदोलनकारियों को उत्साह हेतु वंदे मातरम नारा ही प्रमुख था। उस समय पूरे भारत पर जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान जो भारत के अभिन्न अंग रहे हैं, उस समय पूरे देश पर वंदे मातरम का नारा ले करके हम सब देश की आजादी की लड़ाई में आगे बढ़ते थे। जितने भी भारत के शहीद हुए, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरू, अशफाक उल्ला खान जैसे जितने तमाम शहीद जो फांसी के फंदे पर झूले, सभी ने वंदे मातरम, वंदे मातरम कहकर खुशी-खुशी अपने प्राणों की आहूति दे दी और देश के लिए न्योछावर किया। आज मैं जितने हमारे साथीगण अपनी-अपनी बात अपने-अपने पक्ष की ओर से बोल रहे थे। मैं बोलता हूं कि वंदे मातरम विषय ही ऐसा है, जो सबके लिए प्रिय है। मुझे

अच्छा लगा कि भाजपा अध्यक्ष माननीय किरण देव जी ने अपने ढंग से बेहतर ढंग से कहा। ये बातें होनी भी चाहिए। विशेषकर वंदे मातरम के लिए होनी ही चाहिए। हमें इस पर ज्यादा बहस नहीं करनी है। जब माननीय अजय चंद्राकर जी, अरूण साव जी, विजय शर्मा जी, रामविचार नेताम जी ने इतिहास की बात की है तो मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि उस समय देश की आजादी की लड़ाई के लिए सभी का योगदान था। संघ का क्या योगदान है, उसको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कोई राजनीतिक दल हुआ नहीं करती थी। कांग्रेस के नेतृत्व में भारत के सभी नागरिक देश की आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिये। समय-समय पर अलग-अलग संगठन के लोग वंदे मातरम के लिए शहीद हो जाया करते थे, परंतु जब उनकी बारी आती थी तो लिखित में माफी मांगकर बचने का भी प्रयास करते थे। वह उस संगठन के ही लोग थे। आप याद कीजिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी किसकी सरकार में मंत्री थे? आप देखियेगा सही कि हम सब इस वंदे मातरम के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं। आदरणीय अरूण साव जी ने कहा कि आपातकाल के समय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- आप इस बात का उल्लेख कीजिये कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी?

श्री रामकुमार यादव :- पहले आप बता दीजिए कि वह किस सरकार में मंत्री थे, फिर वह दोबारा बताएंगे।

श्री सुशांत शुक्ला :- वह नेहरू जी की सरकार में उद्योग मंत्री थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी, आप इस पर बात कीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- वह किस पार्टी से थे?

श्री सुशांत शुक्ला :- वह कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी?

श्री केदार कश्यप :- आप लोगों के तुष्टिकरण के कारण ही तो कश्मीर इतने सालों तक उपेक्षित रहा। आप लोगों ने धारा 370 नहीं हटाया। यह इस बात का प्रमाण है।

अध्यक्ष महोदय :- केदार जी, उनको बोलने दीजिए। आप बोलिये।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर की क्या स्थिति है, क्या आप उसको देखने के लिए जाते हैं? धारा 370 हटने के बाद क्या आप उसको लागू कर पाये हैं?मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने धारा 370 संविधान से पास कर लिया, परंतु क्या आप उसको जम्मू-कश्मीर में लागू कर पा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आज का जम्मू-कश्मीर पल्लवित और पुष्पित होकर मजबूती के साथ खड़ा है। यह क्या बात हुई? अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है। धारा 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर पूरी मजबूती के साथ खड़ा होकर भारत के साथ कदमताल कर रहा है। यह आपत्ति का विषय है। आज पूरा जम्मू-कश्मीर भारत के साथ कदमताल कर रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- ब्यास जी, आप आज के विषय तक सीमित रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय तक सीमित हूं। जो विषय लाया गया है, जो चीज कही गई है तो आप हमारी तरफ से उसका जवाब सुनने के लिए तैयार रहिएगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप ठीक जवाब दीजिए और पूरा करिये।

श्री ब्यास कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। आप लोगों ने जो ठेस पहुंचायी है न, मैं उसी बात को बता रहा हूं। आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। आदरणीय अरूण साव जी ने कहा कि आपातकाल के समय संघ के लोग वंदे मातरम कहकर जेल गये। गये होंगे। अच्छी बात है। संघ का जो गीत है-नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्घितोहम। वह यह कहकर भी तो जेल जाते। वंदे मातरम के साथ यह गीत गाकर भी जेल जाते।

श्री सुशांत शुक्ला :- आप एक बार पूरी गीत गाएंगे तो अच्छा लगेगा। आप पूरी गीत गाकर दिखाये।

श्री ब्यास कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी गीत गा सकता हूं।

श्री सुशांत शुक्ला :- क्या है कि वंदे मातरम की व्याख्या इसी गीत में है कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। आप एक बार पूरी गीत गाकर दिखाइये।

श्री ब्यास कश्यप :- वही तो भाव है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वही तो भाव है। धरती मां भूमि को सब प्रणाम करते हैं। चाहे वंदे मातरम हो, चाहे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे हो।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, वह बैठे उधर हैं, लेकिन उनका दिल अभी तक इधर ही है। (हंसी)

श्री ब्यास कश्यप :- महोदय, आपने जो प्रताड़ित किया है, उसी नाम से हम इधर आये हैं। आज हमारे अध्यक्ष महोदय डॉ. रमन सिंह जी बैठे हैं, उनको पता है। आप लोग मेरे से ज्यादा मत कहलवाइये। आप लोगों से ज्यादा ट्रेनिंगशुदा, प्रशिक्षु और बौद्धिक दृष्टि से प्राप्त करने वाला कार्यकर्ता अब इधर आ गया है।

श्री अनुज शर्मा :- उधर भी हमारे आदमी हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- उधर भी हमारे आदमी हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- उधर भी हमारे आदमी होंगे और इधर के लोग भी उधर गये हैं क्योंकि भाजपा वह नहीं रह गयी।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर बड़का गुरूदेव हावय।

श्री ब्यास कश्यप :- इधर से जाने वालों की संख्या ज्यादा हो गयी। यह लोकतंत्र है तो आप मजबूत हो गये। आप आगे हो गये हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए जय श्री राम। जय श्री राम तो सभी बोलते हैं। कौन नहीं बोलता ? क्या किसी दल का बंधन है ? हम तो सभी हमारे पूज्य भगवान है राष्ट्रीय नेतृत्व है। भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से सभी नतमस्तक होते हैं ।

श्री सुशांत शुक्ला :- आप अयोध्या मंदिर के उद्धाटन में क्यों नहीं गये थे ?

श्री अनुज शर्मा :- आपके नेता जी तो जय श्री राम कहने नहीं आये ।

श्री सुशांत शुक्ला :- आपके नेता जी तो उद्घाटन में अयोध्या नहीं गये ।

श्री ब्यास कश्यप :- बुलाएंगे तो आयेंगे न। क्यों नहीं आयेंगे ? दर्शन करने के लिए तो जायेंगे। क्यों नहीं जायेंगे ?

श्री सुशांत शुक्ला :- आज तक तो नहीं गये।

श्री ब्यास कश्यप :- क्या प्रभु श्री राम चंद्र जी आपके, भारतीय जनता पार्टी के ट्रेडमार्क है ?

श्री सुशांत शुक्ला :- हमने कब कहा कि हमारे ट्रेडमार्क है। भारत के ट्रेडमार्क ही राम हैं। यह आप समझ लीजिए।

श्री ब्यास कश्यप :- उसमें सब लोगों का योगदान था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया।

श्री अनुज शर्मा :- अच्छा आप बताईये, आप पुराने आदमी हैं। क्या आप राम मंदिर आंदोलन में गये थे ?

श्री ब्यास कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, मैं इलाहाबाद से अयोध्या पैदल गया था। (मेजों की थपथपाहट) और एक दिन संघ के सब सेवक है और भारतीय जनता पार्टी के नाम से ब्यास कश्यप का सम्मान नहीं हुआ। मैं इस बात को सदन में बोल रहा हूं। एक हफ्ते तक इलाहाबाद से अयोध्या पैदल गया।

श्री सुंशात शुक्ला :- संघ के कार्यकर्ताओं को वैसे भी सम्मान की आवश्यकता नहीं होती इसीलिए आप कांग्रेस में गये हैं। आप सम्मान खोजते हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- तो आप छोड़ दीजिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- हमारे यहां राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य के साथ चलने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मान की आवश्यकता नहीं होती है। आप सम्मान खोजते थे इसलिए आज आप एकवंशीय परिवार की चरणवंदना को स्वीकार किये हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- बहुत बढ़िया। (हंसी)

श्री राजेश अग्रवाल :- ब्यास भाई। गलती ला सुधारव, अब इधर आवव।

श्री ब्यास कश्यप :- भैया, अब गलती ला नइ सुधारव। गलती में भोग देवव में हर अतका वर्ष 35 साल ले सेवा करत-करत। आज इधर आये हन तो कम से कम हमन नेता मन तो सम्मान दे दिस अउ जनता मन के आशीर्वाद मिल गे हे। ये मेर आकर बैठे हन तो मिल गे हे नइ तो ओ कतिन रहिथन तो, तरी मा। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- उनको अपनी बात पूरी करने दे, उनको डिस्टर्ब मत करिये। आप समाप्त करिये। आप अच्छा बोल रहे हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, मुझे सुन तो लीजिए और सब लोगों ने बोला है तो मुझे भी तो अवसर दीजिये। मैं तो अपने दल से चाह रहा था कि मुझे पहले बोलने का अवसर मिलता तो थोड़ा-सा और कुछ ज्यादा कहता। अब समय कम मिला है तो कम समय में कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। भारत देश की जनता ने उस पर आर्थिक सहयोग और मदद की। राम जी के प्रति सभी की श्रद्धा है परंतु जिस ढंग से महिमा मंडित की जाती है, जिस ढंग से श्रेय लेने का प्रयास किया जाता है, यह उचित नहीं है। हमारे आदरणीय शर्मा जी बोल रहे थे कि पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यांमार और अभी माननीय चन्द्राकर जी बोल रहे थे कि अखण्ड भारत। जो कि पूर्व में भारत का स्वरूप था अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक। वर्तमान स्थिति में इस लोकतंत्र में जब उस अखंड भारत का निर्माण होगा तो भाजपा कहां रहेगी, इस बात का चिंतन बाद में कीजिएगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- पाकिस्तान के तीन टुकड़े कर देंगे।

श्री ब्यास कश्यप :- आप पाकिस्तान के तीन नहीं सभी टुकड़े कर दीजिए। यहां पर अखण्ड भारत की बात आ रही है तो होनी भी चाहिए। जब उस समय लोकतंत्र में चुनाव होंगे और लोकतंत्र का जो परिणाम आयेगा, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिये। आप अनुभव कीजिए कि एक तरफ भारत में रहने वाले उन अल्पसंख्यकों के प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं और वह सब अल्पसंख्यक भी हमारे ही भाई थे। वह क्यों अल्पसंख्यक हो गये ? वे हमको छोड़कर क्यों चले गये ? आपकी तरफ से इस बात की चिंता नहीं होती। आरोप जरूर लगता है पर इस बात की चिंता हम क्यों नहीं करते कि आज हमारे भाई हमको छोड़कर क्यों जा रहे हैं ? वह मूल तो इस्लाम के नहीं थे न। इस बात की चिंता है। अभी बड़ी-बड़ी बात हो रही थी। आदरणीय चन्द्राकर जी ने भी कहा, सब लोगों ने कहा मोदी जी बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं। वह नहीं खाते या क्या खाते हैं लेकिन कुछ न कुछ करके गये तो हैं न ? चाय पीकर आये। लेकिन पाकिस्तान की चाय पिये न ? हां अच्छी बात है जाना चाहिए। आप अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कह रहे थे। माननीय मोदी जी की रगों में पूरा सिंदूर बह गया परंतु पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के लिए आपत्ति नहीं है। आप लोग पाकिस्तान से मैच खेलेंगे।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, यह आपत्ति का विषय है।

श्री ब्यास कश्यप :- क्यों आपत्ति का विषय है?

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं इसमें आपत्ति करूंगा। शहीदों की शहादत पर अगर कोई विषय विषयांतर किया जायेगा तो यह आपत्ति का विषय है। ऑपरेशन सिन्दूर हमारी प्रतिष्ठा है।

श्री ब्यास कश्यप :- एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से सभी संबंध खत्म तो फिर क्रिकेट क्यों खेला जाता है ? क्योंकि हजारों करोड़ों रुपये की इनकम होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बी.सी.सी.आई. को जिसके प्रमुख अमित शाह जी के सुपुत्र जय शाह जी हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- और सुन लीजिए न, आपको एक जानकारी नहीं है। अभी अंडर-19 में वैभव सूर्यवंशी ने छक्के के ऊपर छक्का पाकिस्तान को मारा।

श्री ब्यास कश्यप :- यह दुर्भाग्य है कि भारत की अंडर-19 के प्लेयर पाकिस्तान से हार गये। इस बात का दुर्भाग्य है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैच मा एक घंटा बाचे हे भैया, आज मैच है, चल जल्दी बोल।

श्री ब्यास कश्यप :- रह न भैया, अब्बड़ गोठ ला करे हस गा। सुन तो ले भैया।

श्री अनुज शर्मा :- लेकिन आपकी आवाज में दर्द बहुत है।

श्री ब्यास कश्यप :- हां, क्यों नहीं रहेगा ? दर्द पाया हूं तभी इधर आया हूं। आप सब गुरू गोलवरकर जी और गोड़से जी की बात कह रहे थे। आजादी के समय गोडसे जी का जो कार्टून उनकी पत्रिका, प्रेस में था, आज सरदार वल्लभभाई पटेल के विषय में बहुत बात कर रहे थे। अच्छी बात है। अखंड भारत के निर्माता, 500 से अधिक रियासतों को भारत में मिलाने वाले देश के प्रथम उप-प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जिनकी आप लोगों ने भारत ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण कराया। महोदय, उसका निर्माण मिट्टी से नहीं हुआ है, लोहे से हुआ है, हम लोगों ने भी दिया है।

श्री सुशांत शुक्ला :- देश की जनता ने दिया है।

श्री ब्यास कश्यप :- हमने भी तो कहा है न भाई, हम भी तो देश की जनता है न। परंतु अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल जी के नाम से जो क्रिकेट स्टेडियम था, उसका नाम माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नाम से होना क्या न्यायोचित है ? दो तरीके से बातें नही होगी। आपसे आग्रह है कि वंदे मातरम का वह राष्ट्रगान जिससे प्रेरित, राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत बोलिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद हमारे सदस्य को जानकारी का अभाव है। सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर अहमदाबाद में दो किक्रेट स्टेडियम होते थे। एक वर्तमान में अभी है, एक का नवीनीकरण हुआ, जिसको व्यापक तौर पर किया गया। आप जानकारी सुधार लीजिए।

श्री ब्यास कश्यप :- आप सुधार लीजिए। मैं बता रहा हूं। ..(व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आप असंतुष्ट जनसंघी हैं, हम स्वीकार कर लिये।

श्री ब्यास कश्यप :- अगर अहमदाबाद में एक स्टेडियम सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम से होगा तो बता दीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं बोल रहा हूं कि दो स्टेडियम हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- आप गूगल सर्च कर लीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- वही तो दिक्कत है कि आप गूगल सर्च कर- करके आपके नेता भाषण नहीं कर पाये, आप क्या करेंगे ? गूगल सर्च करने के चक्कर में लोकसभा में आपके नेता भाषण नहीं कर पाये।

श्री ब्यास कश्यप :- आप गुजरात की सरकार से मंगवा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत लेटरपेड से मंगवा लीजिए। चलिये, मैं मंगवाता हूं। मैं कांग्रेस से नहीं मंगवाऊंगा, परंतु वहां के पाटेदार पटेल समाज के लोगों से मंगवाऊंगा कि अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम का नाम परिवर्तन क्यों किया गया है ? ठीक है, आज समय की बात है। एक समय इधर के लोग 404 हुआ करते थे, आप दो हुआ करते थे। लोकतंत्र है, जनता ने आपको उधर बिठाया है, चाहे देश में हो या प्रदेश में हो। कोई बात नहीं। 50 साल क्या, आजीवन फेविकोल लगाकर रहो, पर देश की जनता जब अपने आप पर आ जायेगी न तो उखाड़कर फेंकने में भी समय नहीं लगेगा।

श्री रामकुमार यादव :- वह फेविकोल कोई काम नई आये।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बंकिमचन्द्र चटर्जी का देश को गौरवान्वित करने वाला वंदे मातरम अमर है। जिसके नाम से देश की आजादी की लड़ाई में लड़कर देश आजाद हुआ है। इसको चिरस्थायी बनाकर रखिये। हमारे खड़गे जी ने कहा कि आप सब चीज को चाहे सरदार पटेल हों, शास्त्री जी हों, वंदे मातरम हो, आप ले लीजिए। आप उसको स्वीकार तो कर रहे हैं न। आप लोग खाली गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार कहते हैं, गांधी परिवार ने जितना कुछ इस देश के लिये किया है, देश के लिये शहीद हुए हैं, आपकी तरफ से कौन क्या हुआ है ?

श्री अनुज शर्मा :- देखिये, हम लोग तो स्वीकार कर लेते हैं । आप लोग भी स्वीकार करिये और पूरा वंदे मातरम् गाईये ।

श्री ब्यास कश्यप :- स्वीकार कर हे हैं । क्यों नहीं करेंगे, यह धर्मनिरपेक्ष है, समाजवाद धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत धर्मनिरपेक्ष है तो सबका यहां पर सम्मान करना होगा । जबरदस्ती किसी को दबावपूर्वक आप गवा नहीं सकते हैं, अच्छी बात है, उनके मन में भी गाना आये, भाव आये, उस वर्ग को भी जिसके लिए हम सब समर्पित भाव से वंदे मातरम को नमन करते हैं, चिरस्थायी ।

अध्यक्ष महोदय :- ब्यास जी, 20 मिनट से ऊपर हो गये । समाप्त करिये ।

श्री ब्यास कश्यप :- जी, महोदय । अब अंतिम है क्योंकि हमारे पुराने मित्रों के द्वारा थोड़ा छेड़खानी करने के कारण न ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी बोलने वाले 15 और बाकी हैं ।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है । अच्छी बात है, सब अपने-अपने मन की बात कहेंगे । मैं अंतिम बात यही कहना चाहता हूँ की वंदे मातरम् को हम सादर नमन और प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने रचित यह वंदे मातरम देश की आजादी की लड़ाई में हम सबके काम आया, देश आज आजाद हुआ और इस आजादी को चिरस्थाई बनाने के लिए सदा यह वंदे मातरम अमर रहेगा और इस अमरता के लिए हम सब मिलजुल काम करें और आरोप-प्रत्यारोप कृपा करके न लगाएं और उसके प्रति भी आप लोगों में यदि समर्पण भाव है तो वन्दे मातरम के लिये कुछ करके बताएं । जय हिन्द, वंदे मातरम् ।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के द्वारा दिनांक 07 नवम्बर, 2025 को दिल्ली में इंडोर स्टेडियम में वंदे मातरम की एक सौ पचासवीं जयंती का शुभारंभ उनके कर कमलों से हुआ और एक साल तक दिनांक 07 नवम्बर, 2026 तक, साल भर का यह कार्यक्रम चलेगा । उसके बाद में parliament में, लोकसभा में चर्चा हुई, वंदे मातरम के ऊपर राज्यसभा में और देश की अनेक विधानसभाओं में वन्दे मातरम को लेकर के चर्चा हुई है । आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भी छत्तीसगढ़ की विधानसभा में वन्दे मातरम को लेकर के यहां पर आज का दिन तय किया है और जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया है और हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है । पक्ष और प्रतिपक्ष, वंदे मातरम सबकी सद्भावना है और कोई पार्टी, वर्ग, जाति, लिंग भेद से ऊपर, सबसे ऊपर कोई है तो हमारा वंदे मातरम है । इसको लेकर के जिस प्रकार से बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो लिखी गयी और उसके बाद में उसको आनंदमठ में शामिल किया गया और शामिल करने के बाद में देश की आजादी के वह केवल नारे ही नहीं बने बल्कि हमारे मंत्र बने और उस मंत्र को लेकर हमारे जो तत्कालीन उस समय के जो राष्ट्रभक्त थे । जो देश को आजादी दिलाने के लिए इसका नारे के रूप में, मंत्र के रूप में उपयोग किया गया और पूरे देश को एकीकरण करने का काम एक छत के नीचे जो किया गया, उसका नाम था वंदे मातरम् और इसी वन्दे मातरम् मंत्र को लेकर के आगे बढ़ने का काम, आजादी के संघर्ष की जो गाथा है, वह अब यहीं से आगे प्रारंभ हो रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, वन्दे मातरम के बारे में जो बातें आई हैं, जो ऊपर और नीचे की लाईनों की बात है । वास्तविक में उस समय वन्दे मातरम् केवल एक गीत ही नहीं बल्कि तत्कालीन समय में अंग्रेजों को जब देश से खदेड़ना था तो हमको वंदे मातरम को समझने के लिए जो आवश्यक है कि जो साहित्य राष्ट्रवाद और भारत के स्वाधीनता संग्राम को जोड़ना, यह हमारे वंदे मातरम के द्वारा जो किया गया और कविता से लेकर राष्ट्रीय गीत बनने तक का सफर अप्रवेशिक शासन के खिलाफ भारत की सामूहिक जाग्रति का उदाहरण है । यह गीत पहली बार सन् 1875 को प्रकाशित हुआ और इस तथ्य की पुष्टि श्री अरविंदो जी द्वारा 16 अप्रैल

1907 को अंग्रेजी दैनिक वन्दे मातरम् में लिखे गये लेख से होती है। उसके बाद में बंकिम जी ने इस बात का उल्लेख 32 साल पहले अपने मशहूर गीत की रचना थी। उन्होंने कहा कि उस समय इसे बहुत कम लोगों ने सुना, लेकिन लम्बे समय से जो भ्रम से जागृत होने के एक पल में बंगाल के लोगों ने सच्चाई की तलाश की और उसी क्षण में यह "वन्दे मातरम्" गाया गया।

समय

6.00 बजे

माननीय अध्यक्ष महोदय, "वन्दे मातरम्" गीत मार्च अप्रैल 1881 के अंक उपन्यास में धारावाहिक के प्रकाशन के पहली किश्त में छपा और केवल यह हिन्दुस्तान नहीं, बल्कि वन्दे मातरम् को लेकर के उस समय चाहे साहित्य का प्रकाशन हो।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, आप अपनी सीट में आ जाईये।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वन्दे मातरम् पर चर्चा सुन रहे हैं या गप्पे मार रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उस समय वर्ष 1907 में मैडम बिकलजीकामा ने पहली बार भारत के बारह स्टेटगाड बर्लिन में तिरंगा झण्डा फहराया और उस तिरंगे झण्डे पर लिखा हुआ था "वन्दे मातरम्"। हम जब वन्दे मातरम् के रचियता और बंकिम चटर्जी जी के बारे में बात करेंगे जिस बात का उल्लेख हुआ है कि आनंद मठ में वर्ष 1882 में उनके द्वारा केवल वन्दे मातरम् नहीं बल्कि दुर्गेश नंदनी, कपाल कुण्डला, 1865-1866 देवी चौधरानी, 84 शामिल हैं। आज हमारी सांस्कृतिक, विरासत है और हमारी नैतिक चिन्ताएं जो दिख रही हैं। स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर जो चर्चा का विषय है। वन्दे मातरम् की रचना को राष्ट्रवादी चिन्तन में मील का पत्थर माना जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1905 में उत्तरी कलकत्ता में मातृभूमि की एक मिशन और धार्मिक जुनून के तौर पर बढ़ावा देने के लिए वन्दे मातरम् सम्प्रदाय की स्थापना भी की गयी और उसकी स्थापना के बाद, वहां पर हर रविवार को वन्दे मातरम् की प्रभात फेरियां निकाली जाती थीं और लोग मातृभूमि के समर्थन में स्वैच्छिक दान भी लेते थे । कभी-कभी इन प्रभात फेरियों में रविन्द्र नाथ टैगोर जी भी शामिल होते थे, ऐसा उद्धरण में आया है। वर्ष 1906 के विषय में बताना चाहूंगा कि बारिसल अब यह भारत में नहीं है, यह बंगलादेश में है। वहां पर अभूतपूर्व वन्दे मातरम् जुलूस निकाला गया और वहां 10 हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए। उसमें हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही शहर की मुख्य सड़कों पर वन्दे मातरम् का झण्डा लेकर, नारे लगाते हुए निकले। वर्ष 1906 बिपिनचन्द्र पाल जी के संपादन में वन्दे मातरम् का एक अंग्रेजी दैनिक जिसमें बाद में अरविन्दो जी ने संयुक्त संपादक के रूप

में काम किया और इस प्रकार से इस देश के संपादकीय लेखों के जरिये अखबार भारत को जगाने का एक सशक्त माध्यम बना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गाने और नारे, दोनों के तौर पर वन्दे मातरम् के बढ़ते प्रभाव से यदि कोई सबसे पहले घबराए तो वह ब्रिटिश हुकूमत थी । जिस प्रकार से उनके द्वारा इसके प्रचार-प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाया गया। क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि हमारी गलियों में वन्दे मातरम् की गुंज उठे। उनको यह लगता था कि वन्दे मातरम् के पीछे अंग्रेजों को लोग मिशन के मोड में यहां से निकालने के लिए लगे हुए हैं और इसलिए उन्होंने उसको दबाने का जो काम किया। उस समय नये बने पूर्वी बंगाल की प्रान्तीय सरकार थी जो स्कूलों में वन्दे मातरम् गाये जाते थे, कॉलेजों में वन्दे मातरम् गाये जाते थे उस समय के तात्कालीन सरकार के द्वारा उस पर रोक लगाने का काम किया गया। शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा उनको नोटिस जारी की गयी, उनकी मान्यताएं रद्द की गयीं। उनकी मान्यताएं रद्द करके, जो वहां के पढ़ने वाले छात्र हैं उनके द्वारा उन पर जुर्माने लगाने का काम किया गया, उनको दोषी माना गया और इसी प्रकार से केवल वहां तक सीमित नहीं रही, बल्कि धुलिया जो महाराष्ट्र में है । महाराष्ट्र में 1906 में विशाल सभा में वंदे मातरम् नारे लगाए गए। उसके बाद कर्नाटक के बेलगाम में 1908 में लोकमान्य तिलक जी को बर्मा जेल भेजे जा रहे थे, वहां के लड़कों ने वंदे मातरम् गाया और इसके बाद में जब लड़के लोग नारा लगा रहे थे तो उन लड़कों को वहां पर प्रताड़ित करने का काम किया गया, उनके साथ में मारपीट की गई और दबाने का काम किया गया, लेकिन वंदे मातरम् गीत भारत के स्वाधीनता का प्रतीक बन गया । उस समय जब बंगाल में ऊथल-पुथल हुए और उसी समय बड़ा स्वदेशी आन्दोलन भी वहां पर प्रारंभ हुआ । इसके साथ में उस समय वहां पर 7 अगस्त, 1905 को सभी समुदाय के हजारों लोगों ने कोलकाता में टाऊन हॉल की तरफ जब जुलूस निकाले तो वंदे मातरम् और उनके द्वारा गगन भेदी नारा लगाया गया । इस ऐतिहासिक सभा में पहली बार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया । स्वदेशी अपनाने के प्रस्ताव को भी वहां पर पारित किया गया, जिससे बंगाल के बंटवारे के खिलाफ आन्दोलन का भी संकेत मिला । इसके बाद जो घटना हुई, वह सारे देश की जनता को मालूम है । 1906 में पूर्वी प्रांत के बारीसाल में बंगाल प्रांतीय सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश हुक्मरानों ने वंदे मातरम् के सार्वजनिक नारे के खिलाफ में रोक लगाई गई । उसके साथ ही साथ उनकी बात को न मानते हुए आगे बढ़ने का काम किया गया । मई, 1907 में लाहौर में युवा प्रदर्शनकारियों ने औपनिवेशिक आदेशिक अवहेलना करते हुए वह जुलूस निकाला और इतना ही नहीं, रावलपिंडी में स्वदेशी नेताओं के गिरफ्तारी की निंदा भी की गई, वहां पर वंदे मातरम् के नारे लगाए गए । 27 फरवरी, 1908 को तुतीकोरीन, तमिलनाडू के कोरल मिल्स के लगभग हजार मजदूरों ने स्वदेशी टीम नेवीगेशन कम्पनी के साथ एकजुटता दिखाते हुए वहां के अधिकारियों के दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किए और वहां पर वंदे मातरम् का नारा लगाया गया । जब लोकमान्य तिलक की

गिरफ्तारी हुई थी और मुम्बई में मुकदमा चल रहा था तो उस पुलिस कोर्ट के सामने प्रदर्शन कर रहे हमारे राष्ट्रभक्तों ने एकजूटता के साथ में वहां पर वंदे मातरम् का नारा लगाने का काम किया और इस प्रकार से 17 अगस्त, 1907 के दिन मदनलाल ढींगरा को इंग्लैंड में जब फांसी दी गई, तब मदनलाल ढींगरा के फांसी के दौरान अंतिम शब्द वंदे मातरम् थे । इस प्रकार से यहां से लेकर लंदन तक जिस प्रकार से राष्ट्रभक्तों ने इसका उपयोग किया । अक्टूबर, 1912 में जब गोपाल कृष्ण गोखले की केपटाऊन, दक्षिण आफ्रीका पहुंचे, तब उनके स्वागत में वहां पर वंदे मातरम् नारे लगाए गए और उनका स्वागत किया गया । इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जिस प्रकार से साल भर का कैलेण्डर बनाया गया है और कैलेण्डर बनाकर इस कार्यक्रम को चलाए जाएंगे । मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम् के लिए आजादी के आन्दोलन में महिलाओं ने भी उस समय योगदान दिया और उस समय उन्होंने जो तय किया, यह परम्परा उस समय की रही है, जो देश की आजादी के लिए और उसका विरोध करने का तरीका भी सब लोगों के द्वारा अपनाया गया । उस समय फांसी के फंदे पर झूलने वाले खुदीराम बोस जी की हम बात करें, हम मदनलाल ढींगरा, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, रोशन सिंह, राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण विश्वास जैसे अनेक शहीद हुए, जो "वंदेमातरम्" कहते हुए फांसी के फंदे पर झूल गये। उसके बाद आज हम एक भारत श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं। सबका एक ही मंत्र था "वंदेमातरम्"। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं। भगवान बिरस मुण्डा की जयंती मना रहे हैं। आज हम छत्तीसगढ़ निर्माण 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं और ऐसे अवसर पर "वंदेमातरम्" को लेकर विधान सभा में चर्चा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1907 इस तरह माहौल सभी तरफ बना और जब वी. ओ. चिदमब्रम पिल्लै ने स्वदेशी कम्पनी का जहाज बनाया तो उन्होंने ने उस जहाज में "वंदेमातरम्" लिखा। राष्ट्र अपिय सुब्रमण्य भारती ने "वंदेमातरम्" का तेलगू में अनुवाद किया। आज देशभक्त गीतों में वंदे मातरम् की श्रद्धा साफ-साफ नजर दिखाई दे रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, "वंदेमातरम्" को लेकर विवाद की शुरूआत हुई है। "वंदेमातरम्" के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति थी। मुस्लिम लीग नहीं चाहते थे कि "वंदेमातरम्" का गायन किया जाये। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ में सबसे पहले 15 अक्टूबर, 1937 को "वंदेमातरम्" के विरूद्ध नारा बुलन्द किया। उस समय कांग्रेस के तात्कालीन अध्यक्ष पं. जवाहर लाल नेहरू अपना सिहासन हिलता हुआ देखा। नेहरू जी को यह करना था कि "वंदेमातरम्" के लिए मुस्लिम लीग को समझाना था। जो उनके साथ थे, उनसे बातचीत करना था और इसको दृढ़ता के साथ आगे लाना था। लेकिन "वंदेमातरम्" को आगे लाने के बजाय उन्होंने सुभाष बाबू को चिट्टी लिखी, उस चिट्ठी में नेहरू जी ने अपने आपको जिन्ना की भावना से सहमति जताया। "वंदेमातरम्" आनंदमठ की पृष्ठभूमि है और आनंदमठ की पृष्ठभूमि होते हुए "वंदेमातरम्" मुसलमानों को इरीटेट कर सकती है। कलकत्ता में कांग्रेस

के अधिवेशन में समीक्षा की बात आई। मुस्लिम लीग ने विरोध किया, इस बात को लेकर सुभाष बाबू को पत्र लिखा। जब कांग्रेस के अधिवेशन में उसकी समीक्षा की बात आई, तब इस बात को लेकर राष्ट्रभक्तों के द्वारा कलकत्ता में प्रबलता के साथ विरोध किया गया, प्रभातफेरियां निकाली गईं और "वंदेमातरम्" गीत गाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही तुष्टिकरण की राजनीति है। तुष्टिकरण की राजनीति के लिए "वंदेमातरम्" का टुकड़ा होना स्वीकार किया, उसके टुकड़े किये। इसी टुकड़े के बाद भारत का टुकड़ा हुआ और बाद में पाकिस्तान बना, बंग्लादेश बना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब हम इस बात को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वही से उसकी शुरूआत हुई। लेकिन "वंदेमातरम्" वह है जो आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को "वंदेमातरम्" गाया जाता है, उसका जोश देखने को मिलता है। उससे उर्जा मिलती है।

अध्यक्ष महोदय, 1947 में देश को आजादी मिल गई। पांच सौ वर्षों तक राम मन्दिर के लिए विवाद चला। हमारा लक्ष्य रहा, हमारा एजेण्डा रहा कि अयोध्या में राम मन्दिर का निर्माण होना चाहिए और अंतत: राम मन्दिर का निर्माण हुआ। आज तय हो गया है कि "वंदेमातरम्" हमारा वह मंत्र है, हमारा वह यंत्र है। हमको आजादी तो मिल गई और आजादी मिलने के बाद आज आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं और अमृत काल के बाद में 2047, जब हमारी आजादी का 100 वर्ष आएगा, 100 वर्ष में भारत कैसा होना चाहिए, विकसित भारत की कल्पना और उसके साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा विकसित छत्तीसगढ़, आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ इस विजन को लेकर चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- समाप्त करिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की पीढ़ी इसको लेकर हम छत्तीसगढ़ को आने वाले 22 साल 23 साल में जो काम करने का है, इस देश में काम करने का है कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बना सके, आज की पीढ़ी वंदे भारत वंदे मातरम को जाने। जो शहीद हुए हैं, उनकी जो पीढ़ियां गई हैं, इस देश की आजादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है और इस वंदे मातरम के साथ में हम जब आने वाले समय में विकसित भारत में पहुंचाएंगे, विकसित छत्तीसगढ़ में पहुंचाएंगे, यही वंदे मातरम हमको ले जाने में हमारे सहायक होंगे। आप जो महत्वपूर्ण चर्चा यहां पर करा रहे हैं, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और आपने जो बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अभी अभी भी 18 सदस्य बोलने को बाकी हैं और 10-10 मिनट बोलेंगे तो कम से कम 180 मिनट लगेगा तो 10, 10:30 तक तो हम चलाने के लिए तैयार हैं, मगर आपको भी बता दूं कि 11 के पहले समेट लें, तो अच्छा है। यदि सभी वक्ता अपनी बात को 5 मिनट में करने का प्रयास करेंगे तो हम अपना काम 9:00 बजे तक, 9:30 बजे तक कर सकते हैं तो यह आपके ऊपर है कि

आप कितना देर चलाना चाहते हैं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर संक्षिप्त में अपनी भावना को रख दें, क्योंकि सबकी भावना पूरी तरीके से आ गई है, वह रिपीट हो रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भावना तो व्यक्त हो गई, इसलिए उनका नाम काट देना चाहिए। भावना तो इतने में व्यक्त हो गई।

अध्यक्ष महोदय :- 5 मिनट में बोल सकते हैं तो अच्छा रहेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी..।

अध्यक्ष महोदय :- आप तो संक्षिप्त बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- बंकिम चंद्र जी, जिस सन में भी लिखे होंगे, उसको बहुत से लोग बता डाले हैं। अब सीधा आप अभी 5-10 पांच साल पहले वाला मामला लाकर बात कर लीजिए। बंकिम चंद्र जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप लोग आधा-आधा, एक-एक घंटा कर लिये। हमारे लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक तो बोलने का अवसर कभी-कभी मिलता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- बोलिए न भैया।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि यह चर्चा पूरे देश में और इस पवित्र सदन छत्तीसगढ़ में भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष जी ने बड़ी आत्मीयता एवं सहजता के साथ इस संदर्भ में अपनी बात रखी, हम सबको सीखने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हर हिंदुस्तानियों के दिल की आवाज और एक धड़कन है। तभी तो हम आयोजन में इसे उत्साह और मन के साथ गाते हैं। सभी क्रांतिकारियों के दिल में एक ही नारा गूंजता था, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माननीय अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। इसे बंकिम चंद्र चटोपाध्याय जी ने रचा और यह गीत लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम को जन-जन तक पहुंचाया। यह हमारा गौरवशाली इतिहास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम साहस और स्वाभिमान का का शंखनाद है। यह उस प्यार का पैगाम है, जिसकी प्यास हर भारतीयों की आत्मा को है। वह क्षण भी याद करते हैं और उसे भी हमको याद करना चाहिए, उस समय को भी याद करना चाहिए। इस गीत की रचना के पीछे वह भाव क्या था? माननीय अध्यक्ष महोदय, वह घटना याद आती है जब वर्ष 1873 में एक घटना हुई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ब्रिटिश सरकार में डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे। उनकी पालकी धोखे से रास्ता भटक गई और कर्नल डफन जिस गांव में क्रिकेट खेल रहे थे, वहां से चली गई

तो उनके साथ जो अन्याय किए, उनके साथ जो अत्याचार किए, उनके साथ जो मारपीट किए, सार्वजनिक रूप से वह अपमान बंकिम चंद्र के दिल में उतर गया था। इनके खिलाफ माननीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने केस कर दिया, तब राजा जोगिन्दर राय और दुर्गा चरण जी ने उनका साथ दिया था। 12 जनवरी, 1876 को सुनवाई के बाद डफन को सबके सामने माफी मांगनी पड़ी थी। इसके बाद ब्रिटीश अधिकारियों की नाराजगी से बचने के लिए राजा जोगिन्दर राय ने बंकिमचन्द्र चटर्जी जी को अपने महल लाल गोला में आमंत्रित किया था, जहां रहते हुए राष्ट्रीय भावना से विलीन होकर उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। उस गीत को 1896 में गुरू रविन्द्र नाथ जी ने कलकत्ता के एक अधिवेशन में पहली बार गाया तो यह गीत क्रांतिकारियों का नारा बन गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के 51 साल पहले यह गीता लिखा गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इस गीत ने लोगों की आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित करने का काम किया था। इस गीत को किसी ने स्वरबद्ध करने का काम किया था तो गुरू रविन्द्र नाथ टैगोर जी ने किया था। इतिहास और सम्मान की बात आती है तो वर्ष 1905 के बंग भंग आंदोलन से लेकर 1929 के लाहौर अधिवेशन तक वंदे मातरम गीत ने देशवासियों में एकता और साहस का संचार किया था। महात्मा गांधी जी, पं. नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस जैसे नेताओं ने इसके राष्ट्रलीन भाषा को स्वीकार एवं सम्मान किया था। अगर संवैधानिक सुंतलन की बात करें तो हमारे संविधान सभा ने जन-गण-मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा देकर संतुलन स्थापित किया था। यह संतुलन भारत की बहुलता, भाषा, धर्म एवं संस्कृति का सम्मान करता है। यदि हम समावेशिता की बात करें या समावेशित भाव की बात करें तो कांग्रेस का मानना है कि राष्ट्र भक्ति की थोपे जाने से नहीं, बल्कि स्वेच्छा और सम्मान से पुष्टि होती है। वंदे मातरम गीत का आदर हम सब सकते हैं, लेकिन किसी भी नागरिक की आस्था, विश्वास या विवेक पर दबाव डालना भारतीय लोकतंत्र की भावना के विरूद्ध है। हम दुनिया भर की बातें करते हैं। विचार की बातें आती हैं, एक वर्ग की बात आती है। ऐसे वंदे मातरम गीत के प्रति अपनी भावना सब वयक्त कर रहे हैं। लेकिन कहीं भावना की बात आती है, कहीं पर अलग विचार की बात आती है। हम जिस पवित्र राष्ट्रगीत के बारे में बात करे, उसमें हमारा सम्मान कैसा होना चाहिए, यह हमें भी सोचने की जरूरत है। अगर हम संदेश की बात करें तो आज आवश्यकता है कि हम वंदे मातरम के मूल संदेश मातृ भूमि के प्रति प्रेम, त्याग और एकता को अपनाये। इसे राजनीतिक विवाद का विषय न बनाकर, राष्ट्रीय एकता का सेतु बनाये। अगर इस पवित्र सदन में चर्चा हो रही है तो राष्ट्रीय एकता की बात करें। किसी अन्यथा तुल देकर, दिग्भ्रमित कर किसी विवाद का सेतु न बनाये। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि वंदे मातरम गीत की पंक्ति का एक अंतरे के ऊपर बात कर रहे हैं, पर उस गीत के लिए करोड़ों भारतीय लोगों के दिल में जो जोश है, उस गीत ने जो उमंग व उत्साह पैदा किया है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक बने, जिसका देश की आजादी में बड़ा योगदान रहा है। अगर हम संविधान

की प्रस्ताव की बात करते हैं, उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इस देश में सबको अपनी-अपनी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, सबको अपनी भाव की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सबको अपने अनुसार रहने की सवतंत्रता है, लेकिन हम धर्म की बातें कर उलझाने और उलझने का प्रयास करते हैं। मैं तो यही कह सकता हूं कि देश में उस समय की क्या परिस्थितियां थीं, वर्तमान परिस्थितियां क्या है और परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। उस परिवर्तन में सभी ने अपना योगदान दिया है । आज भारत विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में खड़े होने का प्रयास कर रहा है तो निश्चित रूप से उन सभी के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता, जिन्होंने देश की आजादी के बाद राष्ट्र को खड़ा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है । मैं तो बस उनके लिये यही कहना चाहूँगा कि-

चीर सकती है नहीं, सरकार वन्दे मातरम
छीन सकती है नहीं, सरकार वन्दे मातरम
गरीबों के गले का हार वन्दे मातरम
स्वर चढ़ों पे सर रखकर उस समय आता जरूर
कान में पहुंची जहां झंकार वन्दे मातरम

सभापति महोदय, यह वन्दे मातरम निश्चित रूप से हर भारतीयों के दिल में एक झंकार उत्पन्न करता है । जब यह गीत चलती है तो निश्चित ही वह भाव, मन में एक सम्मान, उस गीत के प्रति होता है । मैं यही कहूँगा कि आईये, हम सब मिलकर वंदे मातरम और जन-गण-मन का सम्मान के साथ संविधान, लोकतंत्र और भाईचारे की रक्षा करें । अध्यक्ष महोदय, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दुनिया भर की बातें होती है, उन बातों में न जाकर यह कहना चाहूँगा कि-

सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं
जो तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं
जीवन में चाहे कभी भी उड़ जायें
भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं

वन्दे मातरम, जय हिन्द, जय भारत । अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह ।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की आजादी के पहले वंदे मातरम के रचयिता बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय जी को हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं कि उन्होंने अपनी रचना से देश की स्वतंत्रता के आंदोलन को इस गीत के माध्यम से जनआंदोलन का रूप दिया और देश के आजादी की ओर बढ़ने के लिये यह गीत प्रेरणा का कारण बना । मैं उनकी दो पंक्तियों को, चार पंक्तियों

को, कब लिखे, कौन से गांव में लिखे, कौन सी ट्रेन में लिखे, मैं यह नहीं बोलना चाह रहा हूँ । वह एक महान व्यक्ति बहुत अच्छी चीज लिखे, जिसने हमारे भारत को आजाद कराया। उसके कुछ पंक्तियों में जिन्ना जी का विरोध था, जिन्ना जी का विरोध इन पंक्तियों में भी था, जिन्ना जी दो राष्ट्र के सिद्धान्त का प्रतिपालन कर रहे थे और गांधी जी तथा लार्ड माऊंटबेटन के ऊपर उनहोंने बहुत दबाव डाला कि मैं अलग-अलग मुस्लिम देश और हिन्दू देश के सिद्धान्त पर चलूँगा । दबाव में आकर विभाजन स्वीकार किया गया । अगर यह विभाजन स्वीकार नहीं किया जाता, फ्रीडम एट मिडनाईट बुक में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िये । मैं इसे अभी-अभी एक सप्ताह पहले पढ़ा हूँ । उन्होंने कहा कि अगर आप विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे तो आजादी नहीं मिलेगी और आजादी नहीं मिलती तो भारत गुलाम रहता । उस वख्त की परिस्थितियों में जैसा भी माना और विभाजन हुआ । अध्यक्ष महोदय, जिन्ना को टी.बी. था । टी.बी. की उनको गंभीर बीमारी थी । यहां के किसी नेता को यह भनक नहीं लगी कि जिन्ना बीमार है, उसको टी.बी. है और साल-छैः महीने का मेहमान है । अगर यह पता चल जाता कि जिन्ना को टी.बी. है, उसका गुप्त ईलाज चल रहा है तो शायद भारत का विभाजन भी नहीं होता । लेकिन किन परिस्थितियों में वह पता नहीं चला, दबाव में नेता आ गये और भारत का विभाजन हो गया । वन्दे मातरम ने अपना काम कर दिया, देश को आजाद करा दिया । अध्यक्ष महोदय, अब मैं उतना पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा । हमारा देश भारतवर्ष बना। यहां हिन्दू बहुसंख्यक थे । मुसलमान, क्रिश्चियन अल्पसंख्यक थे । पाकिस्तान मुस्लिम बाहुल्य देश बना । वहां पर हिन्दू अल्पसंख्यक हुये । विभाजन के बाद 1947 में 23 प्रतिशत हिन्दू पाकिस्तान में थे, आज वहां पर डेढ़-दो परशेंट हिन्दू बचे हैं । यहां जितने हिन्दू थे, उससे 10 परशेंट से ज्यादा उनकी संख्या बढ़ गई । फिर भी वे भारत में असुरक्षित हैं। जब कांग्रेस के राज में वंदे मातरम के 100 साल हुए तो आपने वंदे मातरम, जो देश को आजादी दिलाने में काम दिया था, उसके सम्मान में एक कार्यक्रम नहीं किया बल्कि संविधान को नोचने, लूटने और दबोचने का काम किया और इमरजेंसी लगाकर आपने देश के बेगुनाह लोगों को बंद किया। (शेम-शेम की आवाज) ये नरेन्द्र मोदी हैं, जो भारत माता के सपूत हैं, भारत माता के मान सम्मान की रक्षा के लिए, इस देश के लिए आज वंदे मातरम क्यों जरूरी है, मैं यह बताना चाहता हूं। इस विधान सभा में वंदे मातरम की चर्चा होनी क्यों जरूरी है, क्योंकि इस प्रदेश के तीन करोड़ लोगों को उसका संदेश जाना चाहिए, मैं ये बताने के लिए खड़ा हूं। मैं इतिहास पढ़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। हमारा गौरवशाली इतिहास है, जब उस वंदे मातरम गीत के 100 साल हुए, तब आपने न बंकिम चंद्र के बारे में कुछ किया, न आपने बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा है, न उनको भारत रत्न दिया, न वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से कुछ बड़े संस्थान का काम किया, न कोई और देशभक्तों के लिए काम किया, सिर्फ कुछ लोगों के नाम से इस देश में नाम किया। ऋषि कपूर जी मर गए, उन्होंने एक दिन अपने ट्वीट में लिखा था, इस देश में दो तीन आदमी के सिवाय कोई महापुरूष नहीं है क्या

जिनके नाम से कोई संस्थान किया जाए। अध्यक्ष जी, मोदी जी ऐसे ही महापुरूषों को खोजकर देश की जनता को इनसे प्रेरणा लेने का संदेश देते हैं। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, यह संदेश इसलिए जरूरी है, इस देश की पार्लियामेंट में आपकी पार्टी के जिम्मेदार नेता फिलिस्तीन का झंडा लगा हुआ बैग टांगकर जाती है। (शेम-शेम की आवाज) इस देश में वंदे मातरम का महत्व इसलिए है, क्योंकि अफजल गुरू की मौत पर बाटला हाउस पर आंसू बहाने वालों पहलगाम के 23 लोग जिनको जात पूछकर गोली मारी गई, उसको भी जस्टीफाई करने वाले लोग इसलिए भी वंदे मातरम जरूरी है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- उसमें सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी ? आपने कभी अपनी गलती स्वीकार की है। चाहे पहलगाम की बात हो, चाहे पुलवामा की बात हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- जिम्मेदारी थी, नहीं थी, वह बाद की बात है। लेकिन अगर कोई घटना घटी है तो दो शब्द, दो आंसू.....। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- निंदा तो करते। आप एक बयान निंदा करने का बताईए। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- वहां सुरक्षा क्यों हटाई गई थी ? (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आप भारत माता की जय बोलकर निंदा करते। आप धारा 370 पर बात कर रहे थे। (व्यवधान)

श्री अनुज शर्मा :- चाहे पहलगाम में मारा जाए। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सुरक्षित जगह पहलगाम पर एक ही हमले क्यों हुए हैं। (व्यवधान) पुलवामा में कहां थे ? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- पुलवामा में इतना सारा बारूद कहां से आया ? आप लोग सो रहे थे।

श्री सुशांत शुक्ला :- यासीन मलिक की दोस्ती कौन करता था, वह भी बता दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक काम करिए, रामकुमार को पहलगाम भेजिए। (हंसी) इनको अकेले पहलगाम भेजिए, फिलिस्तीन का झंडा फहराएंगे। पहलगाम के लोग मारे गए तो दो बूंद आंसू आपकी आंख से नहीं निकली। आप इनडायरेक्टली आतंकवादियों का संरक्षण करने का बयान दे रहे थे। वे पाकिस्तान में मादर-ए-वतन बोलते हैं, हम मातृभूमि बोलते हैं। मां के चरणों में स्वर्ग होता है, ये हमारे देश का संस्कार है, संस्कृति है। आप मां की पूजा नहीं करेंगे। हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे चाहे मर जाएं, क्यों नहीं बोलोगे ?

श्री विक्रम मंडावी :- बोलेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब मैं नाम लेकर बोलूंगा तो आपको पीड़ा होगी। हिन्दुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। (मेजों की थपथपाहट) आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कभी आपने आई लव राम बोला, आई लव मोहम्मद बोलते हो और मां के चरणों में पैर पड़ने में हमारे धर्म में नहीं है बोलते हो। क्यों नहीं है ? हम अपनी मां के लिए कुर्बान होना चाहते हैं, हम अपनी मां का पैर धोकर पीना

चाहते हैं। (मेजों की थपथपाहट) आपके में क्या होता है, आप जानिए। भारत हमारी माता है, हमको पालती है, पोसती है, खिलाती है, पिलाती है, इससे पहचान है, यह हमारी राष्ट्रीयता है। इसके उपर आपके लोग, सलमान खुर्शीद बोलेगा कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, अब वह आगे बोलता है कि मैं विधान सभा में वंदे मातरम नहीं गाऊंगा।

श्री विक्रम मंडावी :- वह समाजवादी पार्टी का है।

श्री धर्मजीत सिंह :- कोई पार्टी का हो। जो भी पार्टी का हो, पहले वह हिन्दुस्तानी है और उसको भारत माता के चरणों में शीश झुकाना होगा। यदि वह शीश नहीं झुकाएगा तो वह हिन्दुस्तानी नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, एक हामिद अंसारी करके उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने 10 साल तक मजा किया। वह चाव-चाव वाली गाड़ी में आते थे, चाव-चाव वाली गाड़ी में जाते थे। वह हटे, उसी दिन उन्होंने बोला कि मुसलमान खतरे में है। क्यों खतरे में है? अगर खतरे में होता तो आप कैसे उपराष्ट्रपति बनते? आपने कैसे सत्ता का सुख भोगा? नजमा हेपतुल्ला कैसे उपसभापति बनी? इस देश में सबको बराबर का अधिकार है, लेकिन इस देश के कानून के मुताबिक, इस देश की परंपरा के मुताबिक, इस देश की व्यवस्था के मुताबिक और इस देश की श्रद्धा के मुताबिक अपनी मातृभूमि के आगे शीश झुकाने का काम करना पड़ेगा, उसकी इबादत करनी पड़ेगी और उसकी पूजा करनी पड़ेगी। (मेजों की थपथपाहट) यही बात बंकिमचंद्र जी ने बतायी है। आमीर खान का भी बयान आ गया था। सारे भारत के लोग उनकी पिक्चर को देखते हैं। वह 50 किलो का लड़का है। उसने करोड़ों रूपये कमा लिए और बोले कि खतरे में है। हमको भारत में डर लगता है। यदि हम एक दिन उनकी पिक्चर देखना बंद करेंगे तो आपको सब्जी भण्डर में भी कोई नहीं पहचानेगा कि आप आमीर खान हैं। राहत इंदौरी जी, जिनकी शेर पर हम लोग वाह-वाह करते थे। वह स्वर्गवासी हो गये। उन्होंने भी बोला कि खतरे में है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी है, जहां गंगा को मां बोलते हैं। हम उस देश के वासी हैं, जहां गाय को माता बोलते हैं। हम उस देश के वासी हैं, जहां कृष्ण के आगे राधा के नाम की पूजा करते हैं। हम उस देश के वासी हैं, जहां राम के पहले सीता का नाम लेते हैं। हम अपनी मां को कैसे याद नहीं करेंगे। इस देश में कौन होता है जो हमारी मातृभूमि की इबादत और वंदना करने से हमको रोकेगा। अध्यक्ष महोदय, रहेंगे यहां, खाएंगे यहां, मजा करेंगे यहां, परंतु जब टेस्ट मैच होता है, कोई वनडे मैच की बात कर रहा था। जब उसमें भारत के 4 विकेट गिरते हैं तो ताली ज्यादा बजती है। भारत हार जाता है तो फटाखे फूट जाते हैं। यह दोहरा मापदण्ड नहीं चलेगा। इस देश का खा रहे हैं तो इस देश का ही गाना पड़ेगा। इस देश में रह रहे हैं तो इस देश की एकता, अखण्डता की रक्षा के लिए हमको सोचना पड़ेगा। (मेजों की थपथपाहट) हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े नेताओं के यहां दिये गये बयान पाकिस्तान की टी.व्ही. की हेडलाइन में सुखियां बनती हैं। जब वह कहते हैं कि भारतवर्ष के कई फाइटर जेट गिरा

दिये गये। जब वह कहते हैं कि भारत की सेना पीछे हट गई। जब वह कहते हैं कि भारत हार गया, तब ये पाकिस्तान की सुर्खियां बनती हैं। आपके नेता उसमें गौरवान्वित हो सकते हैं, लेकिन हमको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि हमारा देश सिंदूर में जीता है। हमने पाकिस्तान को तबाह किया है। वह आगे भी हमसे लड़ेगा तो उसको तबाह कर देंगे। इसलिए यह वंदे मातरम हमको ताकत देगा और देश के लोगों में जागृति पैदा करेगा। पहलगाम में हमला होता है तो दुनिया की मीडिया बोलती है कि चरमपंथियों ने हमला किया और कल सिडनी में एक व्यक्ति ने 15-20 को भूंजा है तो आतंकवादी हमला हो गया। यह सब दोहरा मापदण्ड हमारे देश के अंदर उन ताकतों के कारण हो रहा है, जो देश की एकता व अखण्डता को कमजोर करना चाहते हैं, जो देश के मजबूत नेतृत्व को बदनाम करना चाहते हैं। जो मोदी जी के उठाये गये कड़े कदमों का साथ नहीं देते हैं। उसके कारण यह वंदे मातरम आज जरूरी है। सबको वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलना बताना पड़ेगा और हमारे उस समय के हीरो चाहे वह वल्लभ भाई पटेल जी हो, बंकिमचंद्र जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, अम्बेडकर जी हो, इन सबको हमको आगे लाना पड़ेगा। राम मंदिर बनाये हैं, उसमें गाली खाते हैं। कोई अंसारी हैं, जो अभी बंगाल, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। बाबरी आपका आदर्श हो सकता है, हमारे आदर्श नहीं हो सकते हैं। यदि हमको मुस्लिम समाज में ही आदर्श खोजना है तो अब्दुल हमीद हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का पैटर्न टैंक तोड़ा। हमारे आदर्श ए.पी.जे. अब्दुल कलाम हैं, जिन्होंने देश को एटोमिक पॉवर बनाया। बाबरी हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। लेकिन आप राजनीतिक नजरिये से देखने वाले लोग बाटला हाऊस पर रोओगे, पहलगाम हमले की निंदा नहीं करेंगे, बाबरी मस्जिद के निर्माण का समर्थन करेंगे, राम के मंदिर में नहीं जायेंगे तो ऐसे ही लोगों की सद्बुद्धि के लिए यह वन्दे मातरम गीत का 150वां वर्ष मनाकर देश की जनता को राष्ट्रप्रेम की भावना से ओत-प्रोत करना चाहते हैं क्योंकि हम श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमने रक्षा के क्षेत्र में भी इतने बड़े-बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट लगाये हैं कि पाकिस्तान जैसे पिद्दियों को दो मिनट में ठीक करेंगे। आप उनके नाम से आंसू मत बहाईये। देश की मजबूती का काम करिये और प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व को मानिये। मैंने बोला था कि इस देश में दो प्रकार से नेता होते हैं। मैंने इसी सदन में बोला था। एक जबर्दस्त नेता, वह है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और एक है जबर्दस्ती का नेता, जिसके लिये आप लोग दो-चार दिन पहले गये थे। जबर्दस्त और जबर्दस्ती में बहुत अंतर होता है। आप जबर्दस्त नेता का नेतृत्व स्वीकारें और यदि नेतृत्व नहीं भी स्वीकारना है तो उनको देश के नागरिक होने के नाते सहयोग दे और इस देश को आगे बढ़ाईये। मैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को बहुत नमन करता हूं कि उनका यह गीत 150 साल बाद भी देश की मजबूती के काम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नंबर सबसे नीचे में था। मेरा नंबर कब-है, कब है पूछते-पूछते मैं थक गया था।

लेकिन मुझे मिल गया तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सब बोलिये वन्दे मातरम, वन्दे मातरम। भारत माता की जय।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- वन्दे मातरम। मतलब होता है, हे मां तुझे प्रणाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम हमारे राष्ट्रगीत वन्दे मातरम का 150वां वर्ष पूर्ण होने पर सदन में चर्चा कर रहे हैं। मैं हमारे पूरे देशवासियों को इस पवित्र अवसर के लिए बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए हमारी मातृभूमि को दण्डवत प्रणाम करते हुए अपने थोड़े से शब्दों में भावनाएं व्यक्त करना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम यहां वन्दे मातरम के बारे में बोलने हेतु नहीं बल्कि इस चर्चा को सही दिशा देने हेतु खड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन्दे मातरम गीत हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा रहा है। हमारे देश की मिट्टी की महक, हमारे वीरों की प्रतिज्ञा, हमारी संस्कृति की पहचान है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वन्दे मातरम केवल एक गीत नहीं है, यह हमारी आस्था, हमारी एकता और हमारी आजादी की कहानी है। आज यह चर्चा जिस तरीके से सदन में हो रही है, वह चिंता का विषय है। यह चर्चा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास बन चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और आम जनता की चिंता से दूर इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यहां स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम वन्दे मातरम से कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम इसे हमेशा राष्ट्रीय भावना के प्रतीक के रूप में मानेंगे। अध्यक्ष महोदय, वन्दे मातरम भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वन्दे मातरम देशभक्ती और राष्ट्रप्रेम और प्रेरणा का प्रमुख नारा बन गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वन्दे मातरम गीत को सीने से लगाकर हर भारतीय इसे गाता है तो फिर इस चर्चा को राजनीति का शिकार क्यों बनाया जा रहा है ? अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने पहले ही कहा है कि वन्दे मातरम चर्चा का विषय नहीं, यह हम सब की भावना का विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह सदन राष्ट्र की भावना का सम्मान करते हुए जनता के वास्तविक मुद्दों पर चर्चा को प्राथमिकता दें, यही देश के प्रति सच्ची भावना और सच्ची देशसेवा रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, इसे हमें हृदय की गहराईयों से आत्मसात करते हुए जिया जाना चाहिए न कि राजनीतिक श्रेय के पीछे ले जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूं। वन्दे मातरम। भारत माता की जय।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज 1937 के बाद 4 छंदों को जब कांग्रेस के अधिवेशन ने हटा दिया तो यह विषय प्रासंगिक हो जाता है कि यह चर्चा क्यों हो रही है। यहां विपक्ष के साथी भी बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज से 50 वर्ष पूर्व जिस विचारधारा के दल के साथ हम काम कर रहे हैं, तब इस विचारधारा का नवीन गठन नहीं हुआ था। हमारे दल का गठन 1980 में हुआ। उससे पहले हमारे बिचार परिवार के लोग अन्य काम करते थे। जब 100 वर्ष वंदे मातरम का

गायन हुआ तो बहुसंख्यक समाज को धत्ता बताते हुए अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए इन्होंने छंदो को हटा दिया और बहुसंख्यक समाज को सिर्फ इसलिए किनारे किया कि वोट बैंक की राजनीति स्थापित हो सके। तब मन में ये विषय उठता है कि क्या एकवंशी परिवार ने ही देश के लिये शहादत दी है? तब ये प्रश्न उठता है कि क्या कुछ लोगों ने ही देश के लिये शहादत दी है? वंदे मातरम शब्द का जो उच्चारण है, वंदे मातरम गीत का जो लेखन है, वह भले 1875 में हुआ हो, परंतु छत्तीसगढ़ के 7 मां को नमन करने की पद्धति या वो व्यवस्था पुरातन काल से चल रही है। जब मैं भगवान बिरसा मुंडा की बात करूं, 25 वर्ष की उम्र में उलगुलान जैसे आंदोलन खड़ा करने की और उनकी शहादत से निकला अगर कोई शब्द हो सकता है तो वह शब्द वंदे मातरम है। जब मैं शहीद वीर नारायण सिंह की बात करूं जो 1857 की क्रांति के पहले सोनाखान क्रांति खड़ा करते हैं और वह अकाल के समय गरीबों के अनाज लूटने वालों के खिलाफ जब उन्होंने विद्रोह खड़ा किया, अंग्रेजों ने उनको फांसी दी, तब उनकी शहादत से निकला हुआ शब्द वंदे मातरम है। जब मैं शहीद गुंडाधुर का स्मरण करता हूं, उन्होंने 1910 में बस्तर विद्रोह का नेतृत्व किया। आदिवासी जनजातीय वनवासी समाज के द्वारा जमीन, जंगल और सम्मान की रक्षा के लिये अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती दी, जंगलों में रहकर आजादी की लौ जलाते रहे। उनके पूरे जीवन से अगर कोई शब्द निकलता है तो वह शब्द वंदे मातरम है। रानी दुर्गावती आज भी प्रासंगिक हैं। आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वीरता का वह नाम जिसने साबित किया कि भारत की बेटियां सिर्फ घर चलाना नहीं, तलवार चलाना भी जानती हैं और स्वाभिमान के लिये प्राण देना भी जानती हैं और उन्होंने मुगलों से युद्ध करते हुए पराजय प्राप्त की थी और उनकी वीरगति से जो शब्द निकलता है, वह शब्द वंदे मातरम है। जब मैं ध्यान देता हूं छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम को जन-जन तक पहुंचाने वाले ठाकुर गेंदलाल जी का, जब मैं ध्यान देता हूं छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने वाले हनुमान सिंह जी जैसे सेनानियों का जिन्होंने बिना पद, बगैर प्रसिद्धि की लालसा के मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व दिया, अपना धर्म बनाया। तो उनके जीवन की प्रतिबद्धता के साथ अगर कोई शब्द निकलता है तो वह शब्द वंदे मातरम है। देश भक्ति की इस धारा को पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने भी गति दी थी। शक्ति दी थी, उन्होंने खादी, हिन्दी, सामाजिक समानता के लिये स्वराज की चेतना को मजबूत किया। उनके संपूर्ण जीवन से अगर कोई शब्द उद्धेलित होता है तो वह शब्द वंदे मातरम है। इसी क्रम में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को आज भी प्रासंगिक रखना चाहिए जिनको छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता था। असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सशक्त स्तम्भ बने। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजों की नींव हिला दी। उनके संपूर्ण जीवन से अगर कोई शब्द निकलता है तो वह वंदे मातरम है। इस बीच में पंडित रविशंकर शुक्ल जी को भी याद करना चाहिए। तत्कालीन सी.पी.एन बरार हो, उत्कल प्रांत हो या मध्यप्रदेश और आज का वर्तमान छत्तीसगढ़ हो, अगर राजनीतिक सुचिता का ध्वज लहराता हुआ भारत के गणतंत्र में कहीं स्थापित हुआ है तो उसमें रविशंकर

शुक्ल जैसे लोगों का भी बहुत योगदान है और उनके संपूर्ण जीवन से कोई शब्द निकलता है तो वह शब्द वंदे मातरम है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में लक्ष्मण सिंह उइके जी, मिनीमाता जी, जंगलीदाई जैसे सेनानियों को भी आज याद करने की आवश्यकता है जिनके संपूर्ण जीवन की व्याख्या के साथ अगर कोई शब्द निकलता है, जिन्होंने नारी शक्ति के आंदोलन को एक गति दी तो वह शब्द वंदे मातरम है। अंत में बाबा गुरू घासीदास जैसे महान संतों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने मनखे-मनखे एक समान का नारा देकर उस दौर में समानता की अलख जगाई जब देश एक विकृति की राह पर चल रहा था और उन्होंने उस गति के माध्यम से आजादी के आंदोलन को सहयोग किया। तब राष्ट्र की आत्मा मजबूत हुई और तब शब्द वंदे मातरम निकलता है। इन सभी महान आत्माओं ने हमें सिर्फ आजादी नहीं दी, उन्होंने अपने कर्तव्य, साहस और स्वाभिमान को भी याद दिलाया जिसकी उस दौर में आवश्यकता थी। आज हम आजाद हैं, हवा में सांस ले रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त एकजुट होकर सशक्त समाज बनायें। तब मन में एक आवाज गूंजती है, वह आवाज क्या है कि जन-जन का, कंठ का हो गान वंदे मातरम्, थर-थर कांपे सुनकर नाद वंदे मातरम् और वीर पुत्रों की अमर ललकार वंदे मातरम् और राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम्, राष्ट्र की यह प्रेरणा का गान वंदे मातरम् और जब शत्रु पक्ष थर-थर कांपता है तो आज अगर सदन में समाज की बहुत सारी चिंता हो रही थी तो मैं आज आपके माध्यम से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह देश अगर सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्थाओं से परे हो जाए तो यहां की 66 प्रतिशत जनसंख्या युवा है और किसी सेना को देश के हित में युद्ध लड़ने की आवाज अगर उसके गीत से मिलती है तो वह गीत वन्दे मातरम् है और वन्दे मातरम् सिर्फ हमारा प्राण नहीं, हमारे मन की झंकार नहीं, हमारे जीवन का विश्वास नहीं, हम सबको जीवन की प्रेरणा देती है कि जिस देश का खाते हैं उस देश का हम गाएंगे, यही प्रतिबद्धता जीवन के साथ हमें आगे ले जाएगी । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः एक-बार आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वन्दे मातरम् जैसे प्रासंगिक विषय पर आपने आज चर्चा आयोजित की । जय हिन्द, जय भारत माता, जय छत्तीसगढ़ । वंदे मातरम् ।

सभापति महोदय :- श्रीमती कविता प्राणलहरे ।

श्रीमती कविता प्राणलहरे :- (अनुपस्थित)

सभापति महोदय :- श्री रामकुमार यादव ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । आज वंदे मातरम के डेढ़ सौ वर्ष होने पर आज यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र भाव से यहां पर चर्चा के लिये आप रखे हओ ऐखर लिये बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं अपन बात शुरू करे के पहिली बंकिमचंद्र चटर्जी ला श्रद्धासुमन अर्पित करत हंओं । जो पवित्र भाव से ए देश ला जोड़े बर, ओ समय

अंग्रेज मन के इंहां जो राज रहिस हे, ओ कइसे में भागए । ए सब ला, ए देश ला जगाए के लिये, ये अतके सुंदर पवित्र गीत ला लिखे रहिस हावय ।

माननीय सभापति महोदय, यह भारत के ताकत हे अनेकता में एकता । आज अगर हम भारत ला देखथन ता चाहे उत्तर से दक्षिण हो, चाहे पूर्व से पश्चिम हो । सब आंकड़ा ला हा तो हमर महाज्ञानी जी हा, पूर्व वक्ता मन बोल चुके हैं । मैं कुछ व्यावहारिक बात करके अपन बात ला समाप्त करिहंओं । चूंकि आप मन बोल भी चुके हओ कि बहुत समय हो चुके हे । हमर नेता जी भी पूरा सार बात ला बोल चुके हे । यह देश के बात करथन, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तो हम जो हे खाना-पीना में, बोली-वचन में सब में भिन्नता हे । जइसे आप उत्तरप्रदेश जइहा, आप राजस्थान जाहा तो वहां के बोली-वचन, वहां के जो मनुष्य होथे ओ मन बड़े-बड़े, लंबा-चौड़ा होथे । हमर ऐती बिहार, छत्तीसगढ़ मा देखिहा ता छोटे-छोटे होथन । बोलचाल मा देखिहा तो उत्तर प्रदेश अलग बोलत हे, छत्तीसगढ़ अलग बोलत हे, विभिन्न प्रकार के बोली-वचन लेकिन जब इस देश में वंदे मातरम् के गीत बजथे अऊ कान में जब सुनथन अऊ राष्ट्रगान- "जन गण मन" ला जब हम सुनथन तो ये देश में रहने वाला, चाहे कोई बोली-वचन बोलने वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, बड़ा सम्मान के साथ मा खड़ा हो जथे लेकिन आज बनाने वाला बहुत पवित्र भाव से बनाये हे, मैं फिर से प्रणाम करत हंओं लेकिन कुछ व्यक्ति, कुछ संगठन ये समझथे कि ऐखरे आय में अपन नईया पार कर लेबो लेकिन भारत के जनता सब समझथे । आप जो हे राष्ट्र भक्त के दुहाई देकर के जंगल ला बेचकर के, ट्रेन ला बेचकर के, तुमन कोयला ला बेचकर के अउ नीरव मोदी, बड़े-बड़े डकैत मन ला विदेश भगवा करके तुमन राष्ट्रभक्त बन जबो कइहा ता ये देश हा देखत हे । ये देश देखत हे, ओखर खातिर मैं कहना चाहत हंओं कि ओ देश के उस महान सपूत, चाहे खुदीराम बोस हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, शहीद भगत सिंह जी हो । परमपूज्य गुरू घासीदास बाबा जी, शहीद गेंद लाल जी, वीरनारायण सिंह जी ये सब मन के आत्मा देखत हे । ठीक हे, आप मन जो हे सत्ता में आये हओ, आप कुछु ला बेच सकत हौ। ये देश ला आजाद करईया मन, आप मन ला ट्रेन ला बेचे बर, एयरपोर्ट ला बेचे बर या कुछ पूंजीपति मन ला अउ आगे बढ़ाये के लिए आप ला ए भावना से देश ला नइ दे हावए। आज मैं ये अवसर पर ए भी कहिहौं कि यदि छत्तीसगढ़ के बात किया जाये, छत्तीसगढ़ मा देखव कि इहां तो ओसने एक कहावत हे। "कोस-कोस में पानी बदले अउ 15 कोस में बानी" सबसे ज्यादा अगर ए प्रदेश में कोई बोले जाथे, मय ज्यादा पढ़े-लिखे नइ हौं लेकिन मोला अइसे लागथे कि छत्तीसगढ़ में बोले जाथे। सरगुजा में जहौ तो कई ठन बोली हे। बस्तर में जहौ तो ए मेर ले ओ मेर तो अलग बोली हे। लेकिन आज जब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी के गीत बजथे तो हम सब एक हो जथन। ए भाव हम सब ला प्रेरित करथे। अउ ओमा में फिर से कहिहौं सत्ता आवत रहिथे अउ जावत रहिथे कभी कोई व्यक्ति ला कुर्सी के घमण्ड नहीं करना चाहिए। जईसे हम मन डेढ़ सौ- दो सौ साल के इतिहास ला गोठियत हन। अगर आज हमन गलत बोलके जाबो, गलत करके

जाबो तो आने वाला पीढ़ी हम सब ला याद करहि, एखर खातिर मैं आपसे पुन: निवेदन करिहौं आप ला सत्ता मिले हे तो सब ला लेकर चलौ, सब ला संभाल के चलौ। हमला जोड़े बर बने हे, तोड़े बर नहीं बनए हावए। आप मोला अतके बड़े वन्दे मातरम् जइसे महान जो गीत लिखे गे हे जेला सदियों तक जब तक धरती, चन्दा, सूरज रही तब तक याद किये जाही। अइसे लिये आप मोला दो शब्द यहां पर बोले के मौका दे हौ। मैं मोर सदन के नेता ला भी प्रणाम करत हौं। जे हमेशा हर चर्चा में मोला किसी न किसी रूप से जोड़ देथे। ओ ए सोचथे कि ए छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर के गरीब, विधायक बने हे तो ओखरो बात समा जाये। इहां हमर राजा-महाराजा मन भी बोलत हे। ता ए गरीब ला भी बोले के मौका मिले। माननीय सभापति महोदय, आप मोला बोले के मौका देव, एखर लिये बहुत-बहुत धन्यवाद्। वन्दे मातरम्, जय हिन्द जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

श्रीमती गोमती साय (पत्थलगांव) :- माननीय सभापति महोदय जी, आपको धन्यवाद्।

सभापति महोदय, आज हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज वन्दे मातरम् के विषय में बोलने का अवसर मिला है। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद् देती हूँ। यह सदन हमेशा इतिहास में याद रखेगा कि इस छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदन में कभी किसी जमाने में वन्दे मातरम् की भी चर्चा हुई थी। इसके लिए मैं आपने आपको बहुत गौरवशाली महसूस करूंगी। महोदय जी, आज इस सदन में वन्दे मातरम् जैसे राष्ट्र चेतना से ओत-प्रोत गीत के 150 वीं वर्ष पर अपनी बात कहने का अवसर मिला है। यह मेरे लिए अत्यन्त गौरव का समय है। यह विषय तब उठता है जब वन्दे मातरम् का गीत पूरी राष्ट्र चेतना के लिए जारी किया जाता है और किसी राजनीतिक दबाव से या किसी कौम के दबाव में आकर केवल दो छन्दों को लिया जाता है बाकी इसके 4 छन्दों को काटा जाता है, इस विषय में सवाल उठता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं भी राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत हूँ इसलिए मैं यह जान सकती हूँ कि इस गीत में भारत माता, धरती माता का जो स्वरूप है, एक मां के स्वरूप में गाथा जो गायी जाती है उसी स्वरूप में बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय जी ने इस गीत को लिखा था, बनाया था, लेकिन आज इस सदन के माध्यम से बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय जी को बहुत नमन करती हूँ। सभापति महोदय, इस गीत में किसी भी प्रकार का कोई गुण-दोष नहीं था। इसके छ: छन्दों को साथ में लेना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय नहीं लिया गया। यह भारतवासियों के लिए दुर्भाग्य का विषय था। यह गीत हमारे राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब यह गीत गुंजता था तब अंग्रेजी सत्ता की नींव हिल जाया करती थी। वन्दे मातरम् केवल हमारे अतीत की विरासत नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान, भविष्य की दिशा भी है। यह हमें याद दिलाता है कि देश सर्वोपरि है और राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं है। हमारा देश विविधताओं से भरा है, भाषा, वेशभूषा, धर्म, संस्कृति भले ही अलग है, लेकिन हमारी मातृभूमि एक है । यही एकता हमारी बड़ी ताकत है । छत्तीसगढ़ विधान सभा जैसे इस लोकतंत्र

के पवित्र मंदिर में भी वंदे मातरम् की चर्चा हो रही है। आज यशस्वी नरेन्द्र मोदी जी नेतृत्व में पूरा देश राष्ट्रगान की 150 जयंती मना रही है । आने वाली पीढ़ियों को हमें बताने की आवश्यकता है कि जिस तरह से वंदे मातरम् कहते ही हमारे दिल, दिमाग में एक स्वर उठती है, राष्ट्रभक्ति की चेतना जागती है, यह हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह इसको निभाएं । इसीलिए आज इसको मेरे कांग्रेस के साथीगण कभी-कभी बोलते हैं, मैं लोकसभा में भी सुनती थी कि इतिहास की कभी बात नहीं करनी चाहिए । लेकिन इतिहास को याद नहीं करेंगे तो इतिहास हमेशा दोहराता है इसलिए इतिहास को हमेशा याद रखकर उससे प्रेरणा लेकर हमें आगे काम करने की आवश्यकता है ।

सभापति महोदय, समय की भी एक मर्यादा है, मैं सदन का बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन आज जिस तरह से विपक्ष के साथियों को भी स्वीकार करना चाहिए कि सम्पूर्ण वंदे मातरम् का गीत सभी छंदों को, सबको एक साथ एक स्वर में गाना चाहिए, यह प्रेरणा हम सबको लेनी चाहिए और सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए । इसमें कोई बाधा या विवाद करना ही नहीं चाहिए और सब मिलकर सभी छंदों को शामिल करना चाहिए और सभी छंदों को एक साथ मिलकर गाना चाहिए । हर शुभ कार्य में हम लोगों को इस गीत को गाना चाहिए । भारतवासी होने के नाते मैंने 5वीं क्लास में कभी बैरागी जी की कविता पढ़ी थी-

आशीषों का आँचल भरकर, प्यारे बच्चों लाई हूँ।
युग जननी मैं भारत माता, द्वार तुम्हारे आई हूँ।
तुम ही मेरे भावी रक्षक, तुम ही मेरी आशा हो।
तुम ही मेरे भाग्यविधाता, तुम ही प्राण पिपासा हो।

भारत माता का भी यही आह्वान है कि भारत माता की रक्षा के लिए सभी को इस पंक्ति को एक साथ गाना चाहिए, सभी छंदों को एक साथ गाना चाहिए । हमारे साथी सहज रूप से इस गीत को स्वीकार करें और सभी भारतवासी मिलकर वंदे मातरम् का गीत एक साथ गाएं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती भावना बोहरा (पण्डरिया) :- धन्यवाद सभापति जी । सभापति जी, इस चर्चा में शामिल होना और विषय पर अपनी बात रखना तथा जितने भी सदस्यों ने अपनी बात रखी, यह हम सबके लिए गर्व की बात है । यह विशेष तब हो जाता है, जब हमारी नई विधान सभा भवन है और लगभग 60 प्रतिशत नये सदस्य चुनकर आए हैं । इतने महत्वपूर्ण विषयों पर जब चर्चा हो रही है तो हम खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं । यह वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है और हमने हमारे संविधान का 75 गौरवशाली वर्ष पूर्ण कर लिया है । हम सरदार वल्लभभाई पटेल जी 150 जयंती हम मना रहे हैं और भगवान बिरसा मुंडा की 150 जयंती मना रहे हैं, हम गुरू तेग बहादुर जी की 350वां बलिदान दिवस मना रहे हैं और वंदे मातरम् गीत को भी 150 वर्ष पूर्ण हो गए हैं । सभापति जी, अब इसे सुखद संयोग कहें, मैं पार्टी के विषय पर नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर अपना मार्ग

और अपना माध्यम खुद तय करते हैं । चाहे हम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की बात करें, चाहे वंदे मातरम् पर 150 वर्ष पूर्ण होने की बात करें, शायद यह सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के किस्मत में था, हमारे नरेन्द्र मोदी जी का व्यक्तित्व है, जो हमें मिला, शायद उनकी दूरदर्शिता और उनके ठोस निर्णय की क्षमता के ऊपर था कि हमें यह सौभाग्य मिला है कि हम सारे विषयों को आज सबके सामने ला रहे हैं । अमृतकाल का महोत्सव चल रहा है और इस सुखद अवसर पर न सिर्फ लोकसभा, बल्कि विधान सभा में भी इस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा में हम सब शामिल हुए हैं। लगभग सभी वरिष्ठ और नये सदस्यों ने अपना विषय रखा और इतिहास के बारे में सारे विषय पर इतनी जानकारी हमें हो गई कि अगर हम गूगल से भी सर्च करते तो जितनी जानकारी आज हमें यहां मिली तो शायद गूगल से भी उतनी जानकारी नहीं मिल पाती । माननीय सदस्यों ने अपने तरीके से जो इतिहास रखा है, उसके लिए मैं सबका बहुत अभिनंदन करती हूं । मैं विशेष रूप से एक चीज का जिक्र जरूरी करना चाहूंगी कि हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरण दास महंत जी यहां बैठे हैं, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करूंगी कि जब चर्चा की शुरूआत हुई है, दोपहर के लगभग 2 से 3 बजे चर्चा की शुरूआत हुई है, दोपहर के लगभग 2 से 3 बजे के बीच चर्चा की शुरूआत हुई और अभी रात के 7.00 बजे गये हैं। इतने वरिष्ठ नेता, चर्चा में भाग लेकर सारे सदस्यों को सुन रहे हैं, निश्चित ही आप बहुत अभिनन्दन के पात्र हैं। क्योंकि आप हमारे सामने रहते हैं तो हमारा कहीं न कहीं विश्वास बढ़ता है। हमें सुनने के लिए विपक्ष बैठा और जब नेता प्रतिपक्ष जी बैठे हैं तो हम मानकर चलते हैं कि सारा विपक्ष यहां मौजूद है। सभी ने अपने -अपने विषय रखे हैं। कुछ बात है, जिनकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। अभी अन्य सदस्यों ने भी कहा कि जब भी हम राष्ट्रगीत सुनते हैं या राष्ट्रगान सुनते हैं तो हमारे रोम खड़े हो जाते हैं, हमारे रौंगटे खड़े हो जाते हैं। निश्चित रूप से हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागृत होती है। लेकिन कहीं न कहीं मन में विचार भी आता है कि क्या किसी समाज को या किसी व्यक्ति को खुश करना इतना जरूरी है, जिसके लिए हमारे देश के मूल्यों से समझौता किया जाये। सभापति महोदय, मैं फिर कहूंगी कि मैं इतिहास में नहीं जाना चाहती। लेकिन कुछ विषय हैं, जिनकी चर्चा जरूरी है और उसकी चर्चा बिलकुल होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अंग्रेजों को भय था कि शायद "वंदे मातरम्" गीत से राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना जागृत होगी। यह क्रान्तिकारी गीत है और जब उनके बीच यह बात आई, मैं उन्हीं के शब्दों में कहना चाहूंगी a nation weaken consciousness towords mother land, it can no longer be heal in the chain of the colonialism for long मतलब इसका अर्थ है कि जब राष्ट्र की चेतना मातृभूमि के प्रति जागृत हो जाती है, उसे उपनिवेशवाद की जंजीरों में अधिक समय तक बांधकर नहीं रखा जा सकता है। लेकिन सभापति महोदय, वह अंग्रेज थे, वह हम पर शासन चलाना चाहते थे। लेकिन जब भारत स्वतन्त्र हुआ, उस समय ऐसी क्या मजबूरी थी कि देश को किसी को खुश करने के लिए इसके 6 छंदो में 4 छंदों को काट दिया गया। जब हम मातृभूमि की बात करते हैं तो कहीं

न कहीं जन-गण-मन गाते हैं तो उसमें गंगा, जमुना का जिक्र है, जिसे हम पवित्र नदी, मां के रूप में पूजते हैं। जब हम अपने तिरंगे की बात करते हैं तो उसमें जो केसरिया रंग होता है, वह कहीं न कहीं त्याग और वैराग्य का प्रतीक है, जिसे हम पूजते हैं। जब हम संविधान की बात करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे संविधान में राम और कृष्ण जी का भी चित्र है। कहीं न कहीं वह भी हमारे अराध्य हैं। फिर ऐसी क्या ऐसी मजबूरी थी, जो व्यक्ति विशेष को या किसी विशेष समाज को खुश करने के लिए 4 छंद हटाये गये।

सभापति महोदय, हमारे बहुत सारे सदस्यों ने अपना विषय रखा। मैं कुछ बातें जरूर सदन के सामने रखना चाहूंगी। मेरी जो सोच है, हो सकता कि बाकी लोग मुझसे सहमत ना हों। लेकिन चूंकि मैं सदस्य के रूप में अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूं तो जरूर इस विषय पर चर्चा करूंगी। अभी सदस्यों ने कहा कि हिन्दू मुस्लिम सिख्ख इसाई, आपस में हम सब भाई-भाई, हमें इस बात से बिलकुल आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति तब होती है जब अफजल को फांसी दी जाती है तो उसकी मौत में लोग दु:खी होते हैं तो वह हमारे देश के नागरिक कैसे हो सकते हैं ? वह भारत माता के लाल कैसे हो सकते हैं ? भारत माता के लाल वह हैं, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, जो उनके सामने सिर झुकाते हैं, वह भारत मां के लाल हैं। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम हमारे आदर्श हैं न कि अफजल। जब अफजल को फांसी होती है, उनके पक्ष के लोग बोलते हैं, वह हमारे आदर्श कभी नहीं हो सकते हैं।

सभापति महोदय, इसके पहले एक विषय आया था। मुझे लगता है कि करीब 4 से 5 साल पहले टी.व्ही. में एड आया था, जिसमें कहा था कि बाबर का बेटा हूमायु, हमायु का बेटा अकबर। हम आने वाले समय में अपने बच्चों को क्या संस्कार देना चाह रहे हैं ? क्या इस गाने पर किसी ने आपत्ति उठाया ? ठीक है, आप किसी व्यक्ति विशेष या समाज के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो हमारा यह कर्तव्य नहीं बनता, जब ताजमहल को खूबसूरत बताते हैं तो क्या हम राम मन्दिर को सबसे खूबसूरत नहीं बता सकते ? जब हम ताजमहल की खूबसूरती बताते हैं तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जिन्हें हम भाई-भाई कहते हैं वह भी प्रभु श्रीराम के मन्दिर आये। जब हम अनेक जगहों पर जाते हैं, इफ्तार पार्टी करते हैं तो क्या उन भाईयों से उम्मीद नहीं करते कि वह भी हमारे नवरात्र के त्यौहार में, दीवाली के त्यौहार में शामिल हों। सिर्फ हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई कहने से नहीं होता, उसको चरितार्थ करना पड़ता है। निश्चित ही आज एक नये युग में प्रवेश कर रहे हैं। इस नये युग में प्रवेश करने के बाद हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम जहां भी राष्ट्रगीत होगा, वंदे मातरम के छहो छंद गाये जायेंगे। हमें लगता है कि हम सबके लिए चाहे कोई भी पार्टी हो, हम सबने इस विषय में चर्चा रखी है, यह सबके लिए सम्मान और गर्व की बात है कि आज हम इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। सभी सदस्यों ने अपने विषय रखें हैं लेकिन सबकी भावना यही थी कि सब वंदे मातरम्, भारतमाता की जय और छत्तीसगढ़ महतारी की जयकारे से यह सदन से गूंजा है। सभापति महोदय, इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे बोलने का समय

दिया है, मैं आपका बहुत अभिनन्दन और धन्यवाद करते हुए यह उम्मीद करूंगी कि "वंदे मातरम्" स्वर के साथ अपना उद्बोधन समाप्त करेंगें, पूरा करेंगे। बोलिये- वंदे

(सदन के सदस्यों द्वारा मातरम् बोला गया)

श्रीमती भावना बोहरा :- वंदे

(सदन के सदस्यों द्वारा मातरम् बोला गया)

सभापति महोदय :- श्री अनुज शर्मा जी।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति जी, अंतिम वक्ता के रूप में बोल रहा हूं फिर माननीय मंत्री जी बोलेंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि मेरी सारी रचनाएं गंगा में बह जाएं, पर यह गीत अनंत काल तक जीवित रहना चाहिए और आज छत्तीसगढ़ के इस पवित्र सदन में यह बात चरितार्थ हो रही है। आज यह सदन किसी साधारण गीत की वर्षगांठ नहीं मना रहा है, आज हम उस मंत्र के 150 वर्ष मना रहे हैं, जिसने गुलामी में जकड़े भारत को आत्मसम्मान दिया, जिसने संविधान को चेतना दी और जो आज भी विकसित भारत 2047 के हमारे संकल्प का पाथे बना है। आज 150 वर्षों की इस यात्रा के संयोगों को नहीं, बल्कि यह संघर्षपूर्ण इतिहास की सजीव व्याख्या है। जब वंदे मातरम के 50 वर्ष पूरे हुए तो यह देश अंग्रेजों के अधिकार में था। हम पराधीन थे। जब वंदे मातरम के 100 साल हुए तो संविधान जंजीरों से जकड़ा हुआ था, आपातकाल था, लेकिन यह अवसर मिला है जब हम 150 साल पूरे होने पर उस महान अध्याय को और खोए हुए गौरव को पुनः स्थापित करने का काम कर रहे हैं और इस अवसर को न यह सदन खो सकता था, न यह राष्ट्र खो सकता था, यह आज का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। माननीय सभापति महोदय, हम सब वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका मूल भाव क्या है? उसका मतलब क्या है? मैं आप सभी से इस बात को बांटना चाहता हूं। वंदे मातरम - मैं मातृभूमि को नमन करता हूं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम - जो जल से परिपूर्ण फल-फूल से समृद्ध और मलय पवन से शीतल है, शस्य श्यामलम मातरम- जो हरे भरे खेतों से शोभायमान माता है, वंदे मातरम - मैं उस मातृभूमि को नमन करता हूं, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी - जिसकी रातें उज्जवल चांदनी से आनंदित हैं, फुल कुसुमित द्रुम दल शोभिनी - जो खिले हुए फूलों और पत्तों से सुशोभित वृक्षों से सजी है, सुहासनी सुमधुर भाषिणी - जो सदा मुस्कुराने वाली है और मधुर वाणी वाली है, सुखदाम वरदाम मातरम - जो सुख और वर प्रदान करने वाली माता है, कोटि-कोटि कंठ कल-कल निनाद कराले - जिसके करोड़ों कंठों में प्रचंड गर्जना निकलती है, कोटि-कोटि भुजा धर खर कर वाले - जिसकी करोड़ों भुजाओं में शस्त्रों की शक्ति है, के बोले मां तुम अवले - हे माता तुम कैसे दुर्बल हो सकती हो? बहुबल धारिणी नमामि तारिणीं - मैं उस महान शक्ति वाली और उद्धार करने वाली माता को नमन करता हूं। रिपु दल वारिणी मातरम - जो शत्रुओं का विनाश करने वाली है। तुमि विद्या तुमि धर्मा, तुमि हृदय तुमि मर्म - तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही हृदय और उसका रहस्य हो, त्वं

ही प्राणा शरीरे - तुम ही शरीर के प्राण हो, बाहुते तुमि मां शक्ति - तुम ही भुजाओं में शक्ति हो, हृदय तुमि मां भक्ति - तुम ही हृदय में भक्ति हो, त्वमेव हि प्रतिमा गडि मन्दिरे-मन्दिरे -तुम्हारी ही प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित है, त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी- तुम ही दश शस्त्र धारण करने वाली दुर्गा हो, कमला कमलदलविहारिणी - तुम ही कमल पर विराजमान लक्ष्मी हो। वाणी विद्यादायनी नमामि त्वां - तुम ही विद्या देने वाली सरस्वती हो। मैं तुम्हें नमन करता हूं। नमामि त्वां, नमामि कमलां, अमलां अतुलां - मैं उस पवित्र निष्कलंक और अनुपम माता को नमन करता हूं । सुजलाम सुफलाम मातरम - जो जल और फल-फूल से परिपूर्ण है। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां - जो हरियाली से भरी सरल सदा मुस्कुराने वाली और सुशोभित है। धरणीं भरणीं मातरम् - जो धरती को धारण करने वाली और सबका पालन करने वाली माता है।

समय :

7.14 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम। मैं उस मातृभूमि को नमन करता हूं। यह मूल भाव है। हम लोग धरती माता इसलिए कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ब्रिटिश शासन काल को इससे डर लगता था तो कहते थे कि सबसे खतरनाक राष्ट्रवादी प्रतीक है और विडंबना यह है कि वर्ष 1885 से 1905 तक कांग्रेस के पास न कोई अपना राष्ट्रीय गीत था न कोई ध्वज। उस शून्यता को पूरा करने का काम वंदे मातरम ने किया था। इसके लिए हमारे शहीदों ने देश की आजादी के लिए वंदे मातरम कहते-कहते फांसी के फंदे को गले लगाया था । बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ और इसके विषय में जो मूल कारण था, वह वंदे मातरम् को बांटने का व उसको बाधित करने का था। उसी को लेकर आज वर्ष 2025 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे विनाशकारी सोच की शुरूआत कहा था और यही काम बाद में वंदे मातरम् गीत के साथ कुत्सित प्रयास किया गया कि वंदे मातरम् को बांटा जाये, उसके छंदों को गाने से रोका जाये। भारत माता के लिए भारतियों के हृदय में जो भाव है, उसे रोका जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेहरू जी ने एक समय पर वंदे मातरम् के विरूद्ध में कई तर्क दिये थे। उनके द्वारा यहां तक कहा गया कि इसे आर्केस्ट्रा पर आसानी से नहीं बजाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्र आर्केस्ट्रा से नहीं, बल्कि भाव से चलता है। ऐसे कई उद्धरण हैं, जिस पर आज हम यहां बात कर सकते हैं। यह गीत हमें आत्मसम्मान सीखाता है, कर्तव्य याद दिलाता है और भविष्य के लिए संकल्प देता है। वंदे मातरम् केवल शब्द नहीं, बल्कि यह स्वतंत्रता का मंत्र है, यह त्याग का मंत्र है और यह राष्ट्र निर्माण का मंत्र है। आईये, 150 वर्षों की इस यात्रा में हम एक स्वर से कहें, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्। (सभी सदस्यों के द्वारा वंदे मातरम् बोला गया) अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत आभार।

अध्यक्ष महोदय :- रायमुनी जी, आप एक मिनट बोल लीजिये। आप बच गये हैं।

श्रीमती रायमुनी भगत (जशपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। आज इस पवित्र सदन में मैं देश में शहीद हुए सभी वीर शहीदों को एवं बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को शुरू करती हूं। जिस प्रकार बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम् गीत रचा था। इतिहास की बहुत सारी बातें हो गईं। पुर्तगाली नाविक वास्कोडिगामा के भारत आने के बाद से जिस प्रकार भारत अंग्रेजों की गुलाम हुई। सभी ने कहा कि इतिहास को जानना चाहिए। आजादी एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल तक की बात हुई। मैं जिस जशपुर क्षेत्र में रहती हूं। जशपुर क्षेत्र से सटा हुआ झारखण्ड के भगवान बिरसा मुंडा जी की बात हुई। मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करती हूं। उन्हीं के साथ झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के कुछ वीर शहीद हैं, जिनका शहीदों के नाम में दर्ज नहीं हुआ है। जैसे वीर बुधु भगत, जतरा टाना भगत, हलधर और गिरधर, वीर बख्तर साय जैसे अनेक वीर शहीद जो आजादी के लिए अपनी प्राणों की बलिदान दी। ऐसे कई वीर शहीद हैं, जिनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। आज हम ऐसे वीर शहीदों को भी याद करते हैं, नमन करते हैं एवं श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। जिस प्रकार आज आजादी के बाद डॉ. श्यामा प्रसाद जी की बात हुई। आजादी के लिए सबने मिलकर लड़ाई लड़ी, फांसी पर हंसते-हंसते झूले, लेकिन चाहे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हो या चाहे लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, वे कैसे कांग्रेस से अलग हो गये, यह भी सोचने वाली बात है। इसलिए आज इस सदन में वंदे मातरम् विषय को आने वाली युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे दो मिनट बोलने के लिए समय दिया, उसके आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्। जय हिंद। वंदे मातरम्। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री केदार कश्यप जी।

श्री केदार कश्यप (संसदीय कार्य मंत्री) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपके माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और हमारे सभी सम्माननीय मुख्यमंत्री सहित हमारे मंत्रीगण और सम्माननीय विधायकगणों ने वंदे मातरम पर जो विषय रखा है तो वास्तव में हम सभी का यह दुर्भाग्य रहा है कि जब हम वंदे मातरम को पहली बार सुना तो केवल चार पंक्तियों तक सीमित रह गये। जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते गये तो हमको पता चला कि वंदे मातरम केवल चार पंक्तियों का नहीं बल्कि यह देश का मंत्र रहा है, जिसने देश को एकता के सूत्र में पिरोया है । आजादी की लड़ाई में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, हमारे ऋषि मुनि हैं, उनका मंत्र बना, आज वह किस तरीके से भुलाने का काम हुआ है । कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ में जो अन्याय किया है, वंदे मातरम को फिर से विस्थापित करने का कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है, मैं इसके लिये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि वह देश के सामने एक बड़ा विषय लेकर आये हैं । देश की आने वाली पीढ़ी वंदे मातरम की इस महत्ता को समझे, इस बात को लेकर उन्होंने इसे जन-जन तक पहुंचाने का काम किया है । हम जानते हैं कि इन्होंने एक

नरेटिव सेट किया, अपना देश मानने में इनको शर्म महसूस होती थी, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते थे, जो उनकी भावना थी । हमारे धर्म और संस्कृति पर इस तरीके से इन्होंने आघात पहुंचाया है । हमारे आदरणीय धर्मजीत सिंह जी बता रहे थे, आपने जो विषय रखा, आमिर खान से लेकर इंदौर राहतपुरी तक आपने बातें रखी । यह जो भावना है, इसके माध्यम से आ रही है । मैं उनको सुन रहा था, इन्होंने कहा कि गाय को जो माता मानता है या माने, नहीं मानता है तो नहीं माने । यह भावना है और मेरा सीधा-सीधा आरोप है कि जो नकारात्मक लोग हैं, वह उनके हीरो बन गये हैं । इनका भाव हमारे देश के साथ में नहीं है । देश के साथ में जुड़ने की इसकी मानसिकता नहीं है और इसी कारण से तुष्टिकरण की राजनीति अपनाते हैं । तुष्टिकरण के कारण इन्होंने काश्मीर को भारत का अंग नहीं बनाया । हम आजादी के 75 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, हमारे अमित शाह जी ने काश्मीर को फिर से भारत का अंग बनाया और 370 हटाया, खत्म किया है । यदि हमारी सरकार नहीं होती तो यह भी नहीं होता, इस बात को तो मानते ही होंगे ? और तो और इनको हमारी धर्म तथा संस्कृति से कोई लगाव नहीं है, हमारे आस्था के केन्द्र भगवान राम के प्रति इनकी क्या भावना है ? आप आज तक वहां भगवान रामजी के मंदिर नहीं गये हैं ? राम मंदिर को मानते नहीं है और शुभारंभ हुआ तो आप लोगों ने उसका भी बहिष्कार किया ।

अध्यक्ष महोदय :- महंत जी हो आये हैं ।

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, वह तो दयालू हैं और उन्होंने जिस भावना के साथ अपनी बात रखी है, मैं उसके लिये बधाई देता हूँ ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, यह जो बोल रहे हैं, महंत जी के लिये नहीं बोल रहे हैं, महंत जी तो अपने छत्तीसगढ़ के हैं, कबीरपंथी हैं, दोहा भी जानते हैं, चौपाई भी जानते हैं, धार्मिक आदमी हैं । राम मंदिर भी जायेंगे, सब कुछ करेंगे । बड़े महंत जी के बारे में यह बोला जा रहा है कि उनका क्या हाल है ?

श्री केदार कश्यप :- वे धर्म और संस्कृति के प्रति भावना रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे अनुज शर्मा जी ने कहा कि तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने यह कहा कि वंदे मातरम को आर्केस्ट्रा में अच्छे से बजाया नहीं जा सकता। आप सोचिए कि किस तरीके से कुतर्क देते हैं। किस तरीक से वंदे मातरम के महत्व को घटाने का काम करते थे। जब देश की आजादी के बाद वंदे मातरम का महत्व घटाया गया तो उसमें कई तरीके की रैलियां निकली, कई तरीके के आक्रोश का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने तुष्टिकरण के लिए वंदे मातरम को स्वीकार करने से इंकार कर दिया, अभी भी स्वीकार नहीं करते। क्योंकि इनकी जो मानसिकता है, यह अंग्रेजी की मानसिकता रही, उसी मानसिकता के साथ चलते हैं। जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजों को समझ आ गया कि इस देश में अब हम लंबे समय तक राज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। वर्ष 1905 में

बंगाल विभाजन हुआ लेकिन आप स्वदेशी जागरण को नहीं रोक पाए। पूरब से लेकर पश्चिम तक उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक सारी जगहों पर वंदे मातरम.....।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, पाकिस्तान में अगर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कोई नहीं गाएगा तो भयंकर कोड़ा मारते हैं, जबर्दस्त कोड़ा चौराहे में मारते हैं। (हंसी) ये मैं बता रहा हूं, अब आप आगे समझ लीजिए।

श्री केदार कश्यप :- ये इनकी मानसिकता रही है। जब अंग्रेजों ने इस देश को इस रूप में स्थापित करने की कोशिश की, ये देश कमजोर लोगों का है, ये देश आलसी लोगों का है, इस देश में निकम्मे रहते हैं, ये जो भावना थी, उस पर डालने की कोशिश की गई थी। तब राष्ट्रकवि बंकिम चंद्र चटोपाध्याय जी ने वंदे मातरम की रचना की और उसके माध्यम से देश को जगाने का काम किया और देश जागा। वर्ष 1875 को दो महत्वपूर्ण समय के लिए याद रखा जाएगा, एक वंदे मातरम की रचना दूसरा भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ। जिस तरह से पूरे देश में एक वातावरण निर्मित हुआ, देश में जब वंदे मातरम की रचना के 50 वर्ष पूर्ण हुए, तब हमारे देश में आजादी नहीं थी, अंग्रेजों का शासन था, उस समय वंदे मातरम बोलते थे तो कोड़े मारे जाते थे, तब उनको जेल में डाला जाता था, जब वंदे मातरम के सौ साल पूरे हुए तब भी दुर्भाग्य था कि देश की आजादी के बाद भी वंदे मातरम बोलने वालों पर, लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले लोगों को भी जेल के भीतर भरा जाता था। चाहे वह राजनेता हो, चाहे आम जनता हो, चाहे वह मीडिया हो, वह भी एक समय था। लेकिन 150 वर्षों का समय जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली और फिर से वंदे मातरम को स्थापित करने का प्रण उठाया है, उस प्रण के साथ चलते हुए लगातार आगे बढ़ें। अध्यक्ष महोदय, मैं आज के इस अवसर पर एक बात और कहना चाहूंगा। वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, हमने वह समय देखा है, जब वंदे मातरम गीत का उपयोग विषम परिस्थिति में करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह तो हनुमान चालीसा जैसा है, यदि हम कहीं पर विपत्ति में फंसते हैं तो हम लोग वंदे मातरम गाते हैं, अभी हमने कोरोनाकाल में देखा, कोरोनाकाल में जब पूरी दुनिया की स्थिति खराब थी तो हम लोगों ने वंदे मातरम के भाव के साथ आगे बढ़ा। देश के प्रधानमंत्री जी ने रास्ता दिखाया। हम किस तरीके से सकुशल वापस आए। हम लोग किसी तरीके से आगे बढ़ें। (मेजों की थपथपाहट) यदि हमारे देश में कोई आक्रमण होता है तो उस आक्रमण का भी जवाब देने के लिए हमारे जो सैनिक हैं, उनके द्वारा आतंकवादी, घुसपैठिए को मुहतोड़ जवाब देने का काम भी यह वंदे मातरम के भाव के माध्यम से किया जाता है। जब हमारे देश में खाद्य, अनाज की कमी हो जाती है, तब वंदे मातरम के भाव के साथ हमारे अनाज के भण्डार भरे जाते हैं। यह वैकल्पिक मंत्र है। ऐसे अनेक समय हैं, जब हमने इसकी महत्ता को देखा है। देश की आजादी के समय और अंग्रेजों के जाने के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से जो गलतियां कीं, उसका खामियाजा इस पीढ़ी ने भुगता है। अब वह उदाहरण स्वरूप हमारी इस पीढ़ी

में स्थापित न हो, यह हमको कोशिश करनी चाहिए। यदि हम इस बात की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी हमको इसी स्वरूप में मिलेगी। जो हमारे देश को गाली देने में आगे रहेगी। जो हमारे देश में रहकर हमारे देश को अपमानित करने की कोशिश करेगी। आज जब हम यह देखते हैं तो हमको बड़ी पीड़ा होती है कि हमारे देश का कोई नेता विदेशों में जाकर हमारे देश को अपमानित करने की कोशिश करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे जो नेता हैं, वह कहीं न कहीं हमारे देश का खाकर हमारे देश का ही अपमान करने की कोशिश करते हैं। हम आज टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, हम ए.आई. में आगे जा रहे हैं। हम आधुनिकता में जाये, लेकिन हम अपने उस प्राचीन इतिहास को भी अपनाये। हमारे देश को आजादी दिलाने में, हमारे देश की संस्कृति को स्थापित करने में, हमारे देश को सर्वोच्च शिखर में पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने काम किया, जिन महात्माओं ने काम किया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने काम किया, जिन ऋषियों ने काम किया। चाहे वल्लभ भाई पटेल जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे विवेकानंद जी हो, चाहे बंकिमचंद्र चटोपाध्याय जी हो, जिन्होंने इस देश को स्थापित किया। हमको उनका भी इतिहास जानने की आवश्यकता है, तब जाकर हम एक अच्छे देश का निर्माण कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहां पर आपने विस्तृत तौर पर चर्चा करायी है तो मैं समझता हूं कि सारी बातें आ गई हैं। इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए यही कहूंगा कि आपने इस विषय पर चर्चा कराकर हमारी विधान सभा के माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश दिया है ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे सीखकर इस राष्ट्रगीत को गाकर अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद व आभार।

नवीन विधान सभा भवन की गरिमा के अनुरूप कार्य एवं विधान सभा सचिवालय की आवश्यकताओं पर विचार कर आवश्यक सुझाव देने हेतु समिति का गठन।

अध्यक्ष महोदय :- दिनांक 14 दिसंबर, 2025 को हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एवं तत्संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं अन्य सदस्यों से प्राप्त सुझावों के तारतम्य में नवीन विधान सभा भवन की गरिमा के अनुरूप कार्य कराने विधान सभा सचिवालय की आवश्यकताओं के संबंध में विचार कर तत्संबंध में सुझाव दिए जाने हेतु मैं निम्नानुसार विधान सभा के सदस्यों की एक समिति का गठन करता हूं। समिति के सदस्य हैं :-

1. श्री धरमलाल कौशिक
2. श्री अजय चंद्राकर
3. श्री धर्मजीत सिंह
4. श्रीमती भावना बोहरा

5. श्रीमती संगीता सिन्हा

6. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

श्री धरमलाल कौशिक इस समिति के सभापति होंगे।

सत्र समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

अध्यक्ष महोदय :- षष्ठम विधान सभा के सप्तम सत्र का आज अंतिम कार्य दिवस है और मुझे लगता है कि किसी भी सत्र में किसी कार्य दिवस के अंतिम समय में इतना पवित्र कार्य नहीं हुआ होगा। मैं समझता हूं कि इतिहास में यह पहली बार हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) आज के दिन आप सब लोगों ने बहुत ही भावना के साथ, तथ्यों के साथ, विचारों के साथ और उस गरिमा के अनुरूप वंदे मातरम के बारे में अपनी भावना व्यक्त की। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। यह सत्र 18 नवम्बर से 17 दिसम्बर तक आहूत रहा। इसमें कुल 5 बैठकें सम्पन्न हुईं। यह सत्र अन्य की तुलना में सदैव अपनी एक अलग पहचान के लिए जाना जायेगा। इस सत्र के प्रथम दिवस दिनांक 18 नवंबर, 2025 को पुराने विधान सभा भवन में छत्तीसगढ़ विधान सभा की स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर केंद्रित चर्चा हुई, यह कार्य दिवस हम सबको भावुक करने वाला था क्योंकि हम सब की स्मृतियां उस भवन से जुड़ी हुई थी। आप सभी ने अपनी भावनाओं से इस चर्चा को समृद्ध बनाया। इस सत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सत्र का दूसरा कार्य दिवस रविवार 14 दिसंबर, 2025 को नवीन विधान सभा भवन में आरंभ हुआ, किसी विधान सभा का एक सत्र दो भवनों में संपन्न हो इस दुलर्भ संयोग के साक्षी होने का अवसर हम सब को प्राप्त हुआ। मैं यह बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि छत्तीसगढ़ विधान सभा का जब-जब भी इतिहास पढ़ा जायेगा तब-तब षष्ठम विधान सभा के इस सप्तम सत्र का उल्लेख अवश्य रूप से होगा। इस सदन में आप और सभी इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रम से जुड़ गये हैं। यह हम सब के लिए उपलब्धि है। भविष्य के निर्धारण के लिये वर्तमान का विमर्श अत्यंत आवश्यक होता है और इस बात को ही ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ विधान सभा में अपनी स्थापना की रजत जयंती वर्ष पर छत्तीसगढ़ के भविष्य पर केंद्रित विषय “अंजोर छत्तीसगढ़ विजन 2047” की सम्यक सार्थक चर्चा हुई। चर्चा के सभी प्रतिभागी सदस्यगणों और सहभागी सदस्यगणों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। हम सभी अवगत है कि शीतकालीन सत्र सामान्य तौर पर अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा सत्र होता है इसलिए ज्यादातर विषयों को हम चाहकर भी शामिल नहीं कर पाते हैं। बावजूद इसके इस सत्र में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर आप सभी ने उपयोगी चर्चा को मूर्त स्वरूप दिया। इस सत्र का एक महत्वपूर्ण कार्य वित्तीय कार्य भी था, जिसे हमने अनुपूरक के माध्यम से पूर्ण किया। इसके अतिरिक्त आज हम सब

गौरवशाली क्षणों के साक्षी व भाग बने जब आज की सभा में राष्ट्रगीत वन्दे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखकर एवं चर्चा का हिस्सा बनकर छत्तीसगढ़ की विधान सभा में गौरवशाली स्थान दर्ज किया। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यह सत्र सार्थक सफल और ऐतिहासिक रहा।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के षष्टम विधान सभा के सप्तम सत्र के अंतिम दिवस पर सफलतापूर्वक सत्र संपन्न होने के अवसर पर मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, हमारे सभी मंत्रिगण, पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी विधायकगणों को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सदन के सुव्यवस्थित संचालन में मुझे अधिकतम सहयोग प्रदान दिया। (मेजों की थपथपाहट)

इस सत्र में आप नवीन भवन में स्थानांतरित हुए। नए वातावरण, नई सुविधाएं, नए संसाधन अर्थात् सबकुछ नया-नया ही रहा। नए वर्ष के पूर्व आपके जीवन में घटित यह सभी नवीन घटनाएं आप सभी को सुखद अनुभव प्रदान करने वाली बने मेरी ऐसी अभिलाषा है। एक अनुरोध यह भी है कि नवीन भवन में व्यवस्था की दृष्टि से विधान सभा सचिवालय द्वारा भरपूर कोशिश की गयी, बावजूद इसके कुछ जगहों पर जहां व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं तो कृपया अपनी प्रतिक्रियाओं से विधान सभा सचिवालय को लिखित रूप से अवगत अवश्क करायें, जिससे आगामी बजट सत्र में आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। विधान सभा भवन का स्थानांतरण एक जटिल प्रक्रिया है। मैं विधान सभा सचिव, श्री दिनेश शर्मा के साथ-साथ समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों की प्रशंसा करता हूं कि आपने निर्धारित समय में न केवल विधान सभा भवन को स्थानांतरित किया बल्कि सभी व्यवस्थाएं विधान सभा की गरिमा के अनुरूप करने का कार्य किया। इस कार्य में लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उनके इस सहयोग के लिए मैं उनकी भी मुक्त कंठ से सराहना करता हूं। इस अवसर पर नवीन विधान सभा भवन के निर्माण में जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियर, सब इंजीनियर, सुपरवाईजर, राज मिस्त्री और मजदूरों का भी अभिनंदन करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि इस भवन में आपका परिश्रम और पहचान सदैव शास्वत बनी रहेगी।

अब मैं आपको इस शीतकालीन सत्र में सम्पादित हुए संसदीय कार्य की संक्षेप सांख्यिकीय आकड़ों से अवगत कराऊंगा। इस सत्र में कुल 5 बैठकों में 33 घण्टे, 33 मिनट रात्रि कालीन 8.00 बजे तक और आज भी करीब-करीब 7.39 बजे तक चर्चा हुई। इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की संख्या 333 एवं अतारांकित प्रश्नों की संख्या 295, इस प्रकार कुल 628 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें से 11 प्रश्नों पर सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछे गये। ध्यानाकर्षण की कुल 232 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से 70 सूचनाएं ग्राह्य हुई और 20 सूचनाएं शून्यकाल में परिवर्तित की गयी। स्थगन की कुल 101 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इस सत्र में माननीय सदस्यगणों द्वारा 196 याचिकायें प्रस्तुत की गईं, जिनमें से 36

याचिकायें ग्राह्य हुईं। मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने सभा के संचालन में मुझे सहयोग प्रदान किया। मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता के साथ प्रचार माध्यमों में प्रमुखता के साथ स्थान देकर जनता को संपादित कार्यवाही से अवगत कराया।

कल का दिन हम छत्तीसगढ़वासियों के लिये ही नहीं, बल्कि सभी के लिये एक महत्वपूर्ण दिन है। कल 18 दिसंबर है। पूज्य बाबा गुरू घासीदास जी की जयंती है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को पूज्य बाबा गुरू घासीदास जयंती की शुभकामना देता हूं और कामना करता हूं कि बाबा जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे छत्तीसगढ़ पर सदैव बनी रहे।

इस सत्र के समापन के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं जो पूरे समय सदन में उपस्थित रहे। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस सत्र में कायम रखी। मैं विधान सभा के सचिव सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन पूर्ण कुशलता और निष्ठा के साथ किया। परंपरा के अनुसार सत्र के समापन के अवसर पर आगामी सत्रों की संभावित तिथि घोषित की जाती है। तदनुसार आगामी सत्र जो बजट सत्र होगा जिसकी तिथि माह फरवरी के अंतिम सप्ताह एवं मार्च 2026 में संभावित है। मैं आप सभी एवं प्रदेशवासियों को आगामी आने वाले नववर्ष की बधाई देता हूं और उनके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज छठवें विधान सभा का सप्तम सत्र शीलकालीन सत्र का समापन हो रहा है और आपके मार्गदर्शन में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये संपन्न हो रहा है। हम लोगों का सौभाग्य है कि एक सत्र में हम लोग दो-दो भवन का आनंद लिये हैं, पुराने भवन का भी, नये भवन का भी। ये सत्र छोटा था, लेकिन इस सत्र में विकसित छत्तीसगढ़ 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर भी हम लोग चर्चा किये हैं। जैसा आपने कहा कि आज ये समापन पर भी बड़े पवित्र विषय पर चर्चा हुई है। वंदे मातरम गीत के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज आपने चर्चा कराई है तो उसके लिये भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस सत्र के समापन के अवसर पर आपको धन्यवाद करता हूं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी को धन्यवाद करता हूं। हमारे मंत्रीगण, सभी सदस्यगण को भी धन्यवाद करता हूं। हमारे विधान सभा के सचिव सहित सभी अधिकारी, कर्मचारियों को भी धन्यवाद करता हूं। कल 18 दिसंबर है, पूज्य बाबा गुरू घासीदास जी की जयंती है। आप सभी को और छत्तीसगढ़ की समस्त जनता को भी गुरू घासीदास जयंती की बहुत-बहुत बधाई देता हूं और पूज्य

बाबा गुरू घासीदास जी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे। छत्तीसगढ़ में शांति, सुख-समृद्धि हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके विशेष प्रयास से और आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति से हम आज नये भवन में बैठ पाये हैं। इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने जरा भी ढिलाई की होती तो हम लोग यहां पर कम से कम इस शीताकालीन सत्र में पहुंच नहीं पाते। शीतकालीन सत्र में आये, यहां बैठे, यहां सबको ऐसा लगा कि हम एक किसी नए घर में आ गए हैं । मुझे थोड़ा सा यहां का वातावरण ऐसा लगा कि यहां हंसी-ठिठौली, अपनापन, समझदारी, यारी-दोस्ती की बातें ज्यादा होती रहीं और आप जब बाहर रहते थे तो हम लोग हंसते रहते थे, मिलते रहते थे, बातें करते रहते थे । हम सब लोगों को अजीब सा सुख मिला, ईश्वर करे कि आने वाले दिनों में ऐसा वातावरण रहे । माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव अपने सहज-सरल स्वभाव से सबका मन मोह ही लेते हैं । भले कम समय यहां उपस्थित रहते हों, मगर यहां के मिलने वालों ने उनसे भी भरपूर मुलाकात की, आपसे भी भरपूर मुलाकात की लेकिन भले ही चार दिन का छोटा सा सत्र काल रहा । हम सब लोगों को आनंद आया, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई । इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं । सचिवालयीन कर्मचारियों के साथ-साथ माननीय दिनेश जी की जो मेहनत है उसको मैं अलग से तारीफ करना नहीं भूलूंगा क्योंकि इतने कम समय में पुराने भवन से इस भवन तक आने का जो सफर रहा, वह बहुत ही अच्छे ढंग से निपट गया । मैं इस बीच दो बार यहां देखने भी आया था कि क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या नहीं हो रहा है । अच्छा लगा कि हम यहां आए, रहे । मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं । यहां के पत्रकार साथियों को, प्रेस को, सभी को बधाई देता हूं । सुरक्षा व्यवस्था में लगे सभी हमारे पुलिसकर्मी और जितने भी हमारे सहयोगी साथी के रूप में सफेद ड्रेस में यहां घूम रहे हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूं और आपने विशेष रूप से आज एक दिन बढ़ा करके या उसको घटाकर फिर यहां 4-6 घंटे की चर्चा कराई है । इस पवित्र सदन में, पवित्र वंदे मातरम् की चर्चा पर हम लोगों ने अपनी-अपनी जानकारी के अनुसार अपनी पूरी बात रखी है और चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में भी हमारे बच्चे या हमारी आने वाली पीढ़ियां वन्दे मातरम् को पवित्र भावना से देखे, उसकी रक्षा-सुरक्षा जो भी हो सकता है । उनको करने का अवसर मिले और उसी के लिए हमारे सभी साथियों ने अपने-अपने ज्ञान अनुसार यहां जानकारी दी है । मैं सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद देता हूं और आने वाले दिनों के लिए चाहूंगा कि हमारे बीच इसी तरीके का प्रेम भाव बना रहे । कल गुरु घासीदास जी का जन्म दिवस है और इसे हर जाति, धर्म के लोग मनाते हैं । उनका जो मनखे-मनखे एक समान है, यह भाव को हम लोग और जन-जन तक फैलाने का प्रयास करते हैं । हम सब लोग उसमें सफल रहें और शांति, सद्भाव, एकता के साथ हमारा छत्तीसगढ़ आगे उन्नति करता रहे । इसी भावना के साथ जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम् ।

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगान होगा । माननीय सदस्यगण राष्ट्रगान हेतु अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायें ।

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित ।

(रात्रि 07 बजकर 50 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
17 दिसम्बर, 2025

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं